

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER S No	DUE DTATE	SIGNATURE

राजस्थान में राजनैतिक जन-जागरण

लेखक

डा० के० एच० सक्सेना

राजनीति विज्ञान विभाग

राजकीय महाविद्यालय,

समवेर



राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी

जयपुर—४

शिक्षा तथा युवक-सेवा मंत्रालय, भारत सरकार की
विश्वविद्यालय ग्रन्थ योजना के अन्तर्गत राजस्थान
हिन्दी ग्रन्थ अकादमी द्वारा प्रकाशित :

प्रथम संस्करण—१९७२

मूल्य ७ ००

© राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर-४

मुद्रक—

अलिमा प्रिन्टर्स

पुलिस मेमोरियल

जयपुर—४

विषय-सूची

१ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि चेतना का प्रादुर्भाव	१—१७
२ १८१७ का विप्लव और राजस्थान	१८—३५
३ मुघलों का युग और राजनैतिक चेतना का विकास	३६—४८
४ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और राजस्थान में क्रांतिकारी मादोलन (१८८५—१९२४)	४९—७०
५ भीम-मादोलन	७१—७८
६ राजस्थान में राजनैतिक मादोलन और राजनैतिक संस्थाओं की स्थापना (१९२५—१९३९)	७९—१०१
७ जामरख और एकीकरण (१९३९—४७)	१०२—१२९
८ न्यायहार	१२२—१२५

प्रस्तावना

भारतीय भाषाओं की उच्च शिक्षा का माध्यम बनाने की राष्ट्रीय नीति को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिए सन् १९६८ में भारत सरकार ने एक बृहत् योजना का लूटपात किया था जिसके अन्तर्गत विभिन्न प्रदेशों में ग्रन्थ प्रकाशनों की स्थापना कर उनके माध्यम से विश्वविद्यालय शिक्षा-स्तर पर विभिन्न विषयों में महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पुस्तकों के मौलिक लेखन और अन्य भाषाओं से अनुवाद करने का कार्यक्रम स्वीकृत हुआ था। भारत सरकार के शिक्षा एवं युवक सेवा मंत्रालय ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इसके लिए ऋत प्रविष्टान अनुदान स्वीकार किया। राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ प्रकाशनी की स्थापना भी इसी उद्देश्य की पूर्ति एवं योजना को क्रियान्वित करने के लिए की गई है। प्रस्तुत ग्रन्थ 'राजस्थान में राजनैतिक जन-जागरण' का प्रकाशन भी इसी योजना के अन्तर्गत हुआ है।

राजस्थान की भूमि को सदियों से वीर प्रसूता भूमि बनने का सीमांत्य मिलता रहा है। यहाँ के वीरों ने अपने प्रादुर्भाव के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हँसते-हँसते अपने प्राण न्यौट्टावर किए हैं। प्रदेशों से पूर्व अरब, तुर्क एवं मुगल बादशाहों से लोहा लेने वाले उदयपुर एवं जोधपुर के राजघरानों का नाम इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्णश्रियों से अंकित है। जब प्रदेश भारत के अधिपति बन गए तब उन्हें भी हमारे देश से निकालित करने में भारत के अन्य प्रांतों के समान ही राजस्थान के स्वतंत्रता-सेनानियों ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान किया। लेकिन राजस्थान के सेनानियों के लिए एक साथ दो कठिनाईयें से मुक्त बसा करना होगा या उनमें प्रथम श्रेणी के शायक एवं दूसरे श्रेणी में इतना होते हुए भी राजस्थान में पूर्ण रूप से राजनैतिक चेतना जागृत हुई, परिणाम-

प्रस्तावना

स्वरूप १५ अगस्त, १९४७ को स्वतन्त्रता प्राप्ति के अवसर पर राजस्थान की देशी रियासतों भी भारतीय सघ में विलीन होकर भारत का एक अभिन्न अंग बन गई ।

प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखक डॉ० कृष्णस्वरूप सक्सेना ने इस ग्रन्थ की राष्ट्रीय सघहालय, नई दिल्ली एवं राजकीय सघहालय बीकानेर तथा ग्रन्थ प्रामाणिक सामग्री के आधार पर तैयार किया है । हमें विश्वास है कि यह ग्रन्थ अध्यापकों एवं विद्यार्थियों के अनिर्विकल्प जन-साधारण के लिए भी उपयोगी होगा ।

नारायणसिंह मसूदा

अध्यक्ष, हिन्दी ग्रन्थ सन्सदाधी

एवं

शिक्षा मंत्री, राजस्थान, जयपुर ।



प्राक्कथन

स्वतन्त्रता उपहार के रूप में प्राप्त नहीं होती, वह स्वयं और बलिदान चाहती है। पाकिस्तान से ही राजस्थान का इतिहास त्याग, बलिदान और वीरता की कहानी रहा है जहाँ मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व शोकाघर कर देना एक परम्परा रही है। विशेषतः (उदयपुर) और मारवाड़ (जोधपुर) द्वारा अरब, तुर्क मुगल और बाद में प्रब्रेशों के विरुद्ध जो मोर्चा खिंचा गया वह निश्चय ही राजस्थान की मन्व रिपामना व जनता के निर्ण युगों तक प्रेरणा प्रदान करता रहा।

भारत के मन्व प्रान्तों के समान ही राजस्थान की जनता ने भी राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रिय रूप से योगदान दिया था, भन जब ब्रिटिश भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन की बेगवनी पारा बही तो राजस्थान की जनता को प्रेरणा न रहा सका। परन्तु राजस्थान की जनता को अपने अधिकारों की रक्षा और स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए बौद्धिक समर्थन करना पडा। प्रथमतः देशी रिपामतों के निरतुन राजाघा और जमींदारों के विरुद्ध जिनके मत्वाचारों से मुक्ति प्राप्त करना कोई सामान काम नहीं था और दूसरे ब्रिटेन के विरुद्ध जिसका इन ज्ञानको पर बरदहस्य था। मन्व त्याग, बलिदान और जन-जागरण के फल-स्वरूप मन्व प्रान्तों के समान ही राजस्थान की देशी रिपामतों में भी 'लोकप्रिय एच उतरदायी सरकारें' पडाकूड हुई और जब १५ अगस्त, १९४७ को ज्ञाप की प्रथम किरण ने भारत के मान पर स्वतन्त्रता का निरक दिया तो राजस्थान की देशी रिपामतों में भारतीय मन्व में दिलीन होकर भारत का एक सक्रिय भग बन गई।

प्रस्तुत पुस्तक में १८५७ की क्रांति से १९४७ तक राजस्थान में हुए

प्राकङ्क्षन

राजनैतिक आन्दोलन एवं राजनैतिक जन जागरण की विवेचना की गई है। यह प्रथम खंड है जब कि १८५७ से १९४७ तक के राजस्थान में राजनैतिक जन-जागरण के इतिहास की प्रस्तुत किया गया है। आशा है राष्ट्रीय जन-जागरण एवं आन्दोलन के इतिहास में रुचि रखने वाले विद्वानों, युवाओं एवं विद्यार्थियों के लिए यह पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी।

मैं राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ प्रकाशनी का आभारी हूँ जिन्होंने पुस्तक को प्रकाशनार्थ स्वीकार किया। मैं श्री यशदेव शर्मा, कार्यवाहक निदेशक का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिनके प्रयत्नों से ही पुस्तक का प्रकाशन शीघ्र हो पाया है।

अन्नमेर

६ अप्रैल, १९७२

कुल्लुकरूप सचसेना



ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : चेतना का प्रादुर्भाव

जिसे भी देश में राजनैतिक चेतना धारणित करने का परिणाम नहीं है, इसके लिए युगो युगो तक साधना और प्रयत्न करने पड़ते हैं। उदाहरणतः ब्रिटेन, सोवियत रूस और जर्मनी के इतिहास इस बात के साक्ष्य हैं कि 'त्याग के परिणामस्वरूप ही स्वतंत्रता प्राप्त होती है'। भारत का स्वतंत्रता-इतिहास और राजस्थान में राजनीतिक चेतना का विकास भी कनशा इसी प्रकार धीरे धीरे हुआ है। आरम्भिक अवस्था में राजस्थान में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध राजनीतिक चेतना मुक्त अवस्था में थी, परन्तु राजस्थान का अपना एक इतिहास है "राजस्थान" त्याग और धीरता का पर्यायवाची शब्द कहा जा सकता है। हिन्दू शासन की समाप्ति के पश्चात् राजस्थान में मुसलमानों का शासन आरम्भ हुआ। १२०६ से लेकर १७०७ तक मुस्लिम शासन के धारण में रहने के बावजूद राजस्थान की जनता और राजाओं में साम्राज्यवादों को शक्ति से शपथ किया। इसीलिए राजस्थान एक ऐसी पवित्र भूमि बना रहा जहाँ से लड़ने वाले नागरिकों और राजाओं की कमी नहीं थी, सम्भवतः यही कारण था कि राजपूत एक ऐसी जाति का प्रतिनिधित्व करते रहे 'जिसे मृत्यु में कोई डर नहीं था।' इन सन्तों में राजपूत नायकों ने विशेष योगदान दिया, जोने की अपने आप ही अग्नि के समान बन देता एक ऐसा दृष्टान्त बना जो युगो-युगो तक न केवल राजपूतों के लिए अचिन्त आने वाली मठियों के लिए भी एक प्रेरणादायक स्रोत बना रहा।

राजस्थान का इतिहास और उसका स्वतंत्रता-संघर्ष इसी पृष्ठभूमि में फला फूला। मथुरा में, उज्जैनपुर, जोधपुर इत्यादि ऐसे राज्यों में जिन्होंने

स्वतंत्रता सपना को गई दिखाए दी। महाराणा प्रताप और वीर राठौड़ दुर्गादास ने राजस्थान में नव चेतना जागृत करने में प्रमुख योगदान दिया। अपने आपको बचट देकर जनता की सेवा का दत्त लिया, व्यक्तिगत स्वार्थ को देश-सेवा की बलिदेवी पर थोड़ाकर दिया और "स्वतंत्रता उपहार के रूप में प्राप्त नहीं होती, महत्साह और बलिदान चाहती है।" इस उक्ति को अरिहार्थ कर दिखाया, अन्य प्रांतों के समान ही राजस्थान में भी मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात् ब्रिटेन के साम्राज्यवाद का प्रभुत्व स्थापित हुआ। आरम्भिक अवस्था में इस प्रभुत्व की चुनौती भी दी गई परंतु धीरे-धीरे राजस्थान के राजा इस साम्राज्यवाद के शिकार बन गये।

राजस्थान में राजनैतिक नेतृत्व का अभाव :

उदयपुर के महाराणा राजसिंह और जोधपुर के महाराजा जयवंतसिंह की मृत्यु के पश्चात् १८वीं शताब्दी के मध्य में राजपूत-राजनीति नेतृत्व विहीन हो गई। इस समय राजपूत राजाओं में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो इस जाति की और परम्पराओं की रक्षा कर सके। ऐसी अवस्था में मराठा और पिंडारियों ने जी भर कर राजपूताने को लूटा। महाराजा बुद्धसिंह की मराठों के हाथों पराजय ने इस तथ्य की उद्घाटित कर दिया कि यदि राजस्थान के राजाओं ने आपसी स्वार्थ और वैमनस्य को समाप्त नहीं किया तो उनका पतन सन्निकट है। इसीलिए अक्टूबर १७३४ में जयपुर महाराजा जयसिंह ने राजस्थान के सभी राजाओं का मेवाड़ स्थित हुरडा ग्राम में एक सम्मेलन आयोजित किया जिससे कि पिंडारियों और मराठों के आक्रमण का सामना करने के लिए एक समान नीति का निर्माण किया जा सके, परंतु राजाओं के आपसी वैमनस्य और कलह ने इस सम्मेलन को विफल बना दिया। इन परिस्थितियों में राजस्थान के राजा ब्रिटिश साम्राज्यवाद का संरक्षण प्राप्त करने के लिए आकर्षित हुए। ब्रिटेन यही चाहता था क्योंकि यह स्पष्ट था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की रक्षा उस समय तक नहीं हो सकती थी जबतक कि भारत के देशी राजे और रजवाड़े ब्रिटिश साम्राज्यवाद का समर्थन न करें।

राजपूताना के राज्यों के प्रति ब्रिटिश-नीति (१८०३-१८०५) "ब्रिटिश संरक्षण" की नीति :

दिसम्बर १८०२ में अलीन की संधि के पश्चात् लॉर्ड इलहीजी की

नीति जयपुरा वार ब्रिटिश साम्राज्यवाद व प्रभाव-क्षेत्र को विस्तार करने की थी। राजस्थान की राजनीतिक स्थिति उत्तरोत्तर बदलने लगने लगी जा रही थी। ऐसी अवस्था में ब्रिटेन के "दशौं रियासतों में हस्तक्षेप की नीति" को अपनाया। ब्रिटिश सरकार का मन था कि मराठों के शासन को समाप्त करने के लिए और अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए देशी राजाओं की सहायता आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। ऐसी अवस्था में जब भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड क्लाइव ने देशी रियासतों के राजाओं के सम्मुख ब्रिटिश सहायता का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने इसे सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। यही कारण है कि १८०३ से लेकर १८०५ तक भारत के अनेक देशीय राजाओं और राजस्थान की रियासतों के साथ अनेक प्रकार की संधियों की गई जिन्होंने व्यावहारिक दृष्टि से ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थोकार कर दिया। राजस्थान में सर्वप्रथम जयपुर में १८०३ की संधि पर हस्ताक्षर हुए। १२ दिसम्बर १८०३ को जयपुर महाराजा और ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से जनरल जेम्स वेल्स एक समझौता हुआ जिसे १५ जनवरी १८०४ को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड क्लाइव ने अनुमोदित किया। इस संधि के अनुसार जयपुर महाराजा ने यह वचन दिया कि ब्रिटेन के लिए और जयपुर के लिए और जयपुर समझे जायेंगे और बिना ब्रिटिश सत्ता की अनुमति के किसी भी विदेशी व्यक्ति को राज्य में सेवा करने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ जयपुर महाराजा ने ब्रिटेन की प्रभुता को भी स्वीकार किया। यद्यपि ब्रिटेन की तरफ से यह आश्वासन दिया गया कि वह जयपुर महाराजा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसी प्रकार १८०३ में जोधपुर महाराजा भीमसिंह के साथ भी लार्ड क्लाइव ने संधि संधि प्रारम्भ की। परंतु महाराजा भीमसिंह की सामयिक मृत्यु के कारण संधि पर तत्काल हस्ताक्षर नहीं हो सके। अतः महाराजा के उत्तराधिकारी महाराजा मानसिंह ने २२ दिसम्बर १८०३ को ब्रिटेन के साथ संधि संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। इस संधि के मुख्य अवयव भी जयपुर संधि के समान ही थे। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन के द्वारा जोधपुर महाराजा को यह भी आश्वासन दिया गया कि यदि किसी विदेशी व्यक्ति या सत्ता ने जोधपुर पर आक्रमण किया तो ब्रिटेन जोधपुर की सहायता करेगा। इसी प्रकार अजमेर महाराजा के साथ भी संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि की मुख्य बात यह थी कि महाराजा अजमेर ने यह आश्वासन दिया कि यदि अजमेर और

अन्य राज्यों के मध्य मधिय में कोई वाद विवाद उत्पन्न हुआ तो वह ब्रिटेन के पक्ष निर्णय के लिए सुपुद किया जाएगा। सधि का यह उपबन्ध सम्भवत ब्रिटेन के लिए सबसे अधिक लाभप्रद था क्योंकि इस उपबन्ध के अन्तर्गत ब्रिटेन अन्तर्वर के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकता था। १८०५ में भरतपुर के साथ भी सधि सम्पन्न हुई। इस सधि के उपबन्ध भी जयपुर, जोधपुर और अन्तर्वर राज्यों के साथ हुई सधियों के समान ही थे। ब्रिटिश सरकार की ओर से लार्ड लेक ने स्पष्ट आश्वासन भी दिया था कि ब्रिटेन की सरकार भरतपुर के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी और न ही किसी प्रकार का मुद्राबन्ध भरतपुर राजा से प्राप्त करेगी।

उपर्युक्त सधियाँ इस बात का प्रमाण थीं कि राजस्थान के राजा अपने राज्यों में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम मिद्ध नहीं हुए थे और वे धीरे धीरे बाह्य सहायता पर निर्भर होते जा रहे थे परन्तु उनके हृदय में यह भय भी घर करना जा रहा था कि ब्रिटेन का हस्तक्षेप एक दिन उनकी स्वतन्त्रता को समाप्त कर देगा अतः उन्हें अधिक समय तक ब्रिटेन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। १८०५ में लार्ड कार्नवालिस भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए और उनके आगमन के साथ ही साथ राजस्थान के राजाओं के प्रति एक नई नीति का आरम्भ हुआ जिसे “अहस्तक्षेप” की नीति कहा जाता है।

ब्रिटेन की अहस्तक्षेप नीति (१८०५-१८११)

ब्रिटिश सरकार अब इस विषय पर पहुँच चुकी थी कि देशी राजाओं के विवादों में हस्तक्षेप करना उनके लिए उचित नहीं है क्योंकि इससे ब्रिटेन के विपक्ष जन भावना को बल मिलता था। ऐसी अवस्था में लार्ड कार्नवालिस ने अपने पूर्ववर्ती गवर्नर जनरल लार्ड वेडेजली की नीति का अनुसरण करना ठीक नहीं समझा। लार्ड कार्नवालिस का मन था कि यदि ब्रिटेन देशी राजाओं के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा तो उसका साम्राज्य अधिक आसानी से सुरक्षित बन सकेगा अन्यथा राजपूत राजाओं की तरफ से सम्भव है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद को चुनौती दी जाय परन्तु लार्ड कार्नवालिस बहुत ही कम समय तक भारत में रहे। उनके उत्तराधिकारी जार्ज वार्ले और लार्ड पिन्टो ने भी इसी अहस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया परन्तु १८१५ में लार्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल के आगमन आने पर ब्रिटेन की नीति पुनः बदल

गई। लार्ड हेस्टिग्स ने लार्ड डेनेजली की नीति को पुनर्जीवन दिया और इस प्रकार "हस्तक्षेप" की नीति का पुनर्जन्म हुआ।

लार्ड हेस्टिग्स और हस्तक्षेप की नीति (१८१५-१८१८)

१८११ में सर चार्ल्स मैटकाफ ने यह सुझाव दिया कि राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिषद बना दिया जाना चाहिए जो ब्रिटिश सरकार में कार्य करे, जिससे कि राजस्थान के राज्यों में पिछड़ी और मराठाओं की सट्टेबाजी को रोक जा सके तथा शांति और व्यवस्था स्थापित हो जा सके। लार्ड हेस्टिग्स ने मैटकाफ की नीति का अनुमोदन किया और देशी राजाओं को ब्रिटिश सरकार प्रदान करने के लिए उनमें बहुत नज़दीक के संबंध बनाने की चेष्टा की। लार्ड हेस्टिग्स को विश्वास था कि राजपूताना के तीन प्रमुख राज्य जयपुर, जोधपुर और उदयपुर सच बनाने की नीति को प्रवर्धन स्वीकार कर लेंगे क्योंकि इन राज्यों में घातक गतिरोध बढ़ना जा रहा था तथा शांति और व्यवस्था सतरे में पड़ती जा रही थी। तदनुसार १८१८ में लार्ड हेस्टिग्स ने जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, और उदयपुर, के साथ संधि-पत्र पर हस्ताक्षर किए। संधि में, १८१८ की संधि का परिणाम यह था कि राजस्थान के राजाओं ने ब्रिटेन के प्रभुत्व को पूरे रूप में स्वीकार कर लिया था और अपने प्रांतों ब्रिटिश सत्ता के अधीन कर दिया था। परिणाम यह हुआ कि ब्रिटेन की तरफ से इन राज्यों के घातक मामलों में भी हस्तक्षेप आरम्भ हुआ और विशेषतः जयपुर तथा जोधपुर में इस हस्तक्षेप का घोर विरोध भी हुआ। घातक स्थिति में हस्तक्षेप का मुख्य कारण राजा और उसके जागीरदारों के मध्य मत विभिन्नता थी। विशेषतः उत्तराधिकार के प्रश्न पर जयपुर, कोटा और जोधपुर में अनेक घातक मतभेद उठ खड़े हुए। ब्रिटेन के हस्तक्षेप ने भाग में ही का काम किया। इन देशी रियासतों के सामने में एक नई भावना ने जन्म लिया और यह यह था कि ब्रिटेन अपने हस्तक्षेप के द्वारा उनकी स्वायत्तता को समाप्त कर देना चाहता है। इस प्रकार ब्रिटिश विरोधी भावना के उदित होने का यह प्रथम चरण था।

उदयपुर में ब्रिटिश हस्तक्षेप

राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से इस समय उदयपुर की स्थिति अत्यन्त दुर्नीय थी। उदयपुर के महाराणा का प्रभुत्व नाममात्र का रह गया था। उनके प्रभुत्व को आसतौर से नीमडी के टापुर और साहपुरा के

राजा ने चुनौती दी थी। इनके अतिरिक्त उदयपुर के जागीरदार महाराणा के आदेश को मानने के लिए तयार नहीं थे ऐसी घबघाहट में ब्रिटिश पोलिटिकल एजेंट कनल टाड ने महाराणा उदयपुर की सत्ता को पुनः स्थापित करने के लिए जागीरदारों और महाराणा के मध्य एक समझौता कराना चाहा जिसे टॉड कोलनामा कहा जाता है। इसके अन्तर्गत यह प्रावधान रखा गया कि यदि उदयपुर महाराणा के आदेश का पालन नहीं किया गया तो ब्रिटेन उदयपुर महाराणा की सशस्त्र सहायता करेगा और उनके आदेश का पालन करवाएगा। मार्च १८२१ में एक नई स्थिति उत्पन्न हुई जहाँ शिवलाल महाराणा के द्वारा प्रेषण विमुक्त किए गए। ऐसा विश्वास किया जाता है कि शिवलाल को ब्रिटिश समर्थन प्राप्त था। फरवरी १८२३ में अष्टाचार और अनुशासन हीनता के आरोपों में उदयपुर महाराणा ने शिवलाल को बर्खास्त कर दिया। उदयपुर में ब्रिटिश पोलिटिकल एजेंट ने महाराणा के इस आदेश का अनुमोदन करने से इंकार कर दिया परंतु महाराणा इस सन्दर्भ में ब्रिटेन के हस्तक्षेप को स्वीकार करने के लिए तयार नहीं थे उनका कहना था कि यह उदयपुर का अन्तर्गत घातक मामला है और ब्रिटेन को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अतः ब्रिटिश सरकार ने महाराणा के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया और इस प्रकार ब्रिटेन और उदयपुर के विगठने हुए संबंधों में एक नया मोड़ आ गया।

जयपुर में हस्तक्षेप

२१ दिसम्बर १८१८ को जयपुर महाराजा जगतसिंह की मृत्यु हो गई। निराशा होने के कारण उनके उत्तराधिकारी का प्रश्न गम्भीर बन उठा। मोहनराम नाजिर ने नरवर क भूतपूर्व राजा के पुत्र मोहनसिंह को उत्तराधिकारी घोषित कर लिया। यह भी कहा गया कि महाराजा जगतसिंह ने मृत्यु से पूर्व मोहनसिंह को गोद ले लिया था और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इस समय ब्रिटिश सरकार को धार से कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया परन्तु मोहनराम नाजिर के विरोधी ठाकुरों ने मोहनसिंह को राजा मानने से इंकार कर दिया। इन विरोधियों का कहना था कि ठाकुर बहादुरसिंह के उत्तराधिकारी का दावा अधिक प्राथमिक है और उसे ही उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। इस स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने हस्तक्षेप धारण किया। हालांकि ब्रिटिश एजेंट ओट्टर रोनी ने जयपुर के जागीरदारों की एक सभा आयोजित की जिसमें उत्तराधिकार के प्रश्न पर जागीरदारों

से अपने अपने तर्क प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। परन्तु इसी बीच इन समाचार ने कि महारानी जयपुर गर्भवती है स्थिति को परिवर्तित कर दिया। २५ अप्रैल १८१६ को महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसे तयाई अयसिंह के नाम पर जयपुर का महाराजा घोषित किया गया। साथ ही साथ महारानी ने मोहनराम नाजिर को बरखास्त कर दिया और उसके स्थान पर जोहराम को राज्य का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। महारानी के इस कार्य ने ब्रिटिश हस्तक्षेप को प्रभावित किया। घोस्सर लोनी मोहनराम नाजिर का समर्थक था। अपनी बात मनवाने के लिए घोस्टर लोनी ने ब्रिटिश सशस्त्र सेना को भी जयपुर भेजने के आदेश जारी कर दिए परन्तु महारानी ने साहस के साथ ब्रिटिश सरकार को चुनौती देते हुए कहा 'जयपुर की सधि जयपुर महाराजा और ब्रिटेन के बीच में हुई है महाराजा के नौकरों ने साथ वह सधि नहीं हुई है' इसी बीच घोस्टर लोनी ने जयपुर सरकार की सहायता के लिए एक योरोपीय अधिकारी को नियुक्ति का प्रस्ताव भी किया और कैप्टेन स्टीवर्ट को राज्य का राजस्व अधिकारी नियुक्त कर दिया गया, साथ ही साथ जोहराम को पदमुक्त करके उसके स्थान पर राजल बंरीसाल को नियुक्त किया गया। इस घटना ने जयपुर रानी और ब्रिटिश सत्ता के मध्य तथर्प को जन्म दिया। हिंडीन और जयपुर के पासपास के क्षेत्रों से सैनिकों ने महारानी के समर्थन में जयपुर को घेर घेराना किया, उधर ब्रिटिश सरकार ने नसीराबाद से ब्रिटिश सेना को जयपुर में बुलवा लिया परन्तु इन सबके बावजूद जयपुर राजमाता न राजल बंरीसाल को मान्यता देने से इन्कार कर दिया। अतः ब्रिटेन की सरकार को भुक्ना पडा घोस्टर लोनी ने स्थिति को और न बिगड़ने देने के लिए हस्तक्षेप किया और बंरीसाल को पदमुक्त करके उसके स्थान पर डिग्गी के ठाकुर मेधसिंह और गणेश नारायण और गोविन्द नारायण को मुख्य राजस्व अधिकारी के पद पर नियुक्त किया। इस प्रकार जयपुर राजमाता और ब्रिटिश अधिकारियों के मध्य समझौता सम्पन्न हुआ। परन्तु यह घटना इस बात का प्रमाण थी कि १८०३ और १८१८ की सधि के बावजूद राजा और जागीरदार अपने आंतरिक मामला में ब्रिटेन के हस्तक्षेप को स्वीकार करने में तैयार नहीं थे।

कोटा में हस्तक्षेप

२१ नवम्बर १८१६ को कोटा महाराज उम्मेदसिंह की मृत्यु हो गई। उनके उत्तराधिकारी महाराज विशोरसिंह और तालासिन कोटा राज्य अधि

कारी जालिमसिंह के पुत्र माधोसिंह के मध्य धच्छे सबंध नहीं थे। इस अवस्था में माधोसिंह महाराज किशोरसिंह को अपना स्वामी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। ६ और ७ अप्रैल १८१६ को महाराजा किशोरसिंह के समर्थकों ने सेना को बुला लिया, उधर राजराणा माधोसिंह ने भी अपने समर्थकों सैनिकों को आमंत्रित कर लिया। इस प्रकार एक संधर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई जिसने ब्रिटेन के हस्तक्षेप को आमंत्रित किया। कर्नल टॉड ने एक १२ सूत्रीय समझौता तैयार किया जिसे राजराजा और राजराणा दोनों ने ही स्वीकार कर लिया। इस समझौते के अनुसार राजराणा को २०० सैनिक नियुक्त करने का अधिकार दिया गया परंतु राजराजा ने कुछ और अधिक सैनिक बुलाकर स्थिति को और अधिक गम्भीर बना दिया। कर्नल टॉड के द्वारा राजराजा को प्रतिम चेतावनी (मल्टीमेशम) दे दी गई कि वह पांच दिन अंदर अंदर उनका समझौता स्वीकार करें अन्यथा उसके भयंकर परिणाम होंगे। महाराज समझौते को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, अन्ततः २८ दिसम्बर को महाराजा ने कोटा से बू दी की ओर प्रस्थान किया। कर्नल टॉड ने महाराणा को चेतावनी दी कि उनका सशस्त्र सामना किया जाएगा। अन्ततः नगरील के पास महाराज की सेना और राजराणा व ब्रिटिश समर्थित सेना के मध्य संधर्ष हुआ। महाराज के छोटे भाई किशोरसिंह बुरी तरह घायल हुए और महाराज को जयपुर सीमा में शरण लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। ब्रिटेन के इस आचरण ने अन्य राजपूत राजाओं को सशक्त बना दिया। वे सोचने लगे कि आज जो कुछ कोटा महाराज के साथ हुआ है वही बल उनके साथ भी हो सकता है। ऐसी अवस्था में ब्रिटेन के प्रति उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन आरम्भ हुआ। इसी बीच १२ नवम्बर को कोटा महाराज नाथद्वारा पहुंचे। कर्नल टॉड के वकील ने एक समझौता-प्रस्ताव रखा जिस पर १८ नवम्बर १८२१ को महाराज ने हस्ताक्षर कर दिए। एक प्रकार से यह ब्रिटेन की सत्ता के समक्ष कोटा महाराज का पूर्ण समर्पण था। कोटा के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप ने एक बार पुनः यह सिद्ध कर दिया कि ब्रिटेन का एकमात्र उद्देश्य है राजस्थान में अपने साम्राज्यवाद को पूरी तरह मजबूत बना देना। साथ ही साथ यह देशीय राजाओं की आत्में खोल देने के लिए पर्याप्त था। संक्षेप में, देशीय राज्यों की अनन्तता का ब्रिटेन की न्यायप्रियता में से विश्वास हिल उठा और उनमें भी ब्रिटिश विरोधी भावनाएँ जन्म लेने लगीं।

मलबर में हस्तक्षेप

इसी बीच मलबर में भी राजनीतिक दृष्टि से हस्तक्षेप किया गया। १८१५ में रावराजा मलवारसिंहजी की मृत्यु हो गई और इससे साथ ही उनके उत्तराधिकार का प्रश्न विकट रूप धारण करने लगा। गद्दी के लिए मुख्यतः दो दावेदार थे जिनमें से एक उनका अनोरस पुत्र बलवंतसिंह, जो कि एक मुस्लिम वैश्या से उत्पन्न हुआ था और जिसने बाद में हिन्दू धर्म स्वीकार कर लिया था—दावेदार था, और दूसरा महाराजा का भतीजा बनेसिंह था। ऐसा विश्वास किया जाता है कि महाराजा की इच्छा अपने अनोरस पुत्र को उत्तराधिकार के रूप में गद्दी पर बैठाने की थी और इसीलिए जब उनकी मृत्यु के बाद फिरोजपुर के महमद बख्त खां ने अपने मरछण में बलवंतसिंह को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया तो ब्रिटिश सरकार ने कोई आपत्ति नहीं की परन्तु महाराजा के जागीरदार इस व्यवस्था से सन्तुष्ट नहीं थे। अतः दोनों दलों के मध्य एक समझौता हुआ जिसने अनुमार बनेसिंह को मलबर राज्य का नामधारी महाराजा और बलवंतसिंह को वास्तविक शासक के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इस सदर्भ में ब्रिटिश सरकार का रुझान बड़ा विचित्र रहा। ब्रिटिश सरकार के अनुसार 'यदि आवश्यकता हुई तो यह भविष्य में हस्तक्षेप करने का अधिकार सुरक्षित रहती है' जून १८२५ में नवाब महमद बख्त खां ने दिल्ली की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उनकी हत्या करने वाला बनेसिंह के दल का एक सदस्य था, ब्रिटिश एजेंट मोस्टर सोनी ने आवश्यक जांच परताल के आदेश दिए परन्तु इस घटना में बलवंतसिंह और बनेसिंह के आपसी दलों के मध्य वैमनस्य और कटुता उत्पन्न कर दी। ऐसी अवस्था में पुनः दोनों दलों में एकरा स्थापित करने के लिए मोस्टर सोनी के हस्तक्षेप से एक समझौता हुआ जिसके अनुसार यह तय हुआ कि—

- (१) बनेसिंह और बलवंतसिंह के मध्य राजकोष का समान वितरण किया जाएगा।
- (२) वे परस्पर जिनकी मिल्कियत चार लाख रुपये से ज्यादा है और जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा रियासत को प्रदान किए गए हैं उन्हें बलवंतसिंह और उनके उत्तराधिकारियों को दिया जाएगा।
- (३) उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति में ४ परगने मलबर राज्य को सर्किल दे किए जाएंगे।

(४) यह भी घोषित किया गया कि यदि भद्रमद बख्त खा की हत्या में बनेसिंह का सदहात्मक खून भी रहा है तो भी इसकी स्पष्ट घोषणा करना वांछित नहीं होगा।

उपरोक्त शब्दों पर १८२५ में समझौता सम्पन्न हुआ जिसे २१ फरवरी १८२६ को ब्रिटिश सरकार के द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। यह इस बात का प्रमाण था कि ब्रिटिश सरकार राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए तत्पर है और वह ऐसा कोई अवसर नहीं खोजना चाहती जिसके द्वारा वह अपनी सत्ता को मजबूत बना सके।

भरतपुर में हस्तक्षेप .

भरतपुर में भी उत्तराधिकार का प्रश्न ब्रिटिश हस्तक्षेप का कारण बना। २६ फरवरी १८२५ को महाराजा बलदेवसिंह स्वर्गवासी हुए और इसके साथ ही उत्तराधिकार के दो दावेदार खड़े हुए इनमें से एक बलदेवसिंह के पुत्र बलवतसिंह और दूसरे, दुर्जनसाल थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा बलवतसिंह को ६ फरवरी १८२५ को राज्य का उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया परन्तु इसके साथ ही दुर्जनसाल और उसके जाट समर्थकों ने विद्रोह भ्रष्टा कर दिया। १३ मार्च १८२५ को दुर्जनसाल और उसके साथियों ने भरतपुर के किले पर आक्रमण किया और उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। घोस्टर लोनी ने दुर्जनसाल और उसके साथियों की इस कार्यवाही को "दिन दहाड़े डाका" डालने की सजा दी और बलवतसिंह के समर्थन की घोषणा की। दूसरी ओर, दुर्जनसाल ने जाट जाति के नाम पर भरतपुर के प्रत्येक व्यक्ति से यह अनुरोध किया कि वह उसका समर्थन करे परन्तु इसी बीच गवर्नर जनरल ने यह निर्णय दिया कि यदि उत्तराधिकार के प्रश्न पर राज्य में यदि कोई विवाद है तो राज्य का यह अपना मामला है और ब्रिटिश सरकार को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए साथ ही घोस्टर लोनी को यह आदेश दिया कि वह सज्जन हस्तक्षेप न करे और बलवतसिंह का समर्थन करना बंद कर दे। इसी बीच दुर्जनसाल के छोटे भाई माधोसाल ने सत्ता हथियाने का प्रयत्न किया और डींग के किले पर आधिपत्य जमा लिया। माधोसिंह ने दुर्जनसाल के विरुद्ध ब्रिटन का समर्थन भी प्राप्त करना चाहा इसमें कि बलवतसिंह उसे मुक्तियारी देने के लिए तैयार हो जाए। एक बार स्थिति पुन बढती, मीडवोथ ब्रिटिश रेजीडेंट और राजपूताना में एजेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए।

उनका दृष्टिकोण यह था कि राज्य में शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने की अनिवार्य जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार की है और इसलिए वह विपत्ती हुई स्थिति को प्राथमिकता नहीं दे सकता है। तदनुसार मैटकोफ ने महाराजा बलवन्तसिंह के समर्थन में ब्रिटिश सेना को भरतपुर भेजने का आदेश दे दिया। अलग १० फरवरी १८२५ को ब्रिटिश सेना ने भरतपुर जिंजे एण्ड आक्रमण किया। ऐसा विश्वास किया जाता है कि अजमेर जोधपुर, जयपुर और करौली की सेनाओं ने दुर्जनसाल की सहायता की। यद्यपि मैटकोफ की इस समाचार में विश्वास नहीं था। दुर्जनसाल ने प्रस्ताव किया कि वह बलवन्तसिंह का समर्थन करने के लिए तैयार है, यदि ब्रिटिश सेनाएँ भरतपुर से वापिस हट जाएँ, परन्तु मैटकोफ ने बिना शर्त दुर्जनसाल के समर्थन की मांग की। अतः क्रिमे की दीवार को शायनामाइट से उखाड़ा गया और इस प्रकार ब्रिटिश सेना ने भरतपुर गहर पर अपना भाविगत्व स्थापित कर लिया। दुर्जनसाल को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे अहमदाबाद भेज दिया गया।

जोधपुर में हस्तक्षेप

१८१८ की सन्धि पर हस्ताक्षर हुए अभी अधिक समय भी नहीं हुआ था कि ब्रिटिश सरकार ने जोधपुर के आन्तरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने का प्रयत्न किया। जैसे ही १८१८ की सन्धि पर हस्ताक्षर सम्पन्न हुए ऐसा विश्वास किया जाने लगा था कि जोधपुर महाराजा मानसिंह अपना आन्तरिक समर्थन छोड़ चुके हैं। फरवरी १८१८ में महाराजा मानसिंह ने ब्रिटेन से सहायता मागने की इच्छा प्रकट की और इन सैनिक दृष्टियों का खर्चा बरदाश्त करने की इच्छा भी प्रकट की। परन्तु उनका कहना यह था कि यह सेनाएँ उनके स्वयं के आदेशों के अनुरूप कार्य करेंगी और अननुष्ठित जागीरदारों एवं ठाकुरों को दवाने में जोधपुर महाराजा की सहायता करेंगी। ब्रिटिश एजेन्ट प्रोक्टर लोनी ब्रिटिश हस्तक्षेप का समर्थन था परन्तु इसके पहले कि सहायता सेनाएँ भेजी जाएँ वह राज्य की वास्तविक स्थिति का जायजा ले लेना चाहता था। इसलिए प्रोक्टर लोनी ने अपने प्रधान मुन्शी बरकत अली को जोधपुर की स्थिति का वास्तविक पता लगाने के लिए भेजा। इसी बीच जोधपुर के आन्तरिक स्थिति दिनोदिन बिगड़ने लगी और महाराजा के विरोधी और प्रतिस्पर्धी पंतेहराज ने जोधपुर सेनाओं के समर्थन में सन्तुष्ट जहूर पर अपना प्रभावकारी नियंत्रण स्थापित कर दिया। व्यवहार में महाराजा और उनके सन्तुष्टों का सम्बन्ध केवल क्रिमे तक सीमित रह गया। इस स्थिति में बरकत

श्री जोधपुर पहुँचा, बरकत खानी इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि वास्तव में महाराजा मानसिक दृष्टि से बिल्कुल ठीक हैं। बरकत खानी ने महाराजा की पुनः सत्ता स्थापित करने के लिए अपनी रेजीडेंट की ओर से सहायता का आश्वासन दिया। परन्तु बरकत खानी की बातचीत से महाराजा मानसिंह को यह संदेह हुआ कि सम्भव मित्रता और सहायता के नाम पर ब्रिटेन उनकी स्वतंत्रता और राज्य के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहता है। अतः महाराजा ने ब्रिटिश सहायता के प्रस्ताव को मञ्जतापूर्वक ठुकरा दिया परन्तु अपने जागीरदारों एवं अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों पर इस प्रकार का प्रभाव पड़ना लगा कि ब्रिटिश सरकार उन्हें ही राज्य का वास्तविक शासक समझती है। महाराजा मानसिंह के इस प्रयत्न ने जोधपुर के अन्य ठाकुर और जागीरदारों की स्वामीभक्ति भी प्राप्त कर ली।

बरकत खानी की रिपोर्ट पर ब्रिटिश सरकार ने अजमेर के सुपरिटेन्डेन्ट एम० विलडर को जोधपुर की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए भेजा। जोधपुर में विलडर के ठहरने के दौरान महाराजा ने पुनः इस प्रकार का आचरण किया कि ब्रिटिश सरकार उन्हें ही जोधपुर का सर्वे सर्वा मानती है और इस प्रकार अपने असंतुष्ट जागीरदारों पर अपना प्रभाव जमाने की चेष्टा की। एम० विलडर ने महाराजा को ब्रिटेन की ओर से सशस्त्र सहायता देने का पुनः प्रस्ताव किया परन्तु महाराजा ने पुनः मञ्जतापूर्वक इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया।

१८२१ में जोधपुर के असंतुष्ट ठाकुरों एवं जागीरदारों ने ब्रिटिश एजेंट ब्रैडन टॉड को महाराजा के विरुद्ध शिकायतों का एक मेमोरेण्डम प्रस्तुत किया। इसी बीच महाराजा ने जोधपुर के अनेक असंतुष्ट ठाकुरों एवं जागीरदारों को राज्य से निष्कासित कर दिया गया था। अतः ब्रिटिश एजेंट घोस्टर लोनी ने महाराजा को परामर्श दिया कि वह इन निष्कासित ठाकुरों एवं जागीरदारों को क्षमा पाचना प्रदान करें। महाराजा ने ब्रिटिश सरकार को विश्वास दिलाया कि वे इन ठाकुरों और जागीरदारों की शिकायतों पर अवश्य विचार करेंगे यदि वे उनसे प्रत्यक्ष बातचीत करें। तदनुसार ब्रिटिश रेजीडेंट ने इन असंतुष्ट ठाकुरों को यह परामर्श दिया कि वे जोधपुर वापिस लौट जाएँ और महाराजा से सीधी बातचीत करें। साथ ही साथ उन्हें यह भी आश्वासन दिया गया कि इस यात्रा के दौरान उनके जीवन और सम्मान की रक्षा

की जाएगी। परन्तु इन असन्तुष्ट जागीरदारों और ठाकुरों को महाराजा के आदेश से रास्ते से ही बिरफ्तार कर दिया गया। यद्यपि कुछ समय बाद इन्हें रिहा भी कर दिया गया था। इस घटना ने ओम्हर लोनी को महाराजा के खिलाफ बहुत अधिक असन्तुष्ट कर दिया। उन्होंने महाराजा को ब्रिटेन की 'नाराजगी' भी प्रकट की। साथ ही साथ एक० विलडर को जोधपुर की स्थिति का जायजा लेने के लिए पुन भेजा गया। महाराजा जोधपुर और विलडर के मध्य बातचीत करते ही लगावपूर्ण बातवचरण में हुई। महाराजा का कहना था कि १८१८ की संधि के अनुसार ब्रिटेन उनके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अतः महाराजा ने भावा, भावीर, विजेय और रास के ठाकुरों को पुन जागीरें दे दीं और ब्रिटेन से पुन इस आश्वासना की मांग की कि ब्रिटिश सरकार उनके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। एक० विलडर ने ब्रिटिश सरकार की ओर से महाराजा को आश्वासन दिया कि उनके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। यद्यपि ओम्हर लोनी एक० विलडर के इस वाचरण से असन्तुष्ट नहीं था परन्तु क्योंकि विलडर वचन दे चुका था अतः गवर्नर जनरल ने उसकी वचन की रक्षा करने का निश्चय किया। १८२४ में महाराजा और उनके जागीरदारों के मध्य पुन विवाद उत्पन्न हो गया। ब्रिटिश सरकार जोधपुर के ठाकुरों का पक्ष ले रही थी परन्तु ब्रिटिश रेजिडेन्ट यह नहीं चाहता था कि वह असन्तुष्ट जागीरदारों और ठाकुरों की तरफ से पुन हस्तक्षेप करे इसी बीच स्थिति पुन बदली और जोधपुर के असन्तुष्ट ठाकुर धोकलसिंह ने जोधपुर क्षेत्र में प्रवेश किया और डीवाना पर आधिपत्य जमा लिया। महाराजा मानसिंह ने ब्रिटिश सहायता की मांग की। परन्तु ब्रिटिश सरकार उस समय तक सहायता के लिए कोई भी वचन देने के लिए तैयार नहीं थी जबतक कि महाराजा अपने समस्त विवाद ब्रिटिश सरकार के सम्मुख पत्र निर्णय के लिए रखने को तैयार न हो जाए। धोकलसिंह नेइना तरु जा पट्टया और अथ स्थिति ने काफी नफरत रूप धारण कर लिया, परिणामतः महाराजा मानसिंह इस बात के लिए तैयार हो गए कि उनके वह जागीरदारों के मध्य विवाद को ब्रिटिश सरकार के पत्र निर्णय के लिए प्रस्तुत कर दिया जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने धोकलसिंह पर दबाव डाला कि वह अपनी सैन्य जोधपुर में हटाने, धोकलसिंह ने जोधपुर प्रदेश से अपनी सैन्य हटानी और इस प्रकार बोधे समय के लिए जोधपुर में आधिपत्य छोड़नी हो गयी।

बीकानेर में हस्तक्षेप

जोधपुर के समान ही बीकानेर में भी राजा और जागीरदारों के मध्य कटुता और बैमनस्यता का वातावरण था। जागीरदार राजा के आदेश को चुनौती देते थे और इस प्रकार शांति और व्यवस्था को चाहे जब छठरा उत्पन्न हो जाता था। तदनुसार १८१८ की संधि के पश्चात् बीकानेर महाराजा ने अपने विद्रोही जागीरदारों को दवाने के लिए ब्रिटेन से सशस्त्र सहायता का अनुरोध किया। ब्रिटेन भी बीकानेर में शक्ति रखना था क्योंकि भागलपुर तक व्यापार करने का यह सीमा मार्ग था। मत्र ब्रिटिश रेजीडेंट में एक घुड़सवार सना बीकानेर भेज दी जिसने तुरत भीमा जाहान सानुन और बैरोड इनको पर अपना नियंत्रण स्थापित किया लेकिन इसी बीच फतेहाबाद और सिरसा में भाटियों ने विद्रोह कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने अपने हस्तक्षेप का यह स्वल्प अवसर समझा। ब्रिटिश सना को आदेश दिया गए कि वह फतेहाबाद और सिरसा पर पुन आधिपत्य स्थापित कर ले और फिर बीकानेर-क्षेत्र में प्रवेश करने। ब्रिटेनद्वारा घरनोन्द के ननुच में ब्रिटिश सेना ने बीकानेर के प्रमुख इलाकों पर जैसे ददरेवा सिदकोह बिरसीना डुरु, अरिया मुतुकना और गदेली पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। महाराजा की सनाओं के भी इस कायवाही में ब्रिटिश सना की सहायता की परन्तु असन्तुष्ट जागीरदारों के नेता ठाकुर पृथ्वीसिंह के द्वारा इस कायवाही का घोर विरोध किया गया। मत्र ठाकुर पृथ्वीसिंह को जिला छोड़ना पडा और बीकानेर महाराजा में उसने क्षमा-याचना की। इसी प्रकार ददरेवा के ठाकुर मूरदनन ने भी भारत समपण कर दिया और शलावटी की घोर भाग गया। गदेली भरिया मिरसीना और चुरु के ठाकुरों ने भी समपण कर दिया और इस प्रकार ब्रिटिश सैनिक सहायता के परिणाम स्वरूप बीकानेर में शांति और व्यवस्था स्थापित हो गई।

१८२५ के बाद ब्रिटेन की नीति

कोटा जयपुर उज्जयपुर, अजमेर और भरतपुर तथा जोधपुर की घटनाओं ने ब्रिटिश सरकार पर अनेक प्रकार की जिम्मेदारियों डाल दी थी। जैसाकि हम देव चुके हैं इन राज्यों के आन्तरिक मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप ने ब्रिटेन के प्रति विरोध को जन्म दिया था। वास्तव में १८१८ में जब राजस्थान के अनेक राज्यों के साथ विभिन्न संधियाँ की गई थीं तो ब्रिटिश

सरकार ने यह सभी नतीजे बिना ही कि उन दम प्रकाश की कठिन शिष्टी का मानना करना होता। ऐसी अवस्था में १८२५ के बाद ब्रिटेन की नीति में पुन परिवर्तन के लक्षण दिखाई दिए। मेटकाफ ने पुन अपने आदेश जारी किए कि जहाँ तक सम्भव हो सके व आंतरिक मामला में हस्तक्षेप न किया जाए। यही कारण है कि १८२९ में जब बंगाल की महाराजगी ने मोटरगम की शरणा मुल्लावार नियुक्त किया तब ब्रिटिश सरकार ने बिना किसी हस्तक्षेप के मोटरगम की नियुक्ति का अनुमोदन कर दिया। इसी प्रकार उदयपुर में भी महाराजा के आंतरिक कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। बीकानेर और जोधपुर के प्रति भी यही नीति अपनाई गई। मध्य में १८२५ के बाद ब्रिटेन ने एक बार पुन अहमशेख की नीति का अनुसरण किया और इस प्रकार अनावश्यक रूप से राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का निश्चय किया। इसी बीच १८३२ में भारत के नये गवर्नर जनरल लार्ड विलियम बेंटिन सरकार पाये।

बेंटिन की नीति

बेंटिन ने यद्यपि मेटकाफ की अहमशेख की नीति का समर्थन किया परन्तु उन्होंने इसका कड़ाई से पालन करने में इन्कार कर दिया। मध्य में, बेंटिन की नीति को 'मुविदा' की नीति कहा जा सकता है क्योंकि जहाँ आवश्यक हो वहाँ हस्तक्षेप करने के लिए गवर्नर जनरल तैयार थे। १८३२ में गवर्नर जनरल बेंटिन ने मद्रास में एक देशी राजाओं का दरबार आयोजित किया जिसमें टीक के नवाब अमीरशा, उदयपुर के महाराजा जवानसिंह, जयपुर के महाराजा जयसिंह, कोटा के महाराज रामसिंह, विजयनगर के महाराजा कल्याणसिंह और बूंदी के महाराज रामसिंह ने भाग लिया। बीकानेर और जयपुर के महाराजा बहुत अधिक दूरी के कारण उपस्थित नहीं हो सके और जोधपुर के महाराजा मानसिंह अपने राज्य की आंतरिक स्थिति के कारण मन्मथित नहीं हो पाए। इस अवसर पर राजाओं ने ब्रिटिश सरकार से यह अनुरोध किया कि वे उनके राज्यों में पड़ने वाली कठिनाईयों और लोगों के आक्रमण से उनकी रक्षा करें साथ ही साथ यह भी अनुरोध किया गया कि विभिन्न राज्यों के क्षायी विवादों को सुलझाने में भी ब्रिटिश सरकार अपने प्रभाव का उपयोग करें। परन्तु गवर्नर जनरल लार्ड बेंटिन ने इन अनुरोधों को मानने से इन्कार कर दिया। उनका कहना था यह राज्यों का

घटना आन्तरिक मामला है और उन्हें ही घपनी स्थिति को सभालना चाहिए। परन्तु इन सबके बावजूद जोधपुर की स्थिति बहुत अधिक गभीर बनती जा रही थी ऐसा विश्वास किया जाता है कि जोधपुर के महाराजा नाथो के प्रभाव में थे। साथ ही साथ वे अन्य राजाओं के साथ मिलकर ब्रिटेन के विरुद्ध एक मोर्चा भी बनाना चाहते थे। यह भी अफवाह थी कि जोधपुर महाराजा इस और फारम के साथ मिलकर ब्रिटेन का विरोध करना चाह रहे हैं ऐसी अवस्था में ब्रिटिश सरकार जोधपुर में हस्तक्षेप करने का बहाना ढूँढ रही थी।

जोधपुर में हस्तक्षेप

सन् २ अगस्त १८३६ को ब्रिगेडियर रीस के नेतृत्व में ब्रिटेन की सशस्त्र सेना ने जोधपुर सीमा का उल्लंघन कर राज्य में प्रवेश किया। जोधपुर महाराजा ने ब्रिटेन की सभी मांगों को स्वीकार करने हुए २७ सितम्बर १८३६ को किला खाली कर दिया और इस प्रकार ब्रिटिश विरोधी महाराजा की सत्ता ब्रिटेन की सत्ता के समक्ष झुकना पड़ा। इसी प्रकार जयपुर और शेखावाटी इलाकों में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर क्षेत्र शास्त्र के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने प्रवेश किया और शेखावाटी-क्षेत्र के कुस्मात लुटेरे डूंगरसिंह उर्फ डूंगरी को गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार देशी राज्यों में शांति और व्यवस्था के नाम पर ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप उत्तरोत्तर बढ़ता गया।

लार्ड डलहौजी की नीति और राजस्थान के राजा

जब भारत के गवर्नर जनरल लार्ड डलहौजी बन। उन्होंने एक नई नीति का सूत्रपात किया जिसे 'राज्यों का विलय' की नीति के नाम से पुकारा जाता है। इस नीति का मुख्य आधार यह था कि यदि देशी रियासत के राजा को नियमानुसार मृत्यु हो जाय तो उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार के अनुमोदन पर ही हो सकेगी और यदि कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो उस परिस्थिति में उस रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जायगा। लार्ड डलहौजी की इस नीति ने राजस्थान के राजाओं को चिन्तित कर दिया। उदाहरणतः १० जुलाई १८५२ को करौली के महाराजा नरसिंह पाल की मृत्यु हुई। लार्ड डलहौजी ने प्रस्ताव किया कि करौली रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाय परन्तु कोर्ट ऑफ इंडियन ने गवर्नर

अदालत के इस प्रस्ताव को मानने से इन्कार कर दिया। इसी प्रकार ब्रिटिश सरकार के द्वारा मानगान की करौली महाराज के रूप में मान्यता प्रदान करने से इन्कार कर दिया। मधेप में, ब्रिटिश सरकार को इन गतिविधियों ने बड़े स्पष्ट कर दिया कि वे देशी रियासतों को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रचना चाहते हैं। ब्रिटेन की इन नीति ने राजाओं को भी उसी वास्तविक स्थिति का ज्ञान कर दिया। अब वे समझ गये कि, सच्चे शासकों में वे ब्रिटेन के हाथों में बछपुतनी बन चुके हैं।

इस प्रकार राजस्थान में ब्रिटेन का प्रभाव-क्षेत्र स्थापित होना गया। विभिन्न देशी रियासतों के छाने और महाराजे नाममात्र के शासक रह गये। वास्तविक सत्ता ब्रिटेन के हाथों में जा चुकी थी लेकिन इन सबके बावजूद जयपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर में ब्रिटेन के हस्तक्षेप की नीति का जो मुना विरोध किया गया वह हम जान का प्रतीक था कि अजना, जागीरदार और राजे ब्रिटेन की सत्ता को सहर्ष रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। वास्तव में वे आन्तरिक शासकों में ब्रिटेन का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं यही कारण है कि १८५७ में जब भारत में पहली बार ब्रिटेन की सत्ता को चुनौती दी गई तो देशी राजे और जागीरदारों ने भी ब्रिटीशों का साथ दिया। वह राजनैतिक चेतना की आरम्भिक अवस्था थी परन्तु ब्रिटिश विरोधी भावना के बीज अक्सर पड़ चुके थे, समय और परिस्थिति के अनुसार वे धीरे-धीरे विकसित हो गए।

१८५७ का विप्लव और राजस्थान

इस प्रकार राजस्थान में व्याप्त अराजक स्थिति ने १९ वीं शताब्दी के आरम्भ में राजपूताना के राज्यों को ब्रिटिश समर्थन प्राप्त करने के लिए बाध्य कर दिया। एक प्रकार से राजस्थान के सभी राज्य किसी न किसी रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि या समझौता कर चुके थे परन्तु इन संधि के बावजूद उनके आंतरिक गतिरोध समाप्त नहीं हुए। उत्तराधिकार का पश्न और विशेष अधिकार के प्रश्न पर जागीरदारी और राजाओं के मध्य संघर्ष बराबर चलता रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अनेक राज्यों में सशस्त्र हस्तक्षेप भी किया गया परन्तु कुछ समय तक शांति और व्यवस्था के बाद स्थिति पुनः विगड़ती रही। इस प्रकार जब राजस्थान में आंतरिक अशांति और अन्यवस्था फैली हुई थी उसी समय भारत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में आतावरण बनता दिखाई दे रहा था।

जब भारत में १८५७ का विद्रोह फैला उस समय राजस्थान में एजेन्ट गर्बनर जनरल सार्वेन थे। साथ ही साथ विभिन्न राज्यों में ब्रिटन के रेजीडेन्ट भी नियुक्त किए जा चुके थे, उदाहरणतः उदयपुर में कॅप्टन सी० एल० शावर्स, जयपुर में कॅप्टन विलियम ईडन, जोधपुर में कॅप्टन भास्कर भस्कर, कोटा में मेजर बर्टन और भरतपुर में मेजर निकमन थे। राजस्थान में मुख्यतः चार सैनिक छावनियाँ थीं जो नसीराबाद, नीमच, देवली और छत्रमेर में स्थित थीं। नसीराबाद में नेटिव होम फौल्ड बँटरी नंबर ६, पण्डहवीं और तीसवीं बंगाल नेटिव इन्फेन्ट्री और फर्स्ट बोम्बे रेजिमेंटरी नियुक्त थीं। नीमच में चौथी ड्रग फर्स्ट रिजिमेंट बंगाल नेटिव होम फौल्डरी, फर्स्ट बंगाल रेजिमेंटरी, बहतरवीं

बगाल इन्फेन्ट्री और मान्डी इन्फेन्ट्री शामिल कर निकुल थी। देवगी में घोर कोटा में जो इन्ही प्रकार कुछ ब्रिटिश टुकड़ियाँ लंघान थीं। इनके प्रतिरिक्त एरनपुग ब्यावर और सेरवाडा में भी इन टुकड़ियों के साथ-साथ फर्स्ट बगाल रेजिमेंटरी भी निकुल थी। अजमेर में फर्रुखी बगाल रेजिमेंटरी और मेरवाडा बटालियन लंघान थी। इन्ही प्रकार जयपुर हाडोनी, जोषपुर और नीमच में भी कुछ टुकड़ियाँ लंघान थीं तबिन् इतना स्पष्ट है कि विद्रोह के समय मयूचे राजस्थान में एक भी यूरोपीय सिपाही लंघान नहीं था। यही कारण है कि जब राजस्थान में भी १८५७ के विद्रोह की घाग फैली तो ब्रिटिश सरकार चिन्तित हो उठी।

मेरठ और दिल्ली में सैनिक विद्रोह के समाचार राजस्थान में १६ मई, १८५७ को उम समय पहुँचे जहाँ एजेन्ट गवर्नर जनरल सार्वेण भाउण्ट पाहु में सभियों की जुट्टियाँ बना गये थे। यह समाचार मिलने ही कि मेरठ और दिल्ली में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह हो गया है जनरल सार्वेण ने भी राजस्थान में अनेक ऐसे आदेश जारी किए जिनमें कि यदि कभी राजस्थान में भी विद्रोह की घाग फैल तो उसका सामना किया जा सके। २१ मई, १८५७ को एजेन्ट गवर्नर जनरल ने दीमा में यूरोपीय सेना को तत्काल नसीमगड भेजे जाने का आदेश दिया। साथ ही साथ अम्बई सरकार से भी यह प्रार्थना की गई कि वह यूरोपीय सेना की कुछ टुकड़ियाँ तत्काल राजस्थान को भेज दे। २३ मई १८५७ को एजेन्ट गवर्नर जनरल ने एक घोषणा प्रसारित की जिसमें राजस्थान के सभी राजाओं और प्रमुख जागीरदारों में यह अनुरोध किया गया कि वे अपने धर्म क्षत्रा में शान्ति बनाए रखेंगे और ब्रिटिश विद्रोहियों को पकड़ने में ब्रिटेन की सहायता करेंगे।

देसी राजाओं का ब्रिटेन को सक्रिय सहयोग

एजेन्ट गवर्नर जनरल के सहयोग की धीन पर राजस्थान के सभी राजाओं ने ब्रिटेन की सहायता और सहयोग का आश्वासन दिया। विद्रोहियों के महासत्र में भाग लेने की वि दिल्ली का विद्रोह बहुत जल्द ही समाप्त हो जायगा इन्ही प्रकार जयपुर के महाराजा न पोलिटिकल एजेन्ट फ्रैंकल ईडन को हर प्रकार की सहायता का वचन दिया महा सत्र नि फ्रैंकल ईडन के नेतृत्व में पाच हजार ब्रिटिश सैनिकों को जयपुर भेजने में होकर मयुरा और गुडगांव जाने तथा वहाँ पर नागरिक प्रशासन को स्थापित करने में मदद देने के लिए

अपनी सीमा का उपयोग करने की अनुमति दे दी। महाराजा भलवर ने भी दो हजार पांच सौ ध्यक्तियों को भेजकर कैंप्टन निक्सन की सहायता की। इसी प्रकार जोधपुर के महाराजा ने भी अपने २००० पुइसवार और पदयात्री सेना व ६ तोपों को एजेंट गवर्नर जनरल की सहायता के लिए समर्पित कर दिया। साथ ही साथ महाराणा स्वरूपसिंह (जयपुर) ने ब्रिटेन से समर्थन की स्पष्ट घोषणा की और जून १८५७ में राज्य के जागीरदारों के नाम एक अपील प्रसारित की जिसमें यह अनुरोध किया गया कि वह ब्रिटेन की हर प्रकार से सहायता करे। यह अपील खाम तौर से देवल, बागरा सनुम्बर बनोता और जनमाना के जागीरदारों से भी की गई। यही नहीं महाराणाओं ने अपनी मभस्य सेना तात्कालिक पोलिटिकल एजेंट कैंप्टन सी० एल० शावरु के अनुरोध पर छोटी ही और २७ मई १८५७ को एक और विशेष अपील प्रसारित की जिसमें पुनः यह अनुरोध किया गया था कि शावरु के आदेशों को महाराणा के आदेश माने जाए और उसी के अनुरूप आचरण किया जाय। अक्टूबर १८५७ को महाराणा ने घोषणा पत्रारवा जावाम भू लोन और चानी आदि के मुखियाओं के नाम एक परवाना जारी किया जिसमें उन्हें निर्देश दिया गया था कि खेरवाडा और कोटरा में ब्रिटेन की सेनाओं की हर सम्भव सहायता की जाय और पहाड़ी इलाकों में किसी भी प्रकार का विद्रोह न होने दिया जाय।

नसीराबाद में विद्रोह

राजस्थान में १८५७ के विद्रोह का सकेन नसीराबाद से आरम्भ हुआ। २८ मई १८५७ को शाम के ४ बजे नसीराबाद में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। ब्रिटेन की ओर से नसीराबाद स्थित सेनाओं को निरास्त करने के प्रयास ने आग में घी का काम किया। ऐसी अवस्थाएँ भी फैल रही थी कि सैनिकों को जो घाटा दिया जाता है और जो कारखाने काम में आने के लिए दिए जाते हैं उसमें गऊ का मांस मिलाया जाता है। २७ मई को यह भी समाचार फैला कि बीसा के शैरोपीय सैनिकों की एक टुकड़ी नसीराबाद आ रही है जो बहा स्थित सैनिकों का स्थान लेगी। इस समाचार ने ब्रिटिश विरोधी भावना को चरम सीमा पर पहुँचा दिया। नसीराबाद की स्थिति बिगड़ने लगी। सैनिकों ने विद्रोह कर दिया परन्तु फस्ट रेजीमेन्ट बोम्बे लांसर्स ने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया और ब्रिटिश आदेश का पालन करते हुए उन पर गोली चलाई परन्तु साइंट एच गनेडियर कंपनी ने गोली चलाने से इन्कार कर

दिया। डिप्टीयर मेजर काने पोरोंदियन माफियों के साथ पीछे हटने की बाध्य हुआ, साथ ही कर्नल पंकी जो रि कार्पे कमान्डर थे—बटनाम्बल पर ही मर गए। मम्मनन इसका कारण उनका नाश हो जाता है। दो अन्य ब्रिटिश अधिकारियों की भी मृत्यु ही गई और दो घायल हो गए, और इसके साथ ही नमीराबाद विप्लवकारियों के हाथों में चला गया। दूसरे दिन विप्लवकारियों ने नमीराबाद छावनी को नष्ट कर दिया और दिल्ली की ओर प्रस्थान किया।

सेप्टीमेट मास्टर तथा लेफ्टीनेंट हेयकोट के नेतृत्व में लगभग एक हजार मेवाड़ के सैनिकों ने विप्लवकारियों का पीछा किया परन्तु उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। मभवत इसका कारण यह था कि मेवाड़ और मारवाड़ के जागीरदारों ने नमीराबाद के विप्लवकारियों की भयन प्रदेश में से आसानी से गुजर जाने दिया। यह तथ्य इस बात का सबूत था कि मेवाड़ और मारवाड़ की महानुमति विप्लवकारियों के साथ थी।

नीमच में विप्लव

राजस्थान में विप्लव का दूसरा स्थान नीमच बना, जहाँ ३ जून, १९१७ को क्रांति फूट पड़ी। २ जून को कर्नल प्रबोटे ने हिल्स और मुसलमान निगाहिया को मरा और कुंगन की सहाय्य दिखाई की कि वे ब्रिटिश शासन के प्रति बकादार रहेंगे, कर्नल प्रबोटे ने स्वयं ने भी बाइकिंग को हाथ में लेकर सहाय्य की थी, जिससे कि वह अपने प्रयोग निगाहियों का पूर्ण विश्वास प्राप्त कर सकें परन्तु जब ३ जून, १९१७ को नमीराबाद के विप्लव का समाचार नीमच पहुँचा तो उसी दिन रात्रि के ११ बजे बड़ा भी विप्लव हो गया। स्थल सेना ने ममूचो छावनी को घेर लिया और उसकी प्राग लगा दी। यहाँ तक कि डिप्टीयर मेजर के जाने तक की प्राग लगा दी गई। बगलों पर तैनात सैनिकों ने विप्लवकारियों पर गोली चलाते में इन्कार कर दिया और कुछ समय बाद वे भी उनके साथ मिल गए। ऐसा विश्वास किया जाता है कि २ मियात तत्काल मृत्यु को प्राप्त हुई और घनक बच्चों को घमि की ज्वाना के घोंट कर दिया गया। ब्रिटिश स्त्री गुरुप और बच्चे जो लगभग संख्या ४० के विप्लवकारियों के द्वारा घेर लिए गए। यदि उदयपुर (मेवाड़) के सैनिक उचित समय पर सहायता के लिए न पहुँचे होते तो संभवतः उनका जीवन भी समाप्त हो जाता। २ जून को विप्लवकारियों ने प्रागरा होल हुए दिल्ली के

लिए प्रस्थान किया। उन्होंने आगरा जेल में बंध सभी बंदियों को मुक्त कर दिया और सरकारी सजाने में से एक लाख छब्बीस हजार नौ सौ सवाए नूटकर साथ ले चले, परंतु आगरा का प्रमुख सबर बाजार अछूता रहा।

उदयपुर महाराणा द्वारा ब्रिटिश शरणाधिकियों के प्रति सहानुभूति

जो योरोपीय विप्लवकारियों के हाथों बचकर सकुशल उदयपुर पहुंच गए थे उनका महाराणा ने बहुत ही हादिक सत्कार किया। योरोपीय शरणाधिकियों को पीछोला भीत स्थित जग मंदिर में शरण दी गई और उदयपुर के प्रधान गोकुलचन्द्र मेहता को विश्रपत उनकी देवभाल के लिए नियुक्त किया गया। तात्कालिक ब्रिटिश कप्तान एनेसले ने ब्रिटिश पोलिटिकल एजेन्ट कैप्टन कप्तान सी० एल० शावर्स को अपनी रिपोर्ट भेजते हुए कहा था 'महाराणा ने ध्यनिगत रूप से हमारी दखभान में रुचि ली, उन्होंने प्रत्येक योरोपीय बालक को स्वयं अपने हाथ से दो दो सोने की मोहरें प्रदान की, सायकाल पुन यह बच्चे महाराणा की सेवा में उपस्थित किए गए जहां महाराणा ने पुन अपने और महाराणी के नाम पर दो दो स्वर्ण मुहरें और दी। वास्तव में महाराणा की दया और स्नागत सत्कार को भूला नहीं जा सकता।' ब्रिटिश सरकार ने महाराणा द्वारा दिए गए संरक्षण का विशेष रूप से 'धन्यवाद' दिया।

देवली छावनी का नष्ट किया जाना

नीमच के विप्लवकारी देवली भी पहुंच और उन्होंने छावनी को घात लगा दी। ऐसा विश्वास किया जाता है कि देवली छावनी में कोई भी ब्रिटिश सैनिक हताहत नहीं हुआ क्योंकि छावनी को पहुंचे ही खाली किया जा चुका था और वहां से ब्रिटिश अधिकारियों को भेवाड़ स्थित जहाजपुर बस्ते में बसा दिया गया था। विप्लवकारियों ने कोम्प रेजीमेन्ट के ६० व्यक्तियों को देवली छावनी से अपने साथ चलन के लिए बाध्य किया परंतु रास्ते में ये सैनिक भाग निकलने में सफल हो गए और कुछ दिनों पश्चात् वापिस देवली पहुंच गए।

भासवास के अग्र स्थाना की स्थिति भी विस्फोटक होती जा रही थी। मानवा, महु सलुम्बर इत्यादि स्थानों पर भी विप्लवकारियों के घातमल टडते जा रहे थे। उदयपुर स्थित खेरवाडा और सलुम्बर की स्थिति इतनी अधिक नाजुक बन चुकी थी कि कैप्टन मावस के विचार में इन क्षेत्रों की रक्षा करना बहुत मुश्किल हो गया था।

मजमेर जेल में विद्रोह

इसी बीच ६ मजमेर को मजमेर स्थित केन्द्रीय कारागृह में कैदियों ने विद्रोह कर दिया और लगभग ५० कैदी जेल से भाग छूटे। इस घटना के बावजूद गृह पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा और स्थिति सामान्य बनी रही। नगर पुलिस ने कैदियों का पीछा किया और उन्हे स अधिकारों को मार डाला। इस घटना में विशेष गहत्वपूर्ण बात यह थी कि मजमेर नगर के मुसलमानों ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया और अपने भाषकों विप्लव से विस्तृत दूर रखा।

नसीराबाद में पुन विप्लव

१२ जून, १९५७ को बीजा से यूरोपीय सेनाओं की प्रथम टुकड़ी नसीराबाद पहुँची और १० जुलाई १९५७ को एजेन्ट गवर्नर जनरल के द्वारा इस टुकड़ी को नीमच भेज दिया गया। इस घटना ने नसीराबाद स्थित सैनिकों में पुन असंतोच को जन्म दिया। १२ बी बम्बई मेट्रिक इन्फेण्ट्री के सैनिक प्रत्यक्ष उत्तेजित हो उठे, परन्तु वह शीघ्र ही नि शस्त्र कर दिया गया। १० अगस्त, १९५७ को बम्बई कैम्परी के सैनिकों ने अपने कमांडर के आदेश को मानने से इंकार कर दिया और अपने अन्य साथियों को भी अपना अनुसरण करने को कहा परन्तु ब्रिटिश सरकार ने बड़ी कदम उठाए। एक सैनिक को तत्काल गोली मार दी गई। पांच और सैनिकों को फाँसी पर लटका दिया गया तथा शेष सभी भारतीय सैनिकों को नि शस्त्र कर दिया गया। इस प्रकार नसीराबाद में पुन मुसलमानी हई विप्लव की भाग को तत्काल दबा दिया गया।

नीमच में पुन विप्लव

१२ अगस्त, १९५७ को नीमच में द्वितीय कैम्परी के कमांडर कर्नल जेम्सन ने इस सूचना के आधार पर कि भारतीय सेना में विद्रोह होने वाला है और उनकी योजना समस्त यूरोपीय अधिकारियों की हत्या कर देने की है, यूरोपीय सैनिकों को मुक्त भेजा। इस घटना ने नीमच स्थित भारतीय सैनिकों को उत्तेजित कर दिया और परिणामतः वहाँ पुन अग्नि की ज्वालाएँ धमकने लगी। इस उत्तेजना में एक यूरोपीय सिपाही की हत्या कर दी गई। दो अन्य सिपाही घायल हुए और सैप्टीमेट जिल्डेयर जिसी यूरोपीय की बदन से ही घायल हो गए। सैनिकों ने कर्नल जेम्सन के आदेश का पालन करने में इन्कार

कर दिया। यहाँ तक कि यूरोपीय अधिकारियों के मध्य भी आदेश दिए जाने सम्बन्धी घाद विवाद उठ खड़े हुए अतः यह निश्चय किया गया कि नीमच के विप्लवकारियों को दबाने के लिए और अधिक सैनिक बुलाए जाएँ। परन्तु इसी बीच उदयपुर के सैनिकों की सहायता से विप्लव को दबा दिया गया।

राव बाबल का व्यवहार

इस सन्दर्भ में नीमच स्थित बाबल के० राव का व्यवहार और उनकी भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण रही। ४ जून, १८५८ को नीमच के कार्यकारी अधीक्षक मिस्टर बर्टन ने बाबल के० राव से भेंट की। मिस्टर बर्टन के अनुसार बाबल के० राव का व्यवहार उनके प्रति बहुत ही अधिक प्रमत्तपूर्ण था। यहाँ तक कि राव ने यूरोपीय सैनिक मगवा यूरोपीय नागरिकों की रक्षा का भार भी लेने से इन्कार कर दिया। यद्यपि नीमच के विप्लव को कुचल दिया गया था परन्तु कुछ ही दूर स्थित मदसौर में विप्लवकारी पुनः एकत्रित हो रहे थे और उनकी यह योजना थी कि मोहरम के तत्काल पश्चात् नीमच पर पुनः हमला किया जाए। मदसौर के गहजादा भी विप्लवकारियों के साथ थे और नीमच पर आक्रमण करने में सहायता देने के लिए अपने स्तर पर सैनिकों को भर्ती कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस विप्लव को कुचलने के लिए कठोरतम उपाय अपनाए गए। द्वितीय बर्बई वेवेलरी के ३ व्यक्तियों को ११ सितम्बर, १८५७ को फाँसी के फंदे पर लटवा दिया गया और अन्य सैनिकों को आदेश दिया कि वे इस घटना की साक्षी के रूप में परेड करें।

८ नवम्बर, १८५७ को विप्लवकारियों ने नीमच पर पुनः आक्रमण करने के लिए प्रस्थान किया। लगभग चार घंटे तक ब्रिटिश सैनिकों ने इन विप्लवकारियों का सामना किया परन्तु उन्हें अन्ततः पीछे हटना पड़ा। अन्यथा यह निश्चित था कि ब्रिटेन की अधिकांश सना को भारी क्षति पहुँचती। इसी बीच मदसौर के गहजादे ने एक "परवाना" जारी किया जिसमें प्रत्येक हिंदू और मुसलमान से अपील की गई थी कि वह विप्लवकारियों का साथ दे और घर्षकों को भारत से निकालने में अपना योगदान दे। लगभग १५ दिन के नीमच के घेरे के बाद जब और ब्रिटिश कुमुक ब्रिटिश सहायता के लिए पहुँचे तो विप्लवकारियों की घेरा उठाना पड़ा। परन्तु उन्होंने हटते-हटते भी दो ब्रिटिश अधिकारियों को मार डाला और घनेवों को घायल कर दिया।

इसी बीच २१ अगस्त को माउन्ट प्रान्त स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी ने शानि कर दी। साथ ही साथ उन्होंने यूरोपीय अधिकारियों पर मानस्य किया जिसमें सैप्टेन ह्यार, ए० लारेन्स तथा एजेन्ट गवर्नर जनरल के पुत्र भीतर रूप से शामिल हुए। विप्लवकारियों ने अपने साथ मुद्रा बनाने को लिया और वे एरनपुरा की तरफ खाना हुए तत्पश्चात् उन्होंने एरनपुरा छावनी को भी नष्ट-भ्रष्ट किया और फिर प्रजमेर की तरफ बढ गए।

विप्लवकारी और राजा में उनकी गतिविधियाँ -

अगस्त, १८५७ में शानि की ज्वालाम्प समस्त राज्य में फैलने लगी। २१ अगस्त को एरनपुरा स्थित जोधपुर सेनाओं ने विद्रोह कर दिया और उन्होंने अपने अधिकारियों के आदेश का पालन करने से इन्कार कर दिया। परिणामतः सैप्टीमेंट कारमेली को विप्लवकारियों के साथ चलने के लिए बाध्य होना पडा, पञ्चम हीन दिन पश्चात् विप्लवकारियों ने उसे रिहा कर दिया। बीन सैनिकों ने भी विप्लवकारियों का साथ दिया और ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग करने से इन्कार कर दिया। विप्लवकारियों ने अनेक ब्रिटिश नागरिक एवं अनेक परिवारों को अपनी क्षिरासन में ले लिया पश्चिम कुछ समय पश्चात् उन्हें भी रिहा कर दिया। तत्पश्चात् भावा के ठाकुर सुशाल सिंह ने भी विप्लवकारियों को सहयोग देना प्रारम्भ किया, इसका मुख्य कारण यह था कि सिद्धि कुच वर्गों से ठाकुर सुशालसिंह और जोधपुर महाराजा के भागसी मध्य तनावपूर्ण थे और वर्तमान परिस्थितियों में ठाकुर सुशालसिंह ने अक्षर से नाम उठाना चाहा।

८ सितम्बर, १८५७ को महाराजा जोधपुर की सेनाओं और विप्लवकारियों एवं भावा के ठाकुर की सरास्र सेनाओं के मध्य पानी के समीप सभ्य हुआ, महाराजा जोधपुर की सेनाओं को न केवल पराजय का ही मुह देखा पडा बल्कि उनके अग्रिकाश अक्षय-शाम्भ विप्लवकारियों के हाथ लगे। जोधपुर किले के किलेदार कमान्डर अन्तरसिंह और महाराजा के अनेक विश्वासपात्र सहयोगी इस मुद्र में काम आए, महा तक कि सैप्टीमेंट हेटकोच जिसे कि राजस्थान में ब्रिटिश एजेन्ट गवर्नर जनरल लारेन्स ने भेजा था, बड़ी मुश्किल से अपना बचाव कर सका। उसकी ममस्त सम्पत्ति विप्लवकारियों द्वारा लूट ली गई। इन गभीर परिस्थितियों को देखते हुए स्वयं जनरल लारेन्स ने भावा की ओर कूच करने का निश्चय किया। उसने स्यावर

क समीप सशस्त्र बटालियन तैयार की और छावा की छोर बन पड़ा। १८ सितम्बर को जनरल नारैन्स व नेतृत्व में ब्रिटिश सशस्त्र सभाया न छावा पर प्रसफल आक्रमण किया बिप्लवकारी सैनिकों ने न केवल आक्रमण को ही बिप्लव किया अतनु अनेक ब्रिटिश अधिकारियों का जिनमें आषपुर स्थित ब्रिटिश पालिन्किव एजेन्ट मौक मदन एव एन योगेशीय अधिकारी भी शामिल था मार डाला साथ ही साथ जोधपुर सभा के अनेक सैनिक भी बिप्लव कारियों के हाथ मारे गए और वी बना लिए गए। बिप्लवकारियों ने मौकमैसन का सर घड़ से अलग करके छावा के किन पर गटका दिया जो एक प्रकार से उनकी विजय का प्रतीक था। जनरल नारैन्स को पीछे हटना पड़ा और छावा में लगभग तीन मीन दूर एक गांव में शरण लेनी पनी तदुपरांत वह अजमेर वापिस आया। जनरल नारैन्स की परामर्श को ब्रिटिश सरकार ने अपनी गभीरता में लिया इसका कारण यह था कि इस घटना का दक्षिण राजस्थान पर व्यापक प्रभाव पड सकता था। अतः ब्रिटिश सरकार ने आदेश दिया कि हर कीमत पर छावा ठाकुर को कुचल दिया जाना चाहिए। उधर दूसरी ओर बिप्लवकारियों ने रिमानदार अन्वडूल घली अभ्यास घली ता शेष मोहम्मद बख्त और हिंदू और मुसलमान सिपाहियों के नाम पर मारवाड और मेवाड की जनता से प्रीन की कि वह उनकी हर संभव सहायता करे। ठाकुर कुमानसिंह ने भी मेवाड के प्रमुख जागीरदार ठाकुर समदसिंह से ब्रिटेन व बिप्लव सहायता देने का प्रस्ताव किया, ठाकुर समदसिंह ने और मारवाड के अनेक प्रमुख जागीरदारों ने चार हजार सैनिकों की सहायता का आश्वासन दिया। ६ अक्टूबर १८५७ को आसोप के ठाकुर यशोनाथसिंह पुलनियावाग के ठाकुर अजीनसिंह बोगावा के ठाकुर जोधसिंह वाला के ठाकुर परसिंह बमवाना के ठाकुर चानसिंह तुनगिरी के ठाकुर जगतसिंह ने दिल्ली सम्राट से सहायता देने के लिए लिखा की ओर प्रस्थान किया। ठाकुर समदसिंह ने भी उपयुक्त जागरणों का साथ दिया।

जनवरी १८५८ को ब्रिटिश मजिस्टा की सहायता करके व लिए बर्दई की सैनिक टकनी तमीगवान पडुची। माग में मिरोही व ठाकुर के प्रधीन सभा के किन का नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया और १६ जनवरी १८५८ को यह टुकड़ी छावा पडुची। तब सभा की सहायता करने व लिए जोधपुर के काथकारी ब्रिटिश पोनिन्किव एजेन्ट मेजर मोरीसन भी छावा पडुचे। उधर दूसरी ओर जनन हात्मगत के नेतृत्व में बम्बई नन्वि इन्फेन्ट्री भी छावा

पहुंची। तत्पश्चात् १६ जनवरी को ही जनरल होल्मस के नेतृत्व में छावा निने पर घेरा डाल दिया गया परन्तु २३ जनवरी, १८५८ को घण्टिकार और कर्पा व गूपान ना पायदा उठाते हुए छावा विप्लवकारी बच निकले। ब्रिटिश सेनापति के द्वारा विप्लवकारियों का पीछा किया गया जिन्होंने १८ विप्लव कारियों को मौत के घाट उतार दिया और ७ को हिरासत में ले लिया, दूसरी छार, छावा गांव में १२४ व्यक्तियों का वदी बनाया गया, जिन्हें तत्काल गोलियों का निशाना बना दिया गया। साथ ही साथ छावा ठाकुर के निवास-स्थान को भी मिट्टी में मिला दिया गया और इस प्रकार २४ जनवरी, १८५८ को छावा पर ब्रिटिश सैनिकों का वर्सा हो गया। ऐसा विश्वास किया जाता है कि सैनिक कार्यवाही के दौरान घनत निहृत्थ नामरिकों की भी हत्या की गई। उनके प्रब रनिया में पड़े दिखाई दत थ। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ब्रिटिश सेना को भी काफी क्षति पहुंची और उनके कम से कम दस सैनिक घायल हुए। ब्रिटिश सैनिकों ने छावा में भयंकर अत्याचार किए। भौरहा, भीमालिया और मन्वीया गांवा को तहम-नहम कर डाला गया और इस प्रकार जनता में भयानक फैलाकर ब्रिटिश सैनिक नसीराबाद की ओर बढ़े।

कोटा स्थित ब्रिटिश पोलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन की हत्या

१५ नवम्बर, १८५७ को मेजर बर्टन को ब्रिटिश पोलिटिकल एजेंट के रूप में कोटा जाने का आदेश मिला। तदनुसार कोटा महाराज के पकील मेजर बर्टन को लेने के लिए बीसव पहुंचे। ५ फरवरी को मेजर बर्टन अपने दो पुत्रों के साथ कोटा के लिए रवाना हुए। मेजर बर्टन की पत्नी, उनकी पुत्री और उनके तीन पुत्र बीसव में ही दफन गए। १२ फरवरी को मेजर बर्टन अपने दोनों पुत्रों के साथ कोटा पहुंचे। उसी दिन दिल्ली का पतन हुआ और ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस अवसर पर महाराज कोटा के लोगों की सलाह दी। दूसरे दिन कोटा महाराज ब्रिटिश पोलिटिकल एजेंट ने मिलने उनके निवास-स्थान पर गए और उसी दिन शाम का पोलिटिकल एजेंट अपने दोनों पुत्रों के साथ महाराज से मिलन आए। ऐसा विश्वास किया जाता है कि अपनी बातचीत के दौरान पोलिटिकल एजेंट ने महाराज से अनुरोध किया कि वह अपने कुछ प्रमुख सहयोगियों को पदमुक्त कर दें। परन्तु १५ फरवरी को कोटा महाराज की दो पत्नियों ने ब्रिटेन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और मेजर बर्टन, उनके दोनों पुत्र एवं एसिस्टेंट

सर्जन और एक स्थानीय क्विचियन डॉक्टर की हत्या कर दी। यही नहीं मेजर वर्टन का सिर काट लिया गया और विप्लवकारी उसे अपने साथ लेते गए। ब्रिटिश सेनाओं को पीछे हटना पड़ा। पांच महीने तक लगातार कोटा पर विप्लवकारियों का आधिपत्य रहा। ऐसा विश्वास किया जाता है कि मेजर वर्टन की हत्या में कोटा महाराज का भी हाथ था और संभवतः इसीलिए मेजर वर्टन को नीमच से वापिस बुलवाया गया था परंतु इसके विपरीत ब्रिटिश एजेंट गवर्नर जनरल की रिपोर्ट के अनुसार कोटा महाराज को मेजर वर्टन संबंधी आदेश-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया था। मेजर वर्टन की हत्या की जांच पड़ताल करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति भी की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट में कोटा महाराज को मेजर वर्टन की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया था। संभवतः यही कारण है कि एजेंट गवर्नर जनरल ने महाराज पर १५ लाख रुपये के जुर्माना करने की सिफारिश की थी, परंतु इस सबके बावजूद महाराज को ब्रिटिश सरकार ने दोषमुक्त ठहराया। संभवतः इसका कारण यह था कि ब्रिटिश सरकार यह उचित नहीं समझती थी कि सार्वजनिक रूप से कोटा महाराज को विप्लवकारी घोषित किया जाय क्योंकि इसका देश के अन्य राज्यों पर भी प्रभाव पड़ने की संभावना थी। उधर महाराज कोटा ने अपने आपको इस घटना से बिल्कुल अलग बताया उन्होंने मेजर वर्टन की गृहस्थ हत्या पर दुःख प्रकट करते हुए ब्रिटेन से क्षमा-याचना की। साथ ही साथ उन्होंने ब्रिटेन से यह भी अनुरोध किया कि कोटा से विप्लवकारियों को हटाने में ब्रिटिश सैनिक सहायता तुरंत भेजी जाय। वास्तविकता यह थी कि कोटा पर पूर्णतः विप्लवकारियों का नियंत्रण था और कोटा महाराज एक प्रकार से अपने ही किले में बंदी थे। अतः मार्च, १८५८ में मेजर जनरल रोबर्ट्स के नेतृत्व में ५५०० सैनिकों की एक टुकड़ी विप्लवकारियों का सफाया करने के लिए भेजी गई। २६ मार्च को नगर पर आक्रमण आरम्भ हुआ परंतु विप्लवकारी बंध निकले और उनका केवल एक सैनिक हारदयान्त मारा गया। ब्रिटिश सैनिकों ने गोलाबारी की सहायता से नगर में प्रवेश किया और समूचे नगर को धूल धूमरित कर दिया।

राजस्थान में तात्या टोपे

संभवतः राजस्थान में विप्लवकारियों का इतिहास उस समय तक घट्टना ही रहेगा जब तक कि राजस्थान में तात्या टोपे की गतिविधियों की

राजीवराज की छावनी २२ दून १८५८ को आर्मी नदीपर स पराजित होने के पश्चात् तात्या टोपे राजस्थान की ओर मुद्रा । ऐसा विश्वास किया जाता है कि तात्या टोपे की सेना जिसमें लगभग १००० विप्लवकारी ग्वांतियर के और लगभग ४००० भीत सैनिक थे । तात्या टोपे को माना भी कि उसे जयपुर और हाडोवी से आवश्यक सैनिक सहायता प्राप्त हो सकेगी और इसलिए उन्होंने इन राज्यों को अपने दून भी भेजे । तदनुसार यह जयपुर की ओर खाना हुआ परन्तु उसने जयपुर पहुचने से पूर्व ही जनरल रोन्टैंग जयपुर पहुच गया, परिणामतः तात्या टोपे जयपुर पहुचने में असमर्थ रहा । दूसरी ओर जर्नेल होन्सम तात्या का पीछा कर रहा था, ऐसी अवस्था में तात्या टोपे ने दो अन्य विप्लवकारियों-बादा के नवाब और रहीम मनी खाँ के साथ टोंक पहुचने का निश्चय किया परन्तु टोंक के नवाब न तात्या को सहयोग देने से न केवल इनकार ही किया बल्कि उसका सामना करने के लिए अपनी सेना भी भेज दी और भयभीत होकर अपने भागने दिने में मद भी कर दिया । लेकिन टोंक की सेनाओं ने तात्या टोपे की सेनाओं का सामना करने के अन्तर्गत विप्लवकारियों को सहयोग दिया । इस सबके बावजूद तात्या टोपे ने टोंक से ही उदरना उचित नहीं समझा, बल्कि यह इन्दौर और माधोपुर होता हुआ बूंदी पहुचा, परन्तु उसे बूंदी महाराज से कोई सहायता नहीं मिली बल्कि बल्कि मेवाड की ओर खाना हुआ । उसे पता भी कि उदयपुर और मनुस्वर के सैनिक उसका सपर्यन्त करेंगे परन्तु महा भी तात्या टोपे को निराश होना पडा । कारण, ब्रिटिश अधिकारियों ने पहुचने ही आवश्यक बन्दम उठा लिए थे । अतः ६ अगस्त, १८५८ को कोझगिया नदी के किनारे पर जनरल रोबर्ट्स और तात्या के मध्य सपर्यन्त हुआ । तात्या बच निकला परन्तु १४ अगस्त, १८५८ को बनात नदी के किनारे एक बार फिर मुठभेड हुई, इस सपर्यन्त के दौरान तात्या के लगभग ७०० व्यक्ति बाम जाए और उसकी ४ तोपें ब्रिटिश सैनिकों के हाथ लगी ।

इस प्रकार राजस्थान में तात्या टोपे को भारी असफलता का मुह देखना पडा बल्कि बम्बय नदी की पार करके भालावाड की राजधानी भालावाडन पहुचा । भालावाड की सेनाओं ने तात्या टोपे को सहयोग दिया नहीं कारण था कि भालावाड राजधानी के अधिकांश घस्त्र-बस्त्र गोला बारूद और अनेक घोड़े तात्या टोपे के हाथ लगे, साथ ही इन सैनिकों ने राजधानी के महल को बेर लिया । तात्या टोपे ने राजस्थान से २५

लाभ रूप देने की मांग की जिससे वे राजस्थान ने ५ लाख रूपए तुरत दे दिए और उसी रात को राजस्थान भद्र की ओर भाग गए। तत्पश्चात् तात्या टोपे इधर की ओर खाना हुआ जहाँ उनकी मदद करने को होकर नंगर था। लगभग दो महीने तक मध्य भारत में रहने और छोटा उदयपुर में ब्रिगेडियर पार्क के हाथों पराजित होने के पश्चात् तात्या टोपे पुन राजस्थान की ओर लौटा। १२ दिसम्बर, १८५८ को तात्या टोपे ने बांसवाड़ा पर आधिपत्य स्थापित कर लिया परन्तु मेजर लीन माउथ ने उसे वहाँ से भगा दिया। वहाँ से तात्या मेवाड़ पहुँचा, परन्तु यहाँ पर भी उसे मेजर रोक का सामना करना पड़ा। १३ जनवरी १८५९ को मध्य भारत के प्रमुख विप्लवकारी विन्स किरोदशाह और उनके अनुयायियों ने इन्दरगढ़ नामक स्थान पर तात्या टोपे की सेनाओं का साथ दिया। ब्रिटिश सैनिकों ने तात्या को घेरने का असफल प्रयत्न किया और तात्या दीसा (जयपुर) की ओर भाग गया। १६ जनवरी को ब्रिगेडियर जोवर्ष ने दीसा में तात्या की सेनाओं पर आक्रमण किया परन्तु तात्या टोपे फिर बच निकला और फिर २१ जनवरी, १८५९ को सीकर जा पहुँचा। नरन होलमस भी सीकर पहुँचा और उसी रात उनसे तात्या के सैनिकों पर जबरदस्त आक्रमण किया। विप्लवकारी सैनिक भाग गये हुए। इस पराजय के पश्चात् तात्या टोपे जंगल की ओर भाग गया परन्तु नरवर के एक राजपूत जागीरदार मानसिंह के द्वारा उनके साथ विश्वासघात किया गया। ७ अप्रैल, १८५९ को मानसिंह ने तात्या टोपे को ब्रिटिश सैनिकों के हवाले कर दिया तत्पश्चात् १८ अप्रैल १८५९ को ब्रिटिश सरकार ने उसे फाँसी दे दी। सीकर के राव साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया और २० अगस्त, १८६२ को उन्हें भी फाँसी दे दी गई।

इस प्रकार १८५७ के विप्लव का राजस्थान पर भी प्रभाव पड़ा। समस्त इन घृष्टभूमि में यह अधिक उपयुक्त होगा कि राजस्थान के प्रमुख राजाओं के दृष्टिकोण की भी विवेचना की जाय जिसमें कि यह स्पष्ट हो सके कि भारत में किस सीमा तक ब्रिटिश राज का समर्थन कर रहे थे। वास्तविकता यह है कि राजस्थान के सभी प्रमुख राजाओं ने सतटिन होकर ब्रिटिश साम्राज्य को बनाए रखना चाहा। इसका एकमात्र कारण यह था कि वे राजा लोग इनसे शक्तिशाली नहीं थे कि अपना शासन अपने आप कर सकें। यही कारण था कि वे ब्रिटिश शासन के साथे मेल बन गए, क्योंकि

वह जानते थे कि भारत में ब्रिटिश शासन का उनकी गणियों की रक्षा कर सकता है।

जयपुर

इस समय जयपुर में मुख्यतः दो दल कार्य कर रहे थे। जयपुर में महाराजा रामसिंह यद्यपि ब्रिटेन की हर संभव सहायता करने के लिए तैयार थे तो जयपुर के दीवान रावण गोविंद और जयपुर की सनाए ब्रिटिश विरोधी थी। ऐसा भी कहा जाता है कि जयपुर दीवान रावण गोविंद ने महाराजा रामसिंह को परामर्श दिया था कि उन्हें ब्रिटेन और जिनो व मद्रास और ब्रिटेन के प्रति मित्रता का आह्वान आचरण करना चाहिए। इस प्रमाण उपलब्ध है कि एक साधारण रूप में कहा जा सकता है कि १८५७ के विप्लव के समय जयपुर सनाए व ब्रिटिश सनाओं का सहायता नहीं थी और उनके विरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उत्पन्न करने में सहयोग दिया। यहां तक कि विप्लव के दौरान कप्तान हार्ड कमन्डिंग ने स्पष्ट कहा था कि जयपुर सनाओं ने ब्रिटिश सैनिकों की कोई सहायता नहीं की थी और हम प्रकार जयपुर के साथ सैनिकों की मदद नहीं का उत्पन्न किया है। यही नहीं जयपुर के साथ काम चालिया में भी ब्रिटिश विरोधी भावनाएं उत्पन्न नहीं थी मही कारण है कि उनके ही रावण गोविंद नकार स्थापना वाली था दिया जगान था और माइल्या था जब ही जयपुर पदव में ही विरुद्ध कर दिया गया। इस्मान था और सान्ना था के मध्य में ब्रिटिश विरोधी पत्र प्रकाशक हुआ था जयपुरी और मा जयपुर महाराजा का प्यान आर्किड किया गया। इस्मान था कथर की तलाशी भी गई और लगभग २०० हथियार बरामद किए गए परिणामतः इस्मान था और जयपुर साथी दलायत नहीं था गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें विभिन्न जिलों में बंद कर दिया गया। उपरोक्त विवेचन इस तथ्य का प्रमाण है कि यद्यपि जयपुर के महाराजा रामसिंह ब्रिटिश शासन के साथ सहानुभूति रखते थे परंतु कहा तक जयपुर की सेनाओं और प्रजातंत्रिक सेनाओं का संभव है वह विरोधी थे और साथ ही महाराजा के भी विरोधी थे।

अलवर

अलवर के महाराजा रामसिंह एक लम्बी बीमारी के पश्चात् जुलाई १८५७ में स्वर्गवासी हो गए और उनके पुत्र व उत्तराधिकारी गोगान सिंह

तेरह वष की आयु में ३० जुलाई १८५७ को बनवर की राजगद्दी पर बढे । जैसे ही भारत में विप्लव होने की सूचना का समाचार अलवर पहुँचा वैसे ही अलवर में भी ब्रिटिश विरोधी भावनाएँ तेजी के साथ फलने लगी । जयपुर के समान ही अलवर में भी दो प्रकार की शक्तियाँ काम कर रही थी एक ब्रिटिश समर्थक और दूसरी ब्रिटिश विरोधी ब्रिटिश समर्थक सेनाओं का नेतृत्व जहाँ महाराजा बनवर कर रहे थे वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश विरोधी सैनिकों का साथ अलवर के प्रशासनिक अधिकारी और सेनाएँ कर रहीं थीं ।

भरतपुर

आगरा के अत्यधिक निरूट होने के कारण भरतपुर विप्लवकारियों की गतिविधि से अपने आपको अलग नहीं रख सका । २८ मई १८५७ को मेजर मोरीसन ने भरतपुर रेजीडेन्सी का वायभार संभाला । ३१ मई १८५७ को भरतपुर सेनाओं ने भी विप्लवकारियों का साथ देने का निश्चय लिया । भरतपुर के अधिकारियों ने मेजर मोरीसन को यह स्पष्ट कह दिया कि उन्हें यदि अपनी सुरक्षा करनी है तो भरतपुर राज्य से तत्काल खला जाना चाहिए क्योंकि यह समभव है कि भरतपुर के सैनिक कहीं उन पर आक्रमण न कर दें । साथ ही भरतपुर के अधिकारियों के द्वारा यह भी कहा गया कि भरतपुर में मेजर मोरीसन की उपस्थिति नीमच के विप्लवकारियों को भरतपुर पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित कर सकती है अतः यह उचित होगा मेजर मोरीसन भरतपुर छोड़कर आगरा चले जाएँ । मेजर मोरीसन ने इन परामर्श को स्वीकार कर लिया और वह आगरा आ गया लेकिन जब ३ जुलाई १८५७ को आगरा के निरूट ब्रिटिश सैनिकों के साथ विप्लवकारियों का संघर्ष हुआ और ब्रिटिश सेना को आगरा के किले में बंद कर दिया गया तो मेजर मोरीसन को स्थिति की गम्भीरता का आभास हुआ । उन्होंने अपना वायभार तात्कालिक अव्यस्क महाराजा गुलाबसिंह के मरक्षक को सौंप दिया और स्वयं आगरा चले गए । यह घटना इस घान का प्रतीक है कि जोधपुर की सेनाओं और प्रशासनिक अधिकारियों में ब्रिटिश विरोधी भावनाएँ चरम सीमा पर थीं और वह हर सम्भव अवसर पर अपना ब्रिटिश विरोधी दृष्टिकोण बना देना चाहते थे ।

बीकानेर

सम्बन्ध सभी देही राजाओं में बीकानेर के महाराजा ब्रिटेन को हर

मभव महाराजा देने में सबसे आगे थे। १८५७ के विप्लव को दबाने में महाराजा बीकानेर ने व्यक्तिगत दिवचम्पों दिखाई, उन्होंने स्वयं अनेक स्थानों पर सैनिकों का नेतृत्व करते हुए विप्लवकारियों को कुचलने में योगदान दिया। विप्लवकारियों का सबसे अधिक दबाव भीमवर्ती प्रदेश हिसार और हासी पर था। महाराजा बीकानेर ने १७०० सैनिकों की टुकड़ी हिसार के लिए और लगभग १००० सैनिक एवं दो तोपें हासी की सहायता के लिए भेजी। महाराजा के इस प्रभूतपूर्व योगदान की ब्रिटिश सरकार ने प्रशंसा की और उनकी सेवाओं के फलस्वरूप हिसार जिले के ४५ ग्राम महाराजा को गैट स्वरूप प्रदान किए गए। महाराजा ने जनता के नाम भी एक हुजूमगामा जारी किया, जिसमें यह शर्तों की गई थी कि सभी व्यक्ति घोर आमतौर से सुवेदार, रिमानदार, अधिकारी और जमादार किसी भी रूप में विप्लवकारियों की सहायता न करें और बिना कर्न ब्रिटिश सेना के सम्मुख आरम्भ सम्पन्न कर दें।

धीनपुर :

धीनपुर के महाराजा राणा भगवन्सिंह जी ने भी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत बनाने में सक्रिय योगदान दिया। महा तक कि महाराजा ने अपनी सेना की एक विशेष टुकड़ी मथुरा भी भेजी जहाँ पर हि विप्लव होने की अधिक संभावना थी। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ब्रिटिश सरकारों आदित्य से भागकर धीनपुर भी घोर आ रहे थे। महाराजा धीनपुर के द्वारा इन सभी शरणार्थियों का आगरा में महाराजा की तरफ से भावभीना स्वागत किया गया। परन्तु इसके विपरीत धीनपुर के सैनिक और सरदार विप्लवकारियों के साथ सहानुभूति रखते थे महा तक कि महाराजा के अधिकार मुख्य अधिकारी विप्लवकारियों के साथ मित्र चुके थे और व्यावहारिक दृष्टि से महाराजा की सत्ता केवल नाममात्र ही ही रह गई थी। महा तक कि आगरा से आने वाले विप्लवकारियों ने महाराजा राणा को धीनपुर में ही इस बात के लिए बाध्य किया कि वह उनकी मांगों को स्वीकार कर लें, अन्यथा महाराजा राणा का जीवन खतरे में पड़ जायगा। राज रामचन्द्र और हीरानाल के नेतृत्व में लगभग १००० विप्लवकारियों ने प्रथम शस्त्र और शोला बान्द को अपने बन्दे में ले लिया और वे आगरा को घोर बहिष्कार चला पड़े। इसी बीच इन विप्लवकारियों का ब्रिटिश सैनिकों से सम्पर्क हुआ और उनके अधिकार अस्व-शस्त्र ब्रिटिशों के कब्जे में चले गए। महाराजा

राणा की सहायता के लिए पञ्जाब पटियाला और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत सलगभग २००० सिक्ख सैनिकों की एक टुकड़ी ४ तोपों के साथ धौलपुर भेजी गयी तब वही जाकर महाराज को सत्ता पुनः स्थापित हो सकी ।

उसी प्रकार करीबी टोंक और भालावाड़ के महाराज ने भी भारत में १८५७ के विप्लव को दबाने में ब्रिटेन की हृदय समव सहायता की सलगभग राजस्थान के सभी देशी तरेशों ने तन मन धन से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को बनाए रखने में अपना सक्रिय योगदान दिया । परिणाम यह हुआ कि भारत में ब्रिटेन के विरुद्ध इस प्रथम विद्रोह की सफलता पूर्वक कुचल लिया गया । ब्रिटिश शासकों ने इस विद्रोह को कुचलने में कुछ न उठा रखा । यहाँ तक ब्रिटिश लेखकों के (Kates) तर्क ने स्वीकार किया है कि १८५७ के विप्लव की दबाने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा जो नुसख हत्याकांड किया गया है, उनके सबब में मैं एक शब्द भी लिखना नहीं चाहता जिससे कि यह विषय विश्व के सम्मुख अधिक समय तक जीवित न रहे । नसीराबाद भीमच आवा और कोटा में विप्लवकारियों को कुचलने में जिन बंदर साधनों का सहारा लिया गया और जिस बेरहमी और निर्दयता के साथ उनके परिवार के साथ सदस्यों को मौत के घाट उतारा गया उसे भुलाया नहीं जा सकता । विप्लवकारियों की सम्पत्ति भी लूट ली गई और इन घटनाओं की चरम इतिथी तो तब हुई जब ब्रिटिश सरकार के द्वारा उन सैनिक अधिकारियों को सम्मानित किया जिन्होंने भावजनिक सम्पत्ति को जी भर के लूटा था ।

क्या १८५७ का विप्लव भारतीय स्वाधीनता का प्रथम अध्याम कहा जा सकता है ?

१८५७ के इस विप्लव को किस नाम से पुकारा जाय अर्थात् क्या इसे सैनिक विद्रोह मात्र की मंशा दी जाय अथवा भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम अध्याम कहा जाय इस संबंध में विद्वानों में गभीर मतभेद है । जहाँ तक राजस्थान में घटित घटनाओं का संबंध है वह स्पष्ट है कि इस क्रांति में भाग लेने वाले नागरिकों की मन्शा अत्यन्त ही सीमित थी और अधिकांश जनता उत्पत्तीय नहीं । वे व्यक्ति जिन्होंने विप्लवकारियों का साथ दिया वास्तव में अननुपुट ठाकुर और जागीरदार थे जो किसी न किसी बात पर अपने महाराजा से अप्रसन्न थे । सामान्य नागरिक स्पष्ट रूप में बिल्कुल अलग रहा । जन व्यापक समर्थन के अभाव में इसे राष्ट्रीय जन विद्रोह की मंशा देना समभवत कठिन होगा ।

सुधारों का युग और राजनैतिक चेतना का विकास

मद्यनि १८५७ का विप्लव ब्रिटिश सरकार के द्वारा सफलतापूर्वक कुचल दिया गया तथापि ब्रिटिश सरकार इस निष्कर्ष पर पहुची कि यदि उसे भारत में अपना साम्राज्य बनाये रखना है तो भारत में इंडिया कंपनी के शासन के स्थान पर उसका स्वयं का प्रत्यक्ष नियंत्रण रहना चाहिए। तदनुसार २ अगस्त, १८५८ को ब्रिटिश संसद के द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया, जिसके अनुसार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और ब्रिटेन के संसद भी घोषित किये गए। १ नवम्बर १८५८ को इलाहाबाद में एक दरबार आयोजित किया गया जहाँ महारानी विक्टोरिया की घोषणा भारत के प्रथम गवर्नर और वाईसरॉय लार्ड कनिंग के द्वारा पढ़कर सुनाई गई। महारानी की इस घोषणा के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ की गई सभी शर्तियों को पुष्ट किया गया और भारत के देशी राज्य व महाराजाधियों को यह विश्वास दिलाया गया कि उनके सभी अधिकार रक्षित किए जाएंगे और सभी रीति रिवाज और परंपराओं का पालन किया जायगा। घोषणा में यह भी कहा गया कि अब भविष्य में ब्रिटेन की नीति धर्म निरपेक्षता और निष्पक्षता पर आधारित होगी। वास्तव में महारानी विक्टोरिया की इस घोषणा के परिणाम-स्वरूप भारत के देशी राजा महाराजा पूर्णरूप से अधीन बन गए।

राजस्थान के राजा और महाराजाधो द्वारा महारानी विक्टोरिया की घोषणा का स्वागत

राजस्थान के सभी राजा और महाराजाधो के द्वारा एक स्वर से महारानी विक्टोरिया का उत्साहवर्धक स्वागत किया गया जो इस बात का प्रमाण था कि यह राजे महाराजे हर कीमत पर अपनी गद्दीया बनाए रखना चाहते थे। महारानी के प्रति अपनी स्वामिभक्ति प्रकट करने के लिए राजस्थान के अनेक राज्यों में विभिन्न समारोह आयोजित किए गए, उदाहरणतः इस अवसर पर मेवाड़ में सार्वजनिक स्थानों पर रोशनी भी गई और भारतशहाजी का प्रदर्शन किया गया। इसी प्रकार यूरोपीय सैनिकों को रात्रि भोज दिया गया और राज्य के सैनिकों के मध्य मिठाई बांटी गई। तत्पश्चात् स्वार्थ्य भी कामना करते हुए उनके प्रति आभार प्रकट किया। महाराणा उदयपुर के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को एक खरीदा भी भेजा गया जिसमें इस बात पर प्रशंसा व्यक्त की गई थी कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का शासन स्थापित किया गया है और राजा और महाराजाधो को प्रत्यक्ष सुरक्षण प्रदान किया गया है। जोधपुर, नीमच और प्रतापगढ़ में भी विभिन्न समारोह आयोजित किए जाकर राजा महाराजाधो ने अपनी प्रशंसा प्रकट की, नीमच में ब्रिटिश पोलिटिकल एजेंट की सभा भी दी गई और रात्रि के समय भारतशहाजी का प्रदर्शन किया गया।

साम्राज्य की घोषणा की सांख्यिक प्रभाव यह हुआ कि ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था का राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था पर सीधा असर पड़ा। ब्रिटेन के साथ अनेक समझौते हुए जिनमें नमक, रेलवे, मुद्रा, डाक, और निष्क्रमण सम्बन्धी प्रमुख थी। इस प्रकार ब्रिटेन की नीति में भी परिवर्तन हुआ और अब भारतीय राजे महाराजे पूर्णतः ब्रिटेन के नियंत्रण में चले गए। सभार-साधनी और रेल-सुविधा के विस्तार का परिणाम यह हुआ कि देशी राज्यों की आर्थिक व्यवस्था व्यापहारिक दृष्टि से ब्रिटिश सत्ता के अधीन हो गई। यही कारण है कि अब ब्रिटिश पोलिटिकल एजेंट के द्वारा राजस्थान के राजे महाराजाधो को यह परामर्श दिया गया कि वे भी अपने-अपने राज्यों में प्रशासनिक सामाजिक और आर्थिक सुधार लागू करें और दिन प्रतिदिन के शासन-कार्य में व्यक्तिगत रूप से रुचि लें। इसका एक परिणाम यह हुआ कि अब ब्रिटिश पोलिटिकल एजेंट देशी राजे महाराजाधो के आन्तरिक कार्यों में भी हस्तक्षेप करने लगे। परिणामतः कुछ राज्यों में इसकी यथोचित प्रतिक्रियाएँ

हुई। सुविधा की दृष्टि से यह अधिक उपयुक्त होगा कि यदि राजस्थान के कुछ प्रमुख राज्यों का इस सन्दर्भ में विवेचन किया जाय।

मेवाड़ (उदयपुर) और सुधार

१६ नवम्बर १८६१ का महाराणा स्वर्णसिंह की मृत्यु के पश्चात् मेवाड़ का समूचा प्रशासन भ्रष्टाचारी हो उठा, महाराणा के उत्तराधिकारी राणा शम्भूसिंह अभी अवयस्क थे, अतः राज्य का प्रशासन चलाने के लिए ब्रिटिश पोलिटिकल एजेंट के द्वारा एक परिषद् नियुक्त की गई, परन्तु वह अल्पकालीन समय तक सकलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकी। इसलिए १६ अगस्त १८६३ को तात्कालिक ब्रिटिश पोलिटिकल एजेंट कर्नेल ईडन ने एक आदेश जारी किया जिसके अनुसार मेवाड़ का समूचा प्रशासन पोलिटिकल एजेंट न सभाल लिया।

उपर्युक्त आदेश की प्रतिक्रिया बड़ी गंभीर हुई। इस आदेश न मेवाड़ के नागरिकों और जागीरदारों में रोष की एक सहर फैला दी और एक तनावपूर्ण स्थिति बन गई। दशहरा उत्सव का त्योहार समीप था, ब्रिटिश पोलिटिकल एजेंट को मय था कि वही इस अवसर पर विशेष गडबडी न हो जाय अतः उसने अधिक सख्ता में ब्रिटिश सैनिकों को भेजने का धनुषोद्य किया, परन्तु इस सबके बावजूद दशहरे के दिन यद्यपि कोई भ्रमट घटना तो नहीं घटी परन्तु राज्य के जागीरदारों के द्वारा ब्रिटिश सरकार को एक स्मरण पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह मांग की गई थी कि मेवाड़ राज्य का प्रशासन पांच व्यक्तियों की परामर्शदात्री समिति के द्वारा चलाया जाय और सती होने से संबंधित होने वाली घटनाओं पर किसी भी प्रकार का जुमाना न लगाया जाय तथा मेवाड़ में कस्टम ड्यूटी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाय। वास्तव में इस समय मेवाड़ का शासन अत्यधिक भ्रष्ट और अन्यायित था। वहाँ ग्याय के सिद्धान्त का कोई अस्तित्व नहीं था और शिशुमा का खरीदना और बचा जाना एक सामान्य बात थी। अभियुक्तों को अत्यंत खबरतापूर्वक दंड दिए जाते थे और सजा देते समय कानून को कोई महत्त्व नहीं दिया जाता था। एमी अवस्था में पोलिटिकल एजेंट ईडन ने इन समस्याओं को समाप्त करने के उद्देश्य से प्रशासन और न्यायालय ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिये। राजस्व एकत्रित करने की पद्धति में भी परिवर्तन किया गया परिणाम यह हुआ कि बहुत ही कम समय में राज्य की आय २४ लाख ७५

हजार प्रतिवर्ष तक बढ़ गई, जिसमें से ३ लाख रुपये प्रतिवर्ष की राज्य की खर्च भी हुई।

इसी प्रकार कुछ सामाजिक गुणार भी लागू किए गए। पहली बार एक राजकीय विधानसभा की, जिसे सम्भूरतल पाठशाला कहा जाता है—स्थापना हुई साथ ही एक राजकीय अस्पताल की भी स्थापना की गई, जिस पर एक लाख रुपये खर्च किए गए राजकीय कारागृहों में बंदियों के साथ किए जाने वाले व्यवहार में भी गुणार किया गया और नागरिकों के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा के लिए शहर में शम्भू नैतिक भी फैलाने लिए गए। नगर की स्वच्छता की धोर भी ध्यान दिया गया और बंदियों की देखभाल एवं प्राकृतिक विपदाओं जैसे अकाल, बाढ़ आदि के समय सहायता किए जाने के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की गई। मित्रता और अच्छे का अर्थ-विक्रय करना, बंधार किया जाता और सभी प्रथा को एक आदेश जारी करके समाप्त घोषित कर दिया गया। सड़कों का भी विकास किया गया और उदयपुर की मदक मार्गों के द्वारा नीमच और मरवाहा से जोड़ दिया गया।

उपरोक्त मुयारों की राज्य व जागीरदारों, अधिकारियों और जनता में सदैवास्पद दृष्टि से देना, उनका विपक्ष था कि इन प्रकार के मुयार उनके शक्ति-रिवाज और परम्पराओं का उल्लंघन करते थे और यह उनके आर्थिक कार्यों में मुझा हस्तक्षेप था। इन मुयारों के प्रति जनता विरोध प्रकट करने के लिए समूचे उदयपुर में हड़ताल और प्रदर्शन आयोजित किए गए। इसी समय (२३ दिसम्बर, १८६३) ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक आदेश जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया था कि 'मान' (स्वामी भक्ति की भाव) लेने की प्रथा को समाप्त किया जाता है और यदि भविष्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे को 'मान' दिलाएगा तो वह दंड का भागी होगा। इस घोषणा ने समूचे उदयपुर शहर में एक तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर दी। जनता, राजकीय अधिकारियों और महाराजा तक न इस प्रकार की घोषणा का विरोध किया। विरोध प्रकट करने के लिए ३० मार्च, १८६४ को समूचे शहर में हड़ताल आयोजित की गई और नगर-मेयट सम्पालाल के नेतृत्व में लगभग ३००० व्यक्तियों ने पोलिटिकल लजेट ईटन के निवास स्थान के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग यह थी कि 'मान' की प्रथा को पुनः शुरू किया जाए, अच्छे व दुराचारों का अर्थ-विक्रय जारी रहने दिया जाए और

व्यापारियों को पुलिस परेशान न करे। प्रदर्शनकारियों की यह भी मांग थी कि दीवानी और फौजदारी मुकदमों की सुनवाई करते समय नगर के प्रमुख व्यक्तियों को न्यायाधीश के रूप में प्राचीन परम्पराओं के अनुसार कार्य करने की अनुमति दी जाय। पोलिटिकल एजेंट ने प्रदर्शनकारियों के समुख सरकार की नीति को स्पष्ट किया, परन्तु प्रदर्शनकारी हिंसक हो उठे और उन्होंने पोलिटिकल एजेंट को न केवल गानिया ही दी बल्कि उस पर जूते और पत्थर भी फेंके। परिणामतः सशस्त्र सैनिकों ने शक्ति का इस्तेमाल करके प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर कर दिया। तब प्रदर्शनकारी सहलियों की बाड़ी की ओर रवाना हुए और उन्होंने एजेंट गवर्नर जनरल के समुख अपनी कठिनाइयाँ रखी। अतः एजेंट गवर्नर जनरल ने उनकी कठिनाइयों को दूर करने का आश्वासन दिया और तब फही जाकर वातावरण शांत हुआ।

राज्य के प्रशासन को सुधारने के लिए १८७० में कुछ और सुधार लागू किए गए। शारीरिक यातना देने के स्थान पर जुर्माना और कारावास की सजा देने की पद्धति आरम्भ की गई। समूचे मेवाड़ को अनेक जिलों में विभाजित किया गया, सेना का पुनर्गठन किया गया और रेलवे लाइन भी विद्यार्थी गई। इसी बीच महाराणा शम्भूसिंह की मृत्यु हो गई, परन्तु उनके उत्तराधिकारी महाराणा सज्जनसिंह (१८७४-१८८४) ने सुधार जारी रखे और १० मार्च, १८७७ को उन्होंने एक नई राज्य परिषद् इजलास खास की स्थापना की। उपर्युक्त सुधारों के विरुद्ध एक बार पुनः उदयपुर के व्यापारियों के द्वारा आंदोलन आरम्भ किया गया। समूचे शहर में हड़ताल रखी गई, परन्तु इस बार महाराणा ने सस्ती के साथ सामना किया। ११ फरवरी, १८७८ को सेठ चम्पालाल और चार अन्य प्रमुख व्यापारियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया महाराणा ने धमकी दी कि यदि हड़ताल तत्काल समाप्त नहीं की गई तो उनके विरुद्ध और अधिक कठोर कार्यवाही की जायेगी, परिणामतः हड़ताल बाधित ले ली गई।

जाट आंदोलन

महाराणा फतहसिंह के अवधक शासन-काल में नई धू राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध एक आंदोलन आरम्भ किया गया। वास्तव में इस प्रकार के आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाले उदयपुर के महाजन, राज्य अधिकारी सलूमबर के जागीरदार थे। २१ जून १८८० को रश्मि परगणा स्थित माथी कुण्डिया नामक स्थान पर हजारों जाट किसानों ने अवैध प्रदर्शन किया

घोर यह माँग की कि यह उस समय तक अपनी भूमियों को नहीं जोड़ेंगे जब तक राजस्व एकत्रित करने वाले अधिकारी को उस समय तक कोई सहयोग नहीं देंगे जब तक कि उनकी मांगे महाराजा उदयपुर के सम्मुख प्रस्तुत नहीं की जाती और उन्हें दूर नहीं कर दिया जाता। १० जुलाई १८८० को लगभग २५० किसानों का एक प्रतिनिधि मण्डल जिसमें कुछ महान्त भी सम्मिलित थे, महाराजा उदयपुर से मिले, महाराजा ने प्रादोशनकारियों की विरक्त रिताया कि जो मुघार लागू किए गए हैं वे उनके ही हित में हैं, और उनके अधिकारों का हनन नहीं होगा। अंत जुलाई माह समाप्त होते होते यह प्रादोशन भी समाप्त हो गया।

परंतु इतना स्पष्ट है कि उदयपुर में मुघारों को लागू करने के नाम पर राज्य के प्रशासनिक कार्य में ब्रिटेन का हस्तक्षेप दिन-प्रतिदिन बढ़ने लगा। इस ब्रिटिश-हस्तक्षेप को स्वयं महाराजा ने भी अच्छा नहीं समझा भ्रत अनेक विषयों पर महाराजा और ब्रिटिश रेजीडेन्ट के मध्य मतभेद उत्पन्न होने लगे। परिणामतः राज्य में दो दल बन गए, जिनमें से एक महाराजा का समर्थन करता था वो दूसरा ब्रिटिश रेजीडेन्ट का।

ब्रीकानेर में मुघार :

महाराजा सरदारसिंह (१८५१-१८७२) के शासन-काल में राज्य की प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक स्थिति अत्यंत ही दयनीय हो उठी। राज्य के सभी विभागों में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया था, यहाँ तक कि राज्य के दीवान पंडित मनमूल पर भी महाराजा का कोई विश्वास नहीं रहा था। साथ ही साथ राज्य के जागीरदार भी तात्कालिक प्रशासनिक व्यवस्था के विरुद्ध मावाज उठा रहे थे। परिणामतः ब्रिटिश पोलिटिकल एजेंट नॅप्टन वैंड फ्लोर्टे के सुझावानुसार महाराजा को राज्य-कार्य में परामर्श देने के लिए एक पाँच सदस्यीय परिषद् की स्थापना की गई, जिसमें राज्य के दीवान मनमूल को भी परिषद् के अध्यक्ष के रूप में सम्मिलित किया गया। परिषद् का मुख्य कार्य महाराजा को प्रशासनिक कार्यों में परामर्श देना था, यद्यपि परिषद् के परामर्श को मानने के लिए महाराजा बाध्य नहीं थे तदपि महाराजा ने आश्वासन दिया कि वे परिषद् के परामर्श को मानते रहेंगे और राज्य-कार्य में सीधा हस्तक्षेप नहीं करेंगे। परंतु महाराजा ने इस आश्वासन का निर्वाह नहीं किया और व्यवहार में अपने एक अन्य विश्वासपात्र अधिकारी

बख्शीराम को प्रशासन-व्यवस्था सौंप दी। परिणामतः समूचे राज्य में एक अराजक स्थिति उत्पन्न हो गई।

१८८३ में महाराजा डू गरीबसिंह के शासनकाल में राज्य के जागीरदारों से रेश (जागीरदारों से उगाया जान वाला कर) नामक कर की बमूली पर कई बार संधर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई और ब्रिटिश सैनिकों की सहायता से ही स्थिति पर काबू पाया जा सका। इस प्रकार राज्य की स्थिति को देखते हुए विभिन्न सुधारों का लागू किया जाना अत्यंत आवश्यक बन गया।

१८९६ में बीकानेर राज्य और ब्रिटिश सरकार के मध्य प्रत्यावर्तन संधि हुई जिसके अनुसार यदि कोई अपराधी ब्रिटिश राज्य में शरण लेगा तो उसे राज्य सरकार ब्रिटिश सरकार के सुपुर्दे करने के लिए बाध्य होगी। इसी प्रकार १८७६ में बीकानेर राज्य और ब्रिटिश सरकार के मध्य एक नमक समझौता हुआ जिसके अनुसार ब्रिटिश सरकार को भेजे जाने वाले नमक पर लगाई जाने वाली चुगी को समाप्त कर दिया। साथ ही साथ राज्य से भाग, गाजा, स्प्रिट और अफीम के बाहर भेजे जाने पर रोक लगा दी गई। इसकी एवज में ब्रिटिश सरकार ने ६००० रुपये प्रति वर्ष और २०,००० मन नमक राज्य को देना निश्चिन किया। वास्तव में इस संधि का परिणाम यह हुआ कि राज्य ने नमक को तैयार करने के अपने अधिकार को समाप्त कर दिया। इसी प्रकार १८८६ में रेश, मुद्रा और डाक से संबंधित समझौते हुए और इस प्रकार राज्य में विभिन्न स्तरों पर सुधार लागू किए गए।

जोधपुर में सुधार

२६ दिसम्बर, १८६८ को ब्रिटिश एजेंट गवर्नर जनरल के मुकाब पर राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए एक प्रान्त से मन्त्रालय की स्थापना की गई। साथ ही १८६८ में प्रत्यावर्तन संधि और १८७० में नमक संधि भी सम्पन्न हुई जिसके अनुसार राज्य के चार प्रमुख उत्पादन केन्द्र डीडवाना, पचपडडा, फनीदी और लूनी ब्रिटिश सरकार को पट्टे पर दे दिए गए। प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए १८७० में समूचा प्रशासन महाराजा तलसिंह के पुत्र और राज्य के भावी उत्तराधिकारी जसवंतसिंह को सौंप दिया गया। इस संबंध में यह भी कहा जाना है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा यह कदम इसलिए उठाया गया था कि १८७० में अन्नमेर में जो दरबार आयोजित किया गया था वहां महाराजा तलसिंह द्वारा अपनाई गई नीति

और व्यवहार से ब्रिटिश सरकार प्रसन्न नहीं थी। कुछ भी हो, महाराजा कुमार जसवन्तसिंह ने शासन-व्यवस्था को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और एक बड़ी सीमा तक राज्य में शांति और व्यवस्था स्थापित हो गई।

महाराजा जसवन्तसिंह के शासनकाल में न केवल राजनैतिक सुधार ही लागू किये गये बल्कि भूराजस्व-व्यवस्था को भी सुधारा गया। प्राथमिकी कर-व्यवस्था को भी नियमित करने का प्रयत्न किया गया। समूचे राज्य को पाच क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया और प्रत्येक क्षेत्र एक इन्स्पेक्टर के अधीन कर दिया गया। १८६४-६५ में प्राथमिकी व्यवस्था के अधीन गाजा और भाग जैसी नदी-नीचे वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लिया गया। १८६८ विदेशी शराब बेचने के लिए लायसेंस देने की प्रथा का प्रारम्भ हुआ और इसी प्रकार राज्य की मुद्रा पर ग्राह्यपालम ने स्पान पर महारानी विक्टोरिया की छाप प्रकृत की जाने लगी।

१८६८ से पूर्व राज्य में केवल प्राथमिक स्तर तक हिन्दी में शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था थी, परन्तु अब प्राथमिक पद्धति पर आधारित नए स्कूल खोले गए। १८६३ में जसवन्त कालेज की स्थापना हुई और १८६८ में यहाँ बी० ए० की शिक्षा भी दी जाने लगी। १८८८ में कर्नल वाल्टर, तत्कालीन एग्जेंट गवर्नर जनरल के नेतृत्व में जोधपुर वाल्टर कृत राजपूत शिक्षाकारी सभा की स्थापना हुई जिसका एकमात्र उद्देश्य राजपूत जाति का विकास और उनकी सामाजिक कुसुनियों को दूर करना था।

जयपुर में सुधार .

अन्य राज्यों के समान ही जयपुर में भी विभिन्न राजनैतिक सामाजिक और प्राथमिक सुधार लागू किए गए। १८६७ में माठ सदस्यों की एक राज्य परिषद् बनाई गई जिसे विभिन्न प्रशासनिक विभाग सुपुर्द किए गए। इसी प्रकार १८६० में पुलिस नियम बनाए गए, जिनको १८७३ में पुनः सम्शोधित किया गया। १८४४ में महाराजा कालेज की स्थापना हुई, जिसमें प्रारम्भ में वहाँ ४० विद्यार्थी थे वहाँ १८७५ में इसकी संख्या बढ़कर ८०० हो गई। १८४५ में एक सरकारी कालेज, १८६१ में राजपूत छात्रों के लिए एक विद्यालय और १८६७ में छात्रापी के लिए एक माध्यमिक विद्यालय और मार्ट्स एण्ड क्रायटम् विद्यालय की स्थापना की गई। कुल मिलाकर अब ३३ राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालय और ३७६ प्राइवेट विद्यालय मौजूद थे, जिनमें कुल मिलाकर लगभग ८००० विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे।

१८७० में प्रथम राजकीय अस्पताल की स्थापना हुई, जिनकी संख्या महाराजा रामसिंह के शासनकाल में बढ़कर २४ हो गई। इसी समय भजमेर घागरा रेलवे लाइन का निर्माण हुआ और डाक-तार-व्यवस्था भी स्थापित हुई। १८६८ में जयपुर नगर की देखभाल के लिए नगरपालिका की भी स्थापना हुई। इन सुधारों का परिणाम यह हुआ कि जयपुर शीघ्र ही भारत के श्रेष्ठ-गिने व्यवस्थित राज्यों में से एक गिना जाने लगा।

कोटा में सुधार

१८५७ के विप्लवकारियों की सफलतापूर्वक दवा देने के पश्चात् सबसे बड़ी समस्या प्रशासन के पुनर्गठन की थी। घट ब्रिटिश पोलिटिकल एजेंट के सुझाव पर महाराज कोटा ने राज्य में अनेक सुधार लागू किये। १८६२ में राज्य को अनेक जिलों में विभाजित किया गया और प्रत्येक जिले का प्रशासन एक जिलेदार को सौंप दिया गया। इसी प्रकार कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए पुलिस विभाग पुनर्गठित किया गया और शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी कोतवाल के सुपुर्द कर दी गई। रिस्वत खना कानूनी अथवा धोषित किया गया और सरकारी कार्यालयों के काम करने का समय निर्धारित किया गया। १८७४ में राज्य के प्रशासन की देखभाल के लिए फौजमती खा को नियुक्त किया गया, यद्यपि थोड़े ही समय पश्चात् कोटा महाराज और फौजमती खा के भाषणी संबंध विगड़ गए तथापि इस छोटी सी अवधि में फौजमतीखा ने अनेक सुधार लागू किए, जिनके अंतर्गत डाक-व्यवस्था, टम्पन कचहरी का उन्मूलन एवं एक तीन सदस्यीय परिषद् की स्थापना प्रमुख थी।

इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रगति हुई। पहली बार छात्रों एवं छात्राओं के लिए एक स्कूल की स्थापना की गई जिस पर राज्य की ओर से ३७६० रुपये खर्च किए गए। १८७२ में राज्य में पहले अस्पताल की स्थापना हुई जिसमें कन्हैयालाल नामक एक डाक्टर, एक बम्पाउन्डर और एक इंसर की नियुक्ति की गई। राज्य के इतिहास में यह पहला भवसर था, जबकि दवाइया खरीदने के लिए धनराशि स्वीकार की गई।

भजमेर दरबार (१८७०)

२२ अक्टूबर १८७० को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल और वाइ सराय लार्ड मैयो ने राजपूताना के सभी राजाओं और महाराजाओं का भजमेर में

एक दरबार आयोजित किया। इस दरबार में भाग लेने के लिए छद्मपुर, मोघपुर बुंदी, कोण, गिजगण्ड, मानसमठन, टोंक और साहपुरा इत्यादि के महाराजाधो ने भाग लिया। दरबार को संबोधित करते हुए गवर्नर जनरल मैथो ने इस बात पर बल दिया कि प्रत्येक राज्य के ग्याय जाति और व्यवस्था बनी रहनी चाहिए और राजाधो को चाहिए कि वे राज्य के बहुमुखी विकास में अपना योगदान दें।

श्रिन्स प्राफ वेल्स को भारत-यात्रा (१८७५)

संसाधित पूर्व पृष्ठो में स्पष्ट किया जा चुका है, राज्यों में लागू किए गए मुघारों की प्रतिनिधता अनुकूल नहीं हुई थी, परिणाम यह हुआ कि देशी राजा महाराजाधो और ब्रिटिश सरकार के मध्य संबंधों में बड़ता उत्पन्न हो गई। इन घातावरण को घट्टा बनाने एवं भारतीय संबंधों को सुधारने की दृष्टि से ब्रिटिश सरकार ने श्रिन्स प्राफ वेल्स को भारत-यात्रा पर भेजने का निश्चित किया। श्रिन्स प्राफ वेल्स का स्वागत सागर करने के लिए राजस्थान के विभिन्न राजा-महाराजाधो में आयती होइ होने लगी, सम्भवतः वे ब्रिटेन के प्रति अपनी राजभक्ति का प्रगटीकरण करना चाहते थे। जहाँ राजप्रतापना के सभी राजाधो को श्रिन्स प्राफ वेल्स के स्वागत सागर के लिए आमंत्रित किया गया था, वही दूसरी ओर कोटा के महाराव को निम्नित नहीं किया गया सम्भवतः इसका मुख्य कारण यह था कि ब्रिटिश सरकार कोटा महाराव से मेजर बर्टन हत्याकांड के मामले को लेकर असंतुष्ट थी। यहां तक कि जब महाराव कोटा ने तार भेजकर ब्रिटिश सरकार से यह प्रार्थना की कि उन्हें भी श्रिन्स प्राफ वेल्स के स्वागत सागर करने के लिए आमंत्रित करने की अनुमति दी जाय तो ब्रिटिश सरकार ने यह बहुरर शि घय विलम्ब बहुत हो चुका है और व्यवस्था करना सम्भव नहीं है, कह कर महाराव की प्रार्थना को ठुकरा दिया।

१ जनवरी, १८७७ को महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी की उपाधि से विभूषित किया गया। इस अवसर पर राजस्थान के सभी राजा-महाराजाधो ने दिल्ली में उपस्थित होकर सम्राज्ञी के प्रति सम्मान और निष्ठा प्रदर्शित की। इस अवसर पर ओवपुर के कवि मुरारीदान के द्वारा एक कविता भी लिखकर भेजी गई, जिसमें महारानी की चक्रवर्ती मछाट के नाम से संबोधित किया गया था। विभिन्न राज्यों में अनेक समारोह आयोजित किए गए और ब्रिटेन के प्रति स्वामी भक्ति का प्रदर्शन किया गया। परंतु महत्वपूर्ण

वात यह थी कि कोटा राज्य के सरदारों ने इन प्रकार के आयोजना का बहिष्कार करके अपनी ब्रिटिश विरोधी भावना का परिचय दिया।

अफगान युद्ध (१८७८-७९) और राजस्थान के राजाओं का सक्रिय सहयोग

हम देख चुके हैं कि १८५७ के विद्रोह के दौरान राजस्थान के राजा महाराजाओं ने ब्रिटेन का पूर्ण समर्थन किया था, इसी प्रकार जब १८७८ में ब्रिटेन अफगान युद्ध आरम्भ हुआ तो भी इन राजाओं ने ब्रिटेन का ही साथ दिया। वास्तव में ब्रिटेन का समर्थन करके ये राजा महाराजा ब्रिटेन के प्रति अपनी स्वामी भक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे। भरतपुर, कोटा, बीकानेर, जयपुर आदि के महाराजाओं ने हर समय सैनिक सहायता प्रदान की और कामना थी कि शीघ्र ही ब्रिटिश सरकार कानून पर विजय प्राप्त करेगी। अफगान युद्ध की समाप्ति के पश्चात् जब ब्रिटिश अफगान संधि पर हस्ताक्षर हुए तब भी उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और कोटा आदि के महाराजाओं ने ब्रिटिश साम्राज्य की बधाई नदेश भेजते हुए ब्रिटेन के प्रति अपनी स्वामीभक्ति का आविष्कार दिया और अपने अपने राज्यों में विभिन्न समारोह आयोजित करके ब्रिटिश विजय पर प्रसन्नता व्यक्त की।

स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज आंदोलन

राजस्थान में राजनैतिक चेतना के उदय और विज्ञान में आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का अविस्मरणीय योगदान रहा है। यह वह समय था जब समूचे राजस्थान में अशिक्षा नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति अनभिज्ञ थे। हिन्दू धर्म में अनेक सामाजिक कुत्तियां जन्म ले चुकी थीं। इन सबसे पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने आशा की किरण दिखाई। १० अप्रैल १८७५ को खरई में आर्य समाज की स्थापना हुई। शीघ्र ही १८८० से १८९० के मध्य राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर आर्य समाज की शाखाएं खोली गयीं। १८८३ में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की जिसे कुछ समय बाद अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। इस परोपकारिणी सभा के २३ सदस्य थे, जिनमें शाहपुरा के महाराजा उदयपुर के दीवान श्यामाजी कृष्ण वर्मा और महादेव गोविंद रानाडे आदि प्रमुख थे। स्वामी दयानंद राजस्थान के राजाओं की रीति नीति से सन्तुष्ट नहीं थे। उनका विचार था कि राजा महाराजाओं

को जनता की मार्गदर्शक भन्दाई के लिए कार्य करना चाहिए, जिससे विनागरिकों में सामाजिक और राजनैतिक चेतना का विकास हो सके। जून, १८६५ में स्वामी दयानन्द ने राजस्थान की पहली यात्रा की वे महाराजा करौली के प्रतिष्ठित बने, तत्पश्चात् उन्होंने जोधपुर, प्रतापगढ़, मुक्त और उदयपुर की भी यात्रा की। ११ अगस्त १८८२ को महाराणा उदयपुर में जानकीन के दौरान स्वामी दयानन्द ने उन वक्त पर बत दिया कि हमें पश्चिम का प्रयत्न करना नहीं करना चाहिए और हम अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। ३१ मई, १८८३ को महाराजा जोधपुर के विमर्श पर स्वामी दयानन्द जोधपुर पहुंचे। महाराजा जयसिंह के छोटे भाई शर प्रताप पर स्वामी दयानन्द का गभीर प्रभाव पड़ा। स्वयं महाराजा जोधपुर भी इनके अधीन प्रभावित हुए कि उन्होंने शृंगुभीज और मयूराना आदि दुर्गों पर सरकारी आदेश लगाने के नियम लागू करी लिए। स्वामी दयानन्द के बढ़ते हुए प्रभाव से घने व्यक्ति अष्ट में घन जोधपुर में ही एक मुस्लिम रीया के द्वारा उन्हें जहर दे दिया गया और ३० अक्टूबर १८८३ को प्रताप में उनकी मृत्यु हो गई।

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने राजस्थान के राजा महाराजाओं और जनता के नाम संदेश में मुद्रित: चार तत्वों पर बत दिया। ये चार तत्व थे— स्वयं, स्वराज्य, स्वदेशी और स्वभाषा। उनका यह परका विश्वास था कि कोई भी राष्ट्र उस समय तक उत्थित नहीं कर सकता जब तक कि वह उक्त चारों तत्वों को न अपना ले। मभवत स्वामी दयानन्द सरस्वती भारत के पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने सर्वप्रथम स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग करने पर बत दिया। उन्होंने ही १८७५ में पहली बार स्वराज्य शब्द का उपयोग किया जो बाद में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की आधारशिला बना। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने हिंदी की राष्ट्रभाषा स्वीकार करने पर बत दिया। उनका विश्वास था कि जब तक कोई राष्ट्र अपनी ही भाषा में कार्य नहीं करता तब तक उस राष्ट्र की उत्थिति और विनाश संभव नहीं है।

स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा चलाने गये कार्य समाज आंदोलन का भागी प्रभाव पड़ा। वास्तव में यह एक सामाजिक आंदोलन ही नहीं अपितु भारतीय नागरिकों में देश प्रेम उत्पन्न करने वाला आंदोलन भी था। सर्वाधिक रूप से स्वामी दयानन्द का प्रभाव महाराजा जोधपुर, महाराणा उदयपुर और करौली के महाराज पर पड़ा। महाराजा जोधपुर ने तो यही तब आदेश जारी

कर दिये कि सभी सरकारी कर्मचारियों के लिये छाठी पहनना अनिवार्य होगा। श्याम समाज आंदोलन ने अनेक सामाजिक कुरीतियाँ जंमे सती प्रथा बहू विवाह और पर्दा पथा को भी समाप्त करने में योगदान दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षा का एक प्रभाव यह भी पड़ा कि राजस्थान के नागरिक राजनीतिक दृष्टि में जागृत हो उठे उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान हुआ और इस प्रकार उनके हृदय में ब्रिटिश विरोधी भावनाएँ जन्म लेने लगीं।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और राजस्थान में क्रांतिकारी आंदोलन (१८८५-१९२४)

१८८४ का वर्ष आन्तरिक नतिरोध की समाप्ति और राजनीतिक पुनर्र्जागरण का काल कहा जा सकता है। दाशभाई नारोबी और ए. ए. ह्यूम के संयुक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप २८ दिसम्बर १८८५ को बंबई में गोकुलदास त्रेवणाल सहकृत कॉलेज भवन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई जो आगे चलकर भारतीय स्वाधीनता गणम की आधार शिवा बनी।

भारत में कांग्रेस की भाँति केवल प्रशासनिक सुधार तक सीमित थी, परन्तु धीरे धीरे जन-जागृति के स्वरूप इसके उद्देश्य में परिवर्तन हुआ और अन्त में इसके द्वारा पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। दुर्भाग्य से राजस्थान के राजा महाराजाओं द्वारा कांग्रेस के विरुद्ध मोर्चा बनाया गया। ये राजा महाराजा कांग्रेस की नीति के अन्तर्गत से ही विरोधी थे क्योंकि वे यह जानते थे कि यदि कांग्रेस के कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया गया तो उनके राज्य भी जनता भी अधिकारों की मांग करेंगी और उस अवस्था में उनका निरंकुश शासन अधिक समय तक बना नहीं रह सकेगा। यही कारण है कि २५ अगस्त, १८८९ को महाराजा जयपुर के नाम भेजे गए अपने एक पत्र में सर संघ

अहमद खां ने इस बात पर बल दिया था कि भारतीय विद्वानों के राजार्थों को कांग्रेस के कार्यक्रम का समर्थन नहीं करना चाहिए। सर सैयद अहमद खां ने इंडियन पैट्रीओटिक एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना भी की, जिसका सदस्य बनने के लिए सभी राजा महाराजार्थों से अनुरोध किया गया था। परंतु सर सैयद अहमद खां के उद्युक्त पत्र पर महाराजा जयपुर ने अपनी कोई प्रतिनिधिया व्यक्त नहीं की।

घजमेर में कांग्रेस कमेटी की स्थापना

/

राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता गया। १८८७ में गवर्नमेन्ट कॉलेज घजमेर के छात्रों ने मिलकर कांग्रेस कमेटी की स्थापना की। १८८८ में प्रयाग (इलाहाबाद) में जार्ज यून की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कांग्रेस का वचुर्थ अधिवेशन हुआ और पहली बार घजमेर का प्रतिनिधित्व गोरीनाथ मावुर और कृष्णलाल के द्वारा किया गया। राजस्थान में राजनैतिक विकास की ओर यह एक महत्वपूर्ण कदम था। इसी समय राजस्थान में पत्रकारिता का भी जन्म हुआ। राजस्थान का पहला पत्रिक पत्र 'सम्जन कीर्ति सुधाकर' उदयपुर से प्रकाशित हुआ। १८८५ में ही घजमेर में 'राजस्थान टाइम्स' का पहला अंक प्रकाशित हुआ। इसके साथ ही पत्र का हिंदी संस्करण 'राजस्थान पत्रिका' का प्रकाशन भी शुरू हुआ। आरंभ से ही इन पत्रों की नीति नागरिकों में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने की थी। इन पत्रों ने अपने सम्पादकीय में ब्रिटिश प्रशासन की खुलकर आलोचना की। यही कारण है कि दो वर्षों की सक्षिप्त अवधि के पश्चात् यह दोनों पत्र ब्रिटिश सरकार के आदेश पर बंद कर दिए गए और इसके सम्पादक बहानी लक्षमणदास पर मुकदमा चलाया गया तथा १ वर्ष ६ महीने के कारावास की सजा दी गई। १८८६ में मुशी सवरशदान आरण के द्वारा एक नए पत्र 'राजस्थान समाचार' का प्रकाशन आरंभ हुआ। इस प्रकार राजस्थान में घजमेर पत्रकारिता का केंद्र-बिंदु बना और ये राजस्थान के नागरिकों के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता रहा।

कमिश्नर रैंड की हत्या और स्थानजो कृष्ण वर्मा

विभिन्न पत्रों के प्रकाशन का तात्कालिक प्रभाव यह पड़ा कि नागरिकों में राष्ट्रीय चेतना का विकास बहुत तीव्रता से होने लगा। १८६७ में पुना में अफाज पड़ा साथ ही धरंग की महापारी भी फैली। महापारी को रोकने के लिए

ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन्वेस्टमेंट लगाए जाने पारम्भ हुए। इसी समय यह पम्पाहू कंपनी कि इन इन्वेस्टमेंटों में गऊ का माग उपयोग में लाया जाता है। इन समाचार से महाराष्ट्र का आगावरण तनावपूर्ण हो उठा। मन एक दिन जब महाराष्ट्र के कमिश्नर रॉड और उनके सहयोगी लेफ्टीनेंट प्रोमस्टैंट एक मकान से इन्वेस्टमेंट लगाकर लौट रहे थे तो उन्हें गोली मार दी गई। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस घटना में श्यामजी कृष्ण वर्मा का भी हाथ था, परन्तु वे किसी तरह बच निकले और इंग्लैंड पहुंच गए। इंग्लैंड पहुंच कर श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की और प्राणिकारी गतिविधियों का संचालन किया, परिणामतः उन्हीं के एक शिष्य मदननाथ विमरा ने १ जुलाई, १९०१ को तत्कालीन भारत के सचिव वजन विलो की गोली मार दी।

श्यामजी कृष्ण वर्मा स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य थे। उन्होंने प्रान्तकोट विश्वविद्यालय से बी०ए० की परीक्षा पास की थी और प्रथम में बहालत प्राप्त की थी। बाद में वे उदयपुर राज्य के दीवान भी नियुक्त किए गए। श्यामजी कृष्ण वर्मा स्वयंजी बन्धुओं और बन्धु के परके समर्थक थे और इन्हींके उन्होंने एच टैक्सटाइल मिल को भी स्थापना की। इस प्रकार उन्होंने राजस्थान में प्राणिकारियों की गतिविधियों के लिए जमीन भी तैयार की।

राजस्थान में स्वदेशी आंदोलन :

१९वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में राजस्थान के नागरिकों में जन-जागृति उत्पन्न करने-हेतु स्वदेशी आंदोलन पारम्भ किया गया। अंततः हम देख चुके हैं कि राजस्थान में इस आंदोलन के जन्मदाता स्वामी दयानंद सरस्वती थे। राजस्थान में स्वदेशी आंदोलन का पारम्भ जामशेरा, मिरोही, मेवाड़ और डूपपुर में हुआ जहाँ स्वामी गोविन्द गिरी ने नेतृत्व में यह आंदोलन प्रारम्भ हुआ। मिरोही में तन्ना मभा नामक संस्था की स्थापना की गई जिसका एकाग्र उद्देश्य नागरिकों की कठिनाइयों को ब्रिटिश सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करना था। गोविन्द गिरि के प्रभावशाली नेतृत्व में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और केवल स्वदेशी वस्त्रों को ही पहनने का निवचय किया। स्वामी गोविन्द गिरि ने नागरिकों को मद्यपान छोड़ने और अपने राजनीतिक अधिकारों को प्राप्ति के लिए सपथ करने का आह्वान किया। राज्या समा

की इस प्रकार की गतिविधियों से ब्रिटिश सरकार चिन्तित हो उठी और तदनुसार १९०८ में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक आदेश जारी किया गया जिसमें सम्पा सभा की कार्यवाहियों को प्रबंध बताते हुए देशी राजाओं से अनुरोध किया गया कि वे अपने-अपने राज्य में स्वदेशी आंदोलन को पूरी तरह कुचल दें। इस प्रकार सरकार की दमनकारी नीति के परिणामस्वरूप स्वदेशी आंदोलन की अनामयिक मृत्यु हो गई।

दिल्ली दरबार (१९०३)

रैंड और आक्स की हत्याएँ यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त थी कि भारत में ब्रिटिश विरोधी वातावरण धीरे-धीरे अपनी चरम सीमा पर पहुँच रहा था। ऐसी अवस्था में वातावरण को शांत करने की दृष्टि से भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड कर्जन ने देशी रियासतों के राजा-महाराजाओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए १९०३ में दिल्ली-दरबार का आयोजन किया, जिसमें इन सभी राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया गया था। लार्ड कर्जन के इस निमन्त्रण का राजस्थान के सभी राजा महाराजाओं ने बहुत जोरदार स्वागत किया, जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़, सिरोही और बीकानेर इत्यादि के राजाओं ने इस अवसर को ब्रिटिश सम्राट के प्रति अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने का एक उत्तम अवसर माना। सम्भवतः राजस्थान में उदयपुर के महाराणा ही एकमात्र ऐसे राज्याध्यक्ष थे जिन्होंने बड़ी ही हिचकिचाहट के साथ दिल्ली दरबार में उपस्थित होने की स्वीकृति भेजी थी, परन्तु यह स्वीकृति भी सशर्त थी, अर्थात् जब महाराजा को यह विश्वास दिला दिया गया कि उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार ही उन्हें स्थान दिया जायगा तब ही महाराणा दरबार में सम्मिलित होने के लिए तैयार हुए। परन्तु इस सबके बावजूद उदयपुर के गणिक महाराणा के इस निर्णय से सहमत नहीं थे क्योंकि उनका विश्वास था कि ब्रिटिश राज दरबार में महाराणा की उपस्थिति उदयपुर की प्रतिष्ठा को आघात पहुँचायेगी और साथ ही यह हिंदू और विशेषकर राजपूत जाति के लिए गौरव की बात नहीं होगी। यही कारण है कि जब महाराणा फतेहसिंह दिल्ली दरबार में उपस्थित होने के लिए उदयपुर से रवाना हुए तो उनके एक दरबारी कवि बरहठ केसरीसिंह ने महाराणा की एक कविता दी जिसमें उदयपुर के पूर्ववर्ती महाराजाओं के दण, धँभव और साहस की प्रशंसा की गई थी और महाराणा फतेहसिंह को स्मरण कराया गया था कि उदयपुर

राजपरामे में सर्वत्र श्रेष्ठ परंपराओं का निर्वाह किया है, और कभी भी किसी विदेशी शक्ति के सामने मस्तक नहीं झुकाया है। ऐसा प्रतीत होता है कि महाराणा फतेहसिंह पर इन बलिता का गभीर प्रभाव पड़ा और उन्होंने दिल्ली-सल्तनत में उपस्थित न होने का निश्चय कर लिया। ३१ दिसम्बर १६०२ को महाराणा दिल्ली पहुंचे जहाँ उन्हें यह जानकारी मिली कि उनका स्थान हैदराबाद, बड़ौदा, मैसूर और काश्मीर के महाराजाओं के परवाह निर्धारित किया गया है। निश्चय ही यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिए गए आश्वासन के विरुद्ध था, परंतु महाराजा यह बहाना बनाकर रि. के स्वयं और उनके सहज लक्ष्य यात्रा के कारण व्यस्त हो गए हैं अतः क्यूक का स्वागत करने और दरबार में उपस्थित होने में अग्रमर्ग है उदयपुर वापस लौट आए। तबनेर जनरल महाराजा के उत्तर से स्पष्ट ही घतपुष्ट थे, परंतु इस समय ब्रिटिश सरकार ने महाराणा के विरुद्ध बंदूक उठाने का निश्चय नहीं किया।

इस प्रकार जहाँ एक ओर अधिकांश राजा और महाराजा ब्रिटेन के प्रति अपनी स्वामी शक्ति प्रदर्शित कर रहे थे वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता में ब्रिटिश विरोधी भावनाएँ तेजी से फैल रही थीं। १६०४-५ में रुम जापान युद्ध हुआ। जापान जैसे छोटे से देश के हाथों इस की पराजय ने भारत में एक नयी राजनैतिक चेतना को जन्म दिया। अब भारतीय भी यह विचारने लगे कि यदि आगाम जैसा छोटा सा राष्ट्र रुम जैसे शक्तिशाली राष्ट्र को पराजित कर सकता है तो क्या भारतीय ब्रिटिश शासन से लोहा नहीं ले सकते? इसी समय कुछ लेखकों ने त्रिनमे बकिमचंड घटर्गी मुख्य थे ऐसे उपन्यास प्रकाशित किए जो राष्ट्रीय भावना से परिपूर्ण थे, उदाहरणतः बकिमचंड घटर्गी का 'धानद मठ' और 'रुपाल कुण्डला' भारत के क्रतिकारियों की नीता बन गया। इस प्रकार के सातावरण से राजस्थान भी प्रभावित हुए बिना न रह सता। उदयपुर के देग भक्त कवि अन्धधर शर्मा गुलेरी ने राष्ट्रीय भावना से प्रेरित एक कविता लिखी जो फतेहपुर सेनावादी से प्रकाशित होने वाले एक साप्ताहिक पत्र 'देगोपकारक' में प्रकाशित हुई।

बंगाल विभाजन (१६०५)

१६०५-६ में भारत का राष्ट्रीय आंदोलन कातिकारी और आनकवादी रूप धारण कर चुका था। इसी समय १६ अगस्त, १६०५ को लार्ड कर्जन ने तयारकृत प्रशासनिक कारणों के आधार पर बंगाल की दो भागों में

विभाजित करने की घोषणा की। वास्तव में यह प्रातिकारी आंदोलन को कुचलने का एक निम्नस्तरीय कदम था। बंगाल विभाजन की घोषणा ने समूचे देश और खास तौर से बंगाल के नागरिकों को उत्तेजित कर दिया। भारतीय राष्ट्रवाद में बन्देमातरम् शब्द ने एक नया महत्व ग्रहण किया। अब तो युवा छात्र और नागरिक बन्देमातरम् कहकर ही एक दूसरे को अभिवादन करने लगे और इससे ब्रिटिश सरकार इतनी अधिक चिंतित हुई कि उसने बन्देमातरम् कहने पर भी रोक लगा दी।

बंगाल की हवा राजस्थान में भी पहुँचती प्रारंभ हुई। ब्रिटिश सरकार ने तत्कालीन नियमों के अधीन राजस्थान के सभी राजाओं से अनुरोध किया कि वे अपने अपने राज्यों में किसी भी प्रकार का प्रातिकारी साहित्य और आतंकवादी साधन न तो घाने हों और न ही पनपने हों। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड मिंटो (१९०६ में) ने जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, झलवर और धौलपुर आदि महाराजाओं को एक संदेश भेजा, जिसमें इस प्रातिकारी आंदोलन को हर संभव तरीकों से कुचल देने का निर्देश दिया गया था। अपने प्रत्युत्तर में राजस्थान के सभी राजाओं ने ब्रिटिश सरकार को अपना पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। महाराजा बीकानेर ने तो भारतीय प्रेस को नियंत्रित कर देने की भी मांग की। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर बूंदी किशनगढ़ और अन्य राजाओं ने अपने अपने राज्य में आदेश जारी किए जिसके अनुसार किसी भी प्रकार के प्रातिकारी संगठन में शामिल होना अथवा प्रातिकारी साहित्य रखना या पढ़ाना और किसी भी सांस्कृतिक सभा में बिना अनुमति के उपस्थित होना दण्डनीय अपराध घोषित कर दिया गया। यही नहीं बल्कि प्रायः समाज के साहित्य को भी जप्त कर लेने के आदेश जारी कर दिए गए। इसी प्रकार ब्रिटिश विरोधी प्रचार पर भी पाबंदी लगा दी गई। इन सदन में एक महत्वपूर्ण घटना उद्घृत करना समीचीन होगा। कुमारी पेरिन मेरोजी जो कि ब्रिटिश विरोधी प्रातिकारी संगठन की एक सदस्य की मित्र की—ने बीकानेर राज्य में नियुक्ति के लिए आवदन पत्र भेजा परन्तु महाराजा बीकानेर ने न केवल उनके आवेदन पत्र को ही अस्वीकृत किया बल्कि राजस्थान के अन्य सभी राजाओं से भी यह अनुरोध किया कि उसे राजस्थान में वहीँ भी नियुक्त न किया जाय। इसी समय राजस्थान के प्रायः सभी राजाओं ने एक नया आदेश जारी करके ब्रिटिश विरोधी कार्यों को दण्डनीय अपराध घोषित कर दिया।

महाराजा अलवर का दृष्टिकोण .

इस सदर्भ में अलवर के महाराजा जयसिंह देव का दृष्टिकोण उल्लेखनीय है। ऐसा प्रतीत होता है कि महाराजा अलवर ब्रिटेन की सर्वोच्च शक्ति के रूप में मानने की तैयार नहीं थे और न ही वे भारत में ब्रिटिश शासन के बने रहने से प्रसन्न थे। १९०६ में जब भारत के गवर्नर जनरल अलवर की यात्रा पर आने वाले थे तो महाराजा ने महात्मा सुभाष देवता को लिखे पत्र में गवर्नर जनरल डेवरे से उस पर अलवर राज्य का ध्वज फहराया जाना चाहिए। इसी प्रकार जब ब्रिटिश सरकार एडवर्ड सप्तम की मृत्यु हुई तो महाराजा ने भडे झुंझने से इनकार कर दिया। संभवतः यह इसी घटनाओं का परिणाम था कि ब्रिटिश सरकार ने महाराजा के आचरण के विरुद्ध आदेश जारी करने का आदेश दिया और ब्रिटिश नागरिकों को यह आदेश दिया कि उन्हें अलवर राज्य में नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं करना चाहिए।

राजस्थान में आतंककारी आंदोलन :

राजस्थान में सभी प्रकार की गतिविधियों पर नियंत्रण लगा देने के बावजूद भी आतंककारी आंदोलन चलते रहते। जब भारतीय मुक्तपक्ष भी ब्रिटिश विरोधी आंदोलन में शामिल होने के लिए गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे थे। उदाहरणतः शर्मा से भारतीय मुक्तपक्षों के नाम एक पत्र भेजा गया था, जिसमें उनसे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन में शामिल होने का अनुरोध किया गया था। इस समय उत्तर भारत में अनेक आतंककारी दल कार्य कर रहे थे जो राजस्थान के आतंकवादियों से भी संबंधित थे। राजस्थान में आतंकवादियों का नेतृत्व जयपुर, कोटा और अजमेर से कमल भवनलाल सेठी, केसरसिंह बरहट और राव गोपालसिंह एवं दासोदरदास राठी के द्वारा किया जा रहा था। अब हम संक्षेप में इन तीन प्रमुख आतंकवादियों की गतिविधियों की विवेचना करेंगे।

अर्जुनलाल सेठी और उसके आतंककारी दल :

इस समय जयपुर का राजनैतिक वातावरण अत्यन्त ही तनावपूर्ण था, क्योंकि राज्य के द्वारा इतने अधिक नियंत्रण लगाए जा चुके थे कि किसी भी व्यक्ति के लिए अनेक विचार तब प्रकट करना असंभव था। इन वातावरण में भी अर्जुनलाल सेठी और उसके आतंककारी सहयोगी ब्रिटिश शासन के

विद्वद्ध योजना तैयार कर रहे थे। अर्जुनलाल सेठी एक सम्राट परिवार के प्रोजेक्ट थे, उन्होंने जैन वर्धमान पाटशाला के नाम से जयपुर में एक स्कूल धारण किया जो वास्तव में जातिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया करता था। अर्जुनलाल सेठी के हम विद्यालय में न केवल राजस्थान से ही अपितु भारत के विभिन्न भागों से जातिकारी शिक्षा दीक्षा लेने आते थे। इस प्रकार अर्जुनलाल सेठी का स्कूल शीघ्र ही राजस्थान में जातिकारी एवं आतङ्कवादी गतिविधियों का केन्द्र बन गया।

निमेज हत्याकांड

तदनुसार अर्जुनलाल सेठी द्वारा एक धनिक महन्त की हत्या करने का पड्यत्र तैयार किया गया। इसका मुख्य कारण यह था कि जातिकारियों के पास धन का सर्वाधिक प्रभाव था और भावी योजनाएँ तभी पूरी हो सकती थीं जबकि इन जातिकारियों के पास धन प्रचुर मात्रा में ही। घट मुगलसराय स्थित एक धनिक महन्त की हत्या कर उसके धन ले भाने का निश्चय किया गया। इसके लिए अर्जुनलाल सेठी के स्कूल के छात्र सर्वश्री मानकचंद, मोतीचंद, जोरावरसिंह व जयचंद नियुक्त किए गए। विष्णुदत्त के नेतृत्व में इस दल ने बनारस की ओर प्रस्थान किया और २० मार्च, १९१३ को उस धनिक महन्त व उसके नौकर की हत्या कर दी गई परंतु दुर्भाग्य से जातिकारियों ने हाथ केवल एक टाइमपीम घड़ी व पानी पीने के बर्तन के अतिरिक्त कुछ न लगा। इस समूची घटना का रहस्योद्घाटन तब हुआ जबकि श्योनारायण नामक एक युवक जातिकारी मुखविर बन गया। परिणामतः उपर्युक्त सभी जातिकारी गिरफ्तार कर लिए गए जिनमें से मोतीचंद को मृत्युदंड तथा विष्णुदत्त को आजीवन कारावास का दंड मिला। सबूत के अभाव में अर्जुनलाल सेठी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका।

दिल्ली पड्यत्र कांड

२३ दिसंबर, १९१२ को भारत के गवर्नर जनरल लार्ड हार्डिंग का जुजूम चादनी चौक, दिल्ली में से होकर गुजरा और उसी समय उन पर बम फेंका गया। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत के युवा जातिकारी पूर्णतः सक्षम हैं और वाइसराय का जीवन भी उनकी पहुंच के बाहर नहीं है। सैनिक एवं पुलिस की बड़ी व्यवस्था के मध्य वाइसराय के ऊपर बम फेंका जाना कोई मामूली बात नहीं थी। सामान्यतः ऐसा विश्वास किया जाता

है कि यह बम रामबिहारी बोस ने फेंका था, परन्तु यह अधिक तार्किक प्रतीत नहीं होगा। ऐसा विश्वास किया जा सकता है कि वास्तव में यह बम रामस्वाम के नातिकारी छात्र जौरावरसिंह बारहठ ने जो कि जोधपुर महापानी के भूतपूर्व दीवान थे, मुर्षा घोड़गर वादनी चौक स्थित मारवाड़ी लारोरी से फेंका था। हाइड्रोजन बम-कांड भयवा दिल्ली-पड़मन कांड के सिलसिले में अनेक नातिकारी गिरफ्तार किए गए जिनमें लाला भमीरचंद, छोटेनाल उर्फ रामलाल, भवोप बिहारी, बाल मुकद, मोतीचंद, विष्णुदत्त और भुवुंनलाल सेठी प्रमुख थे।

इस घटयन कांड के फंसले के अंतर्गत यद्यपि बाल मुकद और मोतीचंद को लार्ड हाइड्रोजन एर बम फेंकने के अपराध में मृत्यु दंड दे दिया गया परन्तु सबसे दिलचस्प बात यह थी कि यह पूरा मुकदमा परिस्थितियों से उचित साक्षियों पर आधारित था, प्रत्यक्ष साक्षी पर नहीं। भमीरचंद मुर्षार बन गया था और प्रदानत में दिए गए उसी की गवाही से रहस्योद्घाटन हुआ कि इस घटयन को तैयार करने में भुवुंनलाल सेठी का भी गहरा हाथ था। पुलिस ने भुवुंनलाल सेठी को तो गिरफ्तार कर लिया परन्तु यह रामबिहारी बोस व जौरावरसिंह बारहठ को गिरफ्तार करने में असमर्थ रही। यद्यपि मजूर पक्ष भुवुंनलाल सेठी के विरुद्ध कोई भी मामला बनाने में सफल नहीं होता तथा तथापि बिना मुकदमा चलाए ही सेठी को जेल में बंद रखा गया और बाद में ५ दिसम्बर, १९१४ को जयपुर महाराजा के आदेश पर उन्हें पांच वर्ष के कारावास की सजा दे दी गई। भुवुंनलाल सेठी पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सका, उपर्युक्त कारावास देते समय केवल इतना ही कहा गया था कि भुवुंनलाल सेठी राजनीतिक घटयनों में सम्मिलित हैं और वह शांति व व्यवस्था के लिए गभीर खतरा है। महा तक कि इस भय से कि कहीं जयपुर में शांति और व्यवस्था खतरे में न पड़ जाय सेठी को मद्रास निज वेल्थोर जेल में स्थानांतरित कर दिया गया और बिना महाराजा जयपुर के आदेश के उनके जयपुर प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। बाद में १९१० में जब राजनीतिक बन्धियों को क्षमादान दिया गया तो भुवुंनलाल सेठी को भी मुक्त कर दिया गया, परन्तु तभी यद्यपि तक कारावास में रहने के कारण रिहाई के बावजूद जैन समाज में उन्हें सम्मानजनक स्थान प्राप्त नहीं हो सका और इसीलिए अंत में निराश होकर उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, और बाद में अजमेर स्थित दरगाह में उनकी मृत्यु हो गई।

केसरीसिंह बारहठ और कोश क्रांतिकारियों का दल

प्रजुनमान सेठी की तरह ही केसरीसिंह बारहठ ने भी कोश में क्रांतिकारियों का संगठन बनाया जिनमें डा० गुरदत्त, लक्ष्मीनारायण और हीरानन्द लहरी प्रमुख थे। केसरीसिंह बारहठ का यह विश्वास था कि स्वराज्य प्राप्ति के लिए राजस्थान में भी वगान में कार्य कर रही गुप्त समितियों के समान ही संगठनों की स्थापना की जानी चाहिए। निश्चय ही इस प्रकार के संगठनों की मरुतना के लिए धन की आवश्यकता थी। धन इकट्ठी कर लेना और हत्या के द्वारा धन इकट्ठा करने की योजना बनाई गई। तदनुसार जोधपुर के एक धनिक साधू की हत्या करने का निश्चय किया गया। योजनानुसार प्यारेलाल साधू को जोधपुर से बोंदा लाने के लिए रामकरण नामक एक क्रांतिकारी को भेजा गया जो साधू को मकलनापूर्वक २३ जून, १९१२ को बोंदा लिया लाया। तत्पश्चात् साधू को दूब में मिलाकर जहर दे दिया गया परन्तु जब इसका प्रभाव होता दिखाई नहीं दिया तो २५ जून, १९१२ को हीरालाल लाहिरी ने साधू की हत्या कर दी। जबरदस्त खोजबीन व जांच पड़ताल के बावजूद पुलिस किसी भी व्यक्ति को लगभग ६ माह तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। पुलिस द्वारा क्रांतिकारियों को पकड़ने में सफलता तब मिली जबकि रामकरण द्वारा केसरीसिंह बारहठ को गुप्त भाषा में लिखा गया एक पत्र पकड़ा गया। इस पत्र में यह कहा गया था कि अब तक झंझार हो गया होगा अतः उसे जेल में मरुतियों को खिलाने के लिए फेंक दिया जाय। स्पष्टतः ही इसका अर्थ यह था कि साधू के घबरोप नदी में फेंक दिए जाए जिससे कि पुलिस को हत्या किए जाने का कोई प्रमाण न मिल सके। परिणामतः केसरीसिंह बारहठ हीरालाल लाहिरी रामकरण और हीरालाल जालौरी को साधू की हत्या किए जाने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे के दौरान लक्ष्मीलाल कायस्थ मुन्बिर बन गया। केसरीसिंह बारहठ, हीरालाल लाहिरी और रामकरण को २०-२० वर्षों का कारावास तथा हीरालाल जालौरी को मान वर्षों के कारावास का दंड दिया गया। प्रथम महापुद्ग के बाद १९१६ में जब राजनीतिक बंदियों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्षमा क्षमा दी गई तो धून से केसरीसिंह बारहठ को भी रिहा कर दिया गया।

राज गोपालसिंह और क्रांतिकारी दल

छत्रमेर में परवा के राज गोपालसिंह व कृष्णा प्रियत नि० व्यावर

के सैठ दामोदरदास राठी राजस्थान में जातिकारी आंदोलन से परिचित बन से सम्बन्धित थे। राय गोपालसिंह जहाँ योजनाओं को कार्य रूप देते थे वहीं सैठ दामोदरदास जातिकारियों को प्राथिक सहायता देते थे। राय गोपालसिंह जातिकारियों के लिए मदन-मदन की भी व्यवस्था करते थे और इन कार्यो में भूपतिह उर्फ विजयसिंह पदिर भी उनकी सहायता करते थे। राय गोपालसिंह यहाँ ने प्रतिष्ठित जातिकारी रास बिहारी बोस और बेलरोसिंह बारहड से भी गुप्त रूप में सम्पर्क स्थापित किए हुए थे। वास्तव में भजमेर के इस जातिकारी दल का पता निमोज ह्यारांड और शेट के तापू की इलाके मिलसिंघे में लगा। इन राजस्थान में एजेंट गवर्नर जनरल ने राय को चेतावनी दी कि वे अपने आपको ब्रिटिश विरोधी एवं मातृकवादी गतिविधियों से अलग रहें, परंतु राय पर इस चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने प्रथम महापुत्र के दौरान ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई।

सशस्त्र क्रांति योजना और प्रथम महापुत्र -

१९१४ में जब यूरोप प्रथम महापुत्र में उत्पन्न हुआ था तो उत्तर भारत में सशस्त्र क्रांति करने की योजना बनाई जा रही थी। रास बिहारी बोस और सचिन्द्रनाथ तनियास इस सशस्त्र क्रांति की योजना के कर्णधार थे। राजस्थान के जातिकारी गोपालसिंह शारदा भी इस योजना से सम्बन्धित थे। रास बिहारी बोस के एक सदेवमहक मण्डीताल ने फरवरी १९१५ के मध्य सारवा की यात्रा की थी और यह सदेव दिया था कि २१ फरवरी १९१५ का दिन सशस्त्र क्रांति करने के लिए निश्चय किया गया है और क्रांति का आरम्भ रास बिहारी बोस के द्वारा दिल्ली पर आक्रमण करके आरम्भ किया जाएगा। रास बिहारी बोस ने अपने सदेव में राय गोपालसिंह से सक्रिय सहायता देने का अनुरोध किया था। राय गोपालसिंह की भी यह भाशा थी कि यदि क्रांति हुई तो ओधपुर के सर प्रभाव उसकी सक्रिय सहायता करेंगे। ऐसा विश्वास किया जाता है कि बीकानेर और ओधपुर के महाराजाओं की महानुभूति जातिकारियों के साथ थी और वे सशस्त्र क्रांति की सफलता के परभाव उदयपुर के महाराजा फतेहसिंह को दिल्ली का सम्नाट घोषित करना चाहते थे। ऐसी भी आशा व्यक्त की गई थी कि मुल्तान, लाहौर और मेरठ की सेनाएँ रास बिहारी बोस का साथ देंगी और इस अवस्था में राय गोपालसिंह के नेतृत्व में ओधपुर और बीकानेर की सेनाएँ भजमेर पर आक्रमण

करेगी। तदनुसार राव गोपालसिंह और भूपसिंह उन्हें विजयसिंह पब्लिक मजमेर नजीराबाद रेलवे साइन के समीप एक जंगल में घटो सकेत की प्रतीक्षा करते रहे, परन्तु उन्हें जाति करने का कोई संदेश नहीं मिला। इसका कारण यह था कि मण्डीलास मुखविर बन गया था और उसने जातिकारियों के साथ विश्वासघात करके योजना की समस्त सूचना पुलिस को दे दी थी, परिणामतः योजना विफल हो गई। ब्रिटिश सरकार ने २६ जून, १९१५ को राव गोपाल सिंह को आदेश दिया कि वे २४ घंटे के अंदर-अंदर सारवा को छोड़ दें और टाडगढ़ पहुंचकर ३६ घंटे के दौरान अपने अपने की सूचना तहसीलदार को दें। आदेश में यह भी कहा गया था कि टाडगढ़ निवास के दौरान राव गोपाल सिंह, तहसीलदार की पूर्ण अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति से नहीं मिल सकेंगे और उनके समस्त डाक पत्र तहसीलदार के द्वारा ही उन्हें भेजे जाएंगे। आदेश के अनुसार राव गोपालसिंह को दिन में एक बार अपनी उपस्थिति तहसीलदार के सम्मुख दर्ज करानी थी, और बिना तहसीलदार की अनुमति के वे टाडगढ़ की सीमा से बाहर नहीं जा सकते थे। आदेश के उल्लंघन करने पर जुर्माना और तीन वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता था। राव गोपालसिंह को टाडगढ़ के लिए खाना होना पड़ा, उन्होंने चलते समय अपने प्रबन्धक उत्तराधिकारी गणपतसिंह को जो उन्हें ब्यावर तक छोड़ने चाया था, कहा कि—अपने देश के प्रति बफादार रहना।

१० जुलाई १९१५ को राव गोपालसिंह टाडगढ़ से बच निकला परन्तु बाद में २० अप्रैल, १९१५ को सलामबाद (विशनगढ़) स्थित एक निवालय में राव ने पुलिस के समक्ष इस आश्वासन पर आत्मभ्रमपूर्ण कर दिया कि उसे एक राजनीतिक अभियुक्त माना जावेगा। तत्पश्चात् भारतीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत दो वर्ष का साधारण कारावास का दण्ड दिया गया। राव गोपालसिंह को कानूनी सहायता देने में इन्कार कर दिया और सारवा ग्राम सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। कुछ समय बाद राव गोपालसिंह को गान्धियापुर स्थित बिहार जेल में स्थानान्तरित कर दिया गया।

प्रतापसिंह बारहठ और सचिन्द्रनाथ सनियाद की गतिविधियां -

पत्र पटना चक्र सेन्नी से भूप रहा था, अर्जुनसाल सेठी, केसरीसिंह बारहठ और राव गोपालसिंह सारवा गिरफ्तार हो चुके थे मत पत्र जातिकारी दल का नेतृत्व प्रतापसिंह बारहठ, बृजमोहनसाल और छोटेसाल के हाथों

में घात। प्रतापसिंह बारहूठ एक उसी क्रांतिकारी या और उसने एक बार फिर भारतीय सेना से मिलना संभव ज्ञाति करने की योजना बनाई। प्रतापसिंह सहयोग एवं मन्त्र शास्त्र की प्राप्ति के लिए पिपले को भेरा गया। साथ ही यह भी निश्चय किया गया कि ज्ञाति प्रारम्भ करने के संकेत के रूप में भारत सरकार के गृह सदस्य सर्व रेगीनान्ड फेडोक की हत्या कर दी जाय। फेडोक की हत्या करने की जिम्मेदारी जयचन्द नामक एक क्रांतिकारी को सौंपी गई जो हरिद्वार में बाबा काली कम्पनी वाला के आश्रम में ठहरा हुआ था। अतः एक अन्य क्रांतिकारी रामनारायण चौधरी को हरिद्वार भेजा गया जिससे कि वह जयचन्द को माय ना सके। पुलिस की बड़ी व्यवस्था के बावजूद रामनारायण चौधरी सफलतापूर्वक हरिद्वार पहुँच गए परन्तु जयचन्द ने वहाँ से चलने में असमर्थता व्यक्त की क्योंकि उक्त समय वह एक मोर बँकती बालने में व्यस्त था। परिणामतः रामनारायण चौधरी को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। सब क्रांतिकारियों ने फेडोक की हत्या करने की जिम्मेदारी प्रतापसिंह बारहूठ को सौंपी, परन्तु फेडोक निश्चिन्त समय पर नहीं पहुँचा और इस प्रकार उसकी हत्या नहीं हो सकी। दूसरी ओर भेरठ में पिपले को उस समय गिरफ्तार कर लिया गया जब वह प्रत्यक्ष प्रत्यो के साथ वहाँ से रवाना होने ही वाला था, और इस प्रकार ज्ञाति की समस्त योजना छिन्न भिन्न हो गयी।

प्रतापसिंह बारहूठ की गिरफ्तारी और बनारस-यदयन्त्र-काण्ड

बनारस-यदयन्त्र-काण्ड के दिल्दिलिभ म प्रतापसिंह बारहूठ के विरुद्ध गिरफ्तारी के वारंट जारी हो चुके थे, परन्तु वह भूमिगत हो गया और हैदराबाद (मिन्ध) के एक सरकारी म कम्पाउन्डर बन गया। इसी बीच पुलिस को प्रताप के बारे में खबर मिली और वह खोजबीन करते करते जयपुर पहुँच गयी। पुलिस द्वारा प्रताप के परिवार को बहुत अधिक सहाय्य देने पर यह बतल दिया गया कि प्रताप हैदराबाद में है परन्तु हैदराबाद (मिन्ध) के स्थान पर हैदराबाद (दक्षिण) का पता दे दिया। परिणामतः पुलिस हैदराबाद दक्षिण की ओर रवाना हुई और खबर प्रताप के मुख्य सहयोगी रामनारायण चौधरी हैदराबाद मिन्ध की ओर रवाना हुए, जिनसे कि प्रताप को शीघ्र मुक्ति स्थान पर ले जाया जा सके। अतः पुलिस से बचने के लिए प्रताप हैदराबाद से रवाना हुआ और जोधपुर के निकट आशानादा रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर से जो कि उन्हीं के दल का एक सदस्य था, मिलने के लिए

उपर पडा। परन्तु कुछ ही दिन पूर्व मामानादा स्टेशन पर धम की एक पारसल बरामद हुई थी और धमने धापको बचाने के लिए स्टेशन मास्टर मुखबिर बन गया था। परिणाम यह हुआ कि प्रताप को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे बनारस षडयंत्र के सिनमिन मे पाच वर्ष के कारावास की सजा दी गई। निर्णय मे यह भी कहा गया था कि ज्ञानिकारियों ने मध्य भारत के पाठकवादियों के सम्पर्क साधनों में प्रताप की सेवाओं का सहारा लिया था।

रामनारायण चौधरी की गतिविधियाँ

जब प्रतापसिंह बारहठ मामानादा रेलवे स्टेशन पर उतरा था तब यह निश्चय किया गया था कि रामनारायण चौधरी उसकी बीकानेर मे प्रतीभा करेगा। अतः जब प्रताप बीकानेर नहीं पहुँचा तो योजनानुसार रामनारायण चौधरी ने मामानादा के स्टेशन मास्टर को एक पत्र लिखा। यह पत्र पुलिस के हाथ लग गया और तीन दिन के अन्दर ही अन्दर सी आई डी पुलिस इन्स्पेक्टर मगनराज व्यास रामनारायण चौधरी को गिरफ्तार करने बीकानेर पहुँचे परन्तु चौधरी के भावा के प्रभाव के कारण उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका। रामनारायण चौधरी पुलिस से बचने के लिए जयपुर पहुँच गए जहाँ यह निश्चय किया गया कि उसे भूमिगत हो जाना चाहिए और साभर मे कृष्णा सोडानी नामक एक अथ ज्ञानिकारी के साथ ठहरना चाहिए। नवम्बर, १९१५ मे जब बनारस षडयंत्र कांड के निरन्तरे मे सचिदनाथ सवियाल और प्रतापसिंह बारहठ को लम्बे लम्बे कारावास की सजा सुनाई जा चुकी थी उस समय रामनारायण चौधरी भी का पान्ना (बिना सीकर) स्थित अपने निवास स्थान वापिस लौग परन्तु यहाँ भी सी आई डी इन्स्पेक्टर मगनराज व्यास उनका पीछा कर रहा था। अतः यह निश्चय किया गया कि किसी तरह मगनराज व्यास को भ्रममे लगे जाया जाय और बहा छोटेनाम नामक एक कारिकारी उसे गोली मार दे। परन्तु योजना क्रियान्वित नहीं हो सकी। तत्पश्चात् रामनारायण चौधरी रामगढ़ शेजावाटी के एक मिडिल स्कूल मे अध्यापक हो गया उसने बहा भी ज्ञानिकारी बन का सङ्गन किया परन्तु यह सङ्गन कोई विशेष कार्य नहीं कर सका।

१९१५ मे जयपुर के एक जैन यतीन ने जयपुर के प्रधानमंत्री और ब्रिटिश रेजीडेन्ट के विरुद्ध कुछ हस्तहार बाँटे। ऐसा विश्वास किया जाता है कि हस्तहार का प्रारूप रामनारायण चौधरी के द्वारा तैयार किया गया था

घोर एक सादरिल जाने की दुकान पर जैन बकील ने इसे साइसपोस्टाइस किया था तथा मयजत खिलास फंडनी ने मैनेजर के द्वारा इसे वितरित किया गया था। पहले ही दिन गहर के सभी प्रमुख स्थानों राजभवन, स्कूल और बानेद व पुनिस बानो पर उपर्युक्त इमहार बिपने हुए देते गए। काशी खोजदीन के बाद साइसपोस्टाइस इमहार का पूर वर्जा जैन बकील के यहा से बरामद हुआ, उसके साबिनो का पता लगाने के लिए पुनिस द्वारा जैन बकील को भारी धाननाए दी गई, परन्तु मन्त्र तक उतने घरने सहयोगियो का नाम नहीं बनाया और इस प्रकार जैन बकील के धन्व जातिकारी सहयोगियो की गिफ्तारी नहीं हो सकी।

प्रथम महापुत्र और भारतीय राजाधों का दृष्टिकोण :

दून, १९१४ मे प्रथम महापुत्र धारम्भ हुआ। महात्मा गांधी का विचार था कि इस विपत्ति के समय भारत को ब्रिटेन की लन, मन धन से सहायता करनी चाहिए। देशी राज्यों के राजा भी ब्रिटेन को हर समय सहायता दिए जाने के पक्ष मे थे, लखनऊ की लनेर, जोधपुर, जयपुर, मलवर, भल्लपुर, धौनपुर इत्यादि सभी राजाधों ने ब्रिटेन को हर समय सहायता दी। देशी राजाधों द्वारा ब्रिटेन को सहायता दिए जाने का एक कारण यह भी था कि ये लोग इस लक्ष्य से भलोनामि परिनिन थे कि ब्रिटिश-शासन ही उनकी पहियों को बनाए रख सकता है।

प्रथम महापुत्र की समाप्ति और विभिन्न राजनीतिक गतिविधियो :

१९१९ मे प्रथम महापुत्र समाप्त हुआ। भारत मे मान्टग्यू वेम्सफोर्ड कुषार लागू किए गए। इन सुधारों के धनार्थ देशी राज्यों के नरेन्द्रमण्डल की भी स्थापना हुई। साथ ही साथ भारत मे ब्रिटिश विरोधी घान्दोलन ने एक नया रूप धारण किया मत्र भारत मे घान्दोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने समाजा और इस प्रकार जातिकारी घान्दोलन के स्थान पर धार्मिक घान्दोलन धारम्भ हुआ। इन समय राजस्थान मे दो नए समाचार पथो 'राजस्थान केसरी' और 'वर्णा राजस्थान' का प्रकाशन धारम्भ हुआ। इन समाचार पथो का एक-मात्र उद्देश्य राजस्थान की जनता मे राजनीतिक चेतना उत्पन्न करना था साथ ही विभिन्न राज्यों मे होने वाले घान्दोलनों के प्रति राजस्थान की जनता का ध्यान संकेपित करना था। राजस्थान केसरी के सम्पादक विजयसिंह पवित्र थे तथा समाचारपथु धीबरी, हरिभाई किकर और कन्हैयालाल कलकवि इनके

महद्योगी थे। प्रभुनवाब सेठी और केपरीसिंह बारहठ ने पत्र में लेख लिखकर जन-जागृति में योगदान दिया। इस समय अजमेर में मुख्यतः तीन दल कार्य कर रहे थे। पहले दल का नेतृत्व विजयसिंह पथिक, दूसरे दल का नेतृत्व प्रभुनवाब सेठी और तीसरे दल का नेतृत्व गांधीवादी जमनालाल बजाज और हरिभाऊ जगन्नाथ के हाथों में था।

१५ मार्च, १९२१ को राजस्थान पोलिटिकल कौंसिल का द्वितीय अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में अजमेर में सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम में एक प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया जिसमें मुसलमानों से असहयोग-आन्दोलन के समर्थन करने की अपील की गई थी और साथ ही प्रत्येक भारतीय नागरिक से यह मांग की गई थी कि वे विदेशी वस्तुओं और वस्तुओं का बहिष्कार करें। अजमेर में भी असहयोग आन्दोलन आरम्भ हुआ। पंडित गोरीशंकर अजमेर के उन प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने महात्मा गांधी के सच्चे शिष्य के रूप में विदेशी वस्तु का बहिष्कार किया। प्रथम महासुद के पत्रवान् ब्रिटेन के द्वारा राजनीतिक कंडियों को ग्राम समादान दिया गया, अतः राजस्थान के दारिद्र्यहीन नेता प्रभुनवाब सेठी, केपरीसिंह बारहठ और गांधीगोपालसिंह रिहा कर दिए गए। एक बार फिर राजनैतिक हलचल आरम्भ हुई और परिणामतः मार्च १९२० में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में 'राजस्थान मध्यभारत' सभा की स्थापना हुई। साथ ही साथ १९१९ में वर्षों में "राजस्थान सेवा सभ" की भी स्थापना की गई जिसे १९२० में अजमेर में स्थानान्तरित कर दिया गया। इस सभ का मुख्य उद्देश्य जनता की कठिनाइयाँ दूर करना और जनता और जागीरदारों के मध्य मधुर संबंध बनाए रखना था। बूंदी, जयपुर, जोड़पुर और कोटा में सेवामय की अनेक शाखाएँ स्थापित की गईं। परन्तु सभ के पदाधिकारियों में आपसी मतभेद होने लगे और १९२८ के अन्त तक एक प्रकार से सभ समाप्त हो गया।

राष्ट्रीय कांग्रेस का दृष्टिकोण (१९२१-२४)

कांग्रेस ने १९०५ में ही राज्यों के मामले में हस्तक्षेप करने की नीति अपना ली थी। १९२० में नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, साथ ही साथ 'राजस्थान मध्यभारत सभा' का भी अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था जिसमें देशी रियामर्चों की जनता पर होने वाले अत्याचारों की कहानी को दर्शाया गया था, साथ ही जनता की परीबी और अनिश्चित अवस्था का भी विवरण दिया गया था। परिणाम

वह हुआ कि कांग्रेस ने पञ्च राज्यों की जनता की कठिनाइयों की ओर ध्यान देना आरम्भ किया। १९२१ में कांग्रेस ने पणहुवोत-प्रान्तीय आरम्भ करने का प्रस्ताव पारित किया। इसी बीच राजस्थान में भी विशेषतः विजोलिया (बूंदी) बेगू (मेवाड़) और शेखावाटी (जयपुर) में किसान आन्दोलन भड़क उठा।

विजोलिया आन्दोलन (१९१३-२२)

१९१३ में पहले साधु सीताराम दास और बाद में विजयसिंह पथिक के नेतृत्व में विजोलिया आन्दोलन आरम्भ हुआ। इस आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य जागीरदारों द्वारा विजोलिया की जनता पर लगाया गए करोड़ों और विभिन्न लालचों के विरुद्ध आवाज उठाना था। विभिन्न स्थोहार एवं भवनों पर जंमे फसल की कटाई, विवाह, जन्मदिन समारोह और जागीरदार के विभिन्न सामाजिक उत्सव पर प्रत्येक किसान को एक निश्चित भागा में कर देना पड़ना था और इनकर करने की प्रवृत्ति में उसे भारी आर्थिक बाधाएँ सहनी पड़ती थीं। इसी प्रकार बेगार प्रथा प्रचलित थी। परिणाम यह हुआ था कि बुरह में शाम तक परिश्रम करने के बावजूद किसान के लिए मरपेट भोजन पर संतान प्रसन्न हो गया था। समूचे इलाके में जागीरदारों के जुम्ले का बोलबाला था और न्याय जैसे गिड़ान की समाप्ति हो चुकी थी। परंतु विजोलिया के किसानों ने अपना विरोध प्रकट करने के लिए एक वर्ष तक के लिए खेती करना स्थगित कर दिया और साथ ही साथ भूराजस्व देने से इनकार कर दिया। इस समय आन्दोलन का नेतृत्व साधु सीतारामदास कर रहे थे परन्तु इसी बीच १९१५ में वे विलीड में विजयसिंह पथिक से मिले और उनसे आन्दोलन का नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया। साधु सीतारामदास ने जागीरदारों द्वारा लालच जनता पर किए जाने वाले जुम्ले भ्रष्टाचारों की कहानी सुनाई। पथिक ने नेतृत्व संभालना स्वीकार किया और इस प्रकार विजोलिया आन्दोलन को एक नया उल्लास और साहसी नैपुण्य मिला। १९१६ में विजोलिया के किसानों ने साधु सीताराम की अध्यक्षता में एक किसान पंच-सोर्ट की स्थापना की। विजयसिंह पथिक से प्रेरणा लेकर विजोलिया के किसानों ने मुद्रा प्रहारा देने से इनकार कर दिया। उन्होंने जागीरदारों को किसी भी प्रकार का सहयोग देने से इनकार कर दिया और स्थिति यहाँ तक विकट पड़े कि किसान पंचायत ने निर्णय ले लिया कि वे प्रत्यक्ष रूप से जागीरदारों से कोई संबंध नहीं रखेंगे और पंचायत के माध्यम से ही सब कामें होंगे। स्थिति

घायल हो गए। १०० बच्चों सहित लगभग ५०० व्यक्ति गिरफ्तार किए गए जिन्हें बुरी तरह पीटा गया और बेगू ले जाया गया। इस दमन-चक्र के दौरान सिपाही घरों तक में घुम गए और उन्होंने स्त्रियों का बड़े ही शर्मनाक ढंग से सनीत्व हरण किया। परिणामतः बानावरण अत्यंत उत्तेजित हो गया और किसानों ने रावदा ठाकुर की हत्या तक करने का निश्चय कर लिया। जनता के धैर्य और उनके साहस को बनाए रखने के लिए विजयसिंह पथिक और हरिजी मानक गुप्त रूप से बेगू पहुंच गए परंतु पुलिस को पता चल गया और वे दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। पथिक को उदयपुर लाया गया जहां उन पर राज्य विरोधी कार्य करने, घातकवादी साहित्य को वितरित करने और महाराणा उदयपुर के भादेशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। मुकदमे के दौरान विजयसिंह पथिक ने इस बात पर बल दिया कि देश भक्त होना कोई अपराध नहीं है और अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाना व्यक्ति का अधिकार है। यद्यपि पथिक के विरुद्ध नियुक्त किए गए प्रायोग ने उन्हें रिहा कर दिया तथापि मेवाड़ सरकार ने अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए उन्हें पांच वर्ष के कठोर कारावास का दंड दिया। १९२८ में पथिक को रिहा कर दिया गया और साथ ही मेवाड़ से निष्कासित भी कर दिया। मेवाड़ राज्य और ठिकाने के अधिकारियों के द्वारा किसानों पर किए जाने वाले अत्याचारों की कहानियां प्रत्येक समाचार पत्र में प्रकाशित हुईं, यहां तक कि ब्रिटिश संसद में भी प्रश्न उठाया गया। अंततः ठिकाना अधिकारियों और किसानों के मध्य समझौता हुआ जिसके अंतर्गत किसानों की अधिकार मांगे स्वीकार कर ली गई।

बूंदी और शेखावाटी में किसान आंदोलन :

विजयसिंह और बेगू के किसान आंदोलन से प्रेरित होकर बूंदी के किसानों ने भी आंदोलन प्रारंभ किया। बूंदी में भी किसानों को अनेक प्रकार की लागू देनी पड़ती थी और उनसे बेगार भी ली जाती थी। इनके अतिरिक्त समूचे राज्य में सार्वजनिक समारोहों, राष्ट्रीय गान और नारों पर पूर्ण प्रतिबंध था। अतः १५ जून, १९२२ को बूंदी के किसानों ने सत्याग्रह प्रारंभ किया। राज्य ने दमन चक्र का सहारा लिया, परिणामतः संकड़ों किसान गिरफ्तार किए गए जिनमें से दो की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। इस समय बूंदी के किसान आंदोलन का नेतृत्व पंडित नैतूराम शर्मा के अधीन था जिसे दिसंबर १९२२ में गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन पर राज्य विरोधी कार्य

करने का आरोप लगाते हुए १० मई, १९२३ को उसे चार वर्ष के कठोर कारावास का दंड दिया गया साथ ही राज्य से भी निष्कासित कर दिया गया। सत्याग्रह आंदोलन उत्तरोत्तर जोर पर डता गया, मई, १९२३ में पुलित्त में प्रत्येक स्थानों पर शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह करने वाले कितानों पर गोली चलाई जिसमें नामक भील नामक कार्यकर्ता की घटना-स्थल पर ही मृत्यु हो गई। तदुपरांत इस क्रूर हमले के सामने आंदोलन धीमा पड़ गया।

१९२१ में बिडावा (शेखावाटी) में मास्टर कालीचरण शर्मा की अध्यक्षता में सेवा समितियों का गठन किया गया। जयपुर राज्य में इसे एक आठकवादी गतिविधि समझा और मास्टर कालीचरण शर्मा और प्यारेलाल गुप्त को गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही इन्हें सेतड़ी तक नये पैर चलने के लिए बाध्य किया। इस घटना की गभीर प्रतिक्रिया हुई और न केवल शेखावाटी में बल्कि बलकला और बवाई में कड़ा विरोध प्रकट किया गया, परिणामस्वरूप छोड़े समय बाद दोनों ही नेताओं को रिहा कर दिया गया। वास्तव में यह एक राजनीतिक आंदोलन का आरंभ था जो बाद में धामे चलकर १९३२ में सीकर आंदोलन के रूप में प्रकट हुआ।

भरतपुर में विद्यार्थी आंदोलन

इन वर्षों की एक महत्वपूर्ण घटना राजस्थान में पहलीबार एक विद्यार्थी आंदोलन होना था। १९२०-२१ में भरतपुर के विद्यार्थियों ने आंदोलन आरंभ किया। आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सम्राट जार्ज पंचम के विरोध का प्रथमान किया और इन विरोध की हौली जलाई। विद्यार्थी आंदोलन का संगठन गोपीलाल यादव और जुगतकिशोर शत्रुघ्नी द्वारा किया गया। विद्यार्थियों के मुख्य नारे महात्मा गांधी की जय और भारत माता की जय थे। तत्कालीन समय में इन नारों ने भरतपुर में हलचल मचायी। आंदोलनकारियों ने विभिन्न सभाओं एवं जुलूस का भी आयोजन किया। साथ ही साथ गांधी दोसी और खादी पहनने पर भी बल दिया। इसी समय राष्ट्रीय बीणा नामक पुस्तक का प्रकाशन हुआ जो राष्ट्रीय भावना से प्रीतप्रीत थी। जुगतकिशोर शत्रुघ्नी के द्वारा पुस्तक को वितरित करने का प्रयत्न किया गया परंतु शीघ्र ही राज्य सरकार के द्वारा यह पुस्तक जल कर ली गई।

इस प्रकार कांग्रेस के जन्म से लेकर १९१६ तक जिस प्रकार उत्तर भारत में शक्तिकारी एवं आठकवादी आंदोलनों का बीलवाला रहा उसमें

राजस्थान ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। १९२०-२१ में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया तब भी राजस्थान उससे प्रभावित हुए बिना न रह पाया। यह राजस्थान के प्राचीन इतिहास के अनुरूप था। राजस्थान वीरता, शौर्य और साहस की भूमि रहा है। उपर्युक्त वर्षों में राजस्थान के प्राणिकारी नेताओं ने अपना योगदान देकर इसी परंपरा का निर्वाह किया।

भील-आन्दोलन

राजस्थान में राजकीयता का जागृति के प्रतिष्ठा में भील आन्दोलन का अपना एक विचार गहलन है। राजस्थान का बागमाल डूंगरपुर और सिरोही प्रदेशों में भील बहुसंख्यक रहे हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में भी भीलों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस दृष्टि में हमें यह पढ़ने कि हम राजस्थान में भील आन्दोलन की विवेचना करें, अर्थात् उपयुक्त यह होगा कि पहले हम भीलों की उत्पत्ति और उनका चरित्र का अध्ययन करें।

भील, उत्तरी प्रकृति और चरित्र

भील भारत की प्राचीनतम जनजातों में से एक मानी जाती है। १९४१ की जनगणना के अनुसार भारत में उनका जनसंख्या लगभग दो करोड़ है। भीलों की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न प्रकार की सिद्धांतियाँ प्रचलित हैं। वाणभट्ट इन कादम्बरी के अनुसार भील का इका उपयोग प्राचीन महान और माधव स-साहित्य में भी किया है। राजस्थान के उत्तर में भील शब्द का उपयोग संभवतः सर्वप्रथम किया गया है। कुछ विद्वानों के अनुसार भील शब्द की उत्पत्ति मिहिरा शब्द से हुई है। एका टाट एम्ह का पुत्र संभवतः जयसी सिन्धु के नाम से पुकारता है। एक अन्य सिद्धांत में अनुसार भील महादेव के वीर से उत्पन्न हुए हैं। कुछ भी ही राजस्थान में भील का विशेष योगदान रहा है। महाराणा प्रताप की मृत्यु में अजिंक्य भील के और उन्होंने युद्ध में अग्रणी भूमिका निभाई है। महाराणा प्रताप की मृत्यु में अजिंक्य भील के और उन्होंने युद्ध में अग्रणी भूमिका निभाई है।

भील अन्धविश्वासी होते हैं और भूतप्रेतों से बचने के लिए अपने सीधे हाथ पर विभिन्न प्रकार के चित्र बनवाते हैं। भील भोगाओं में विश्वास करते हैं और जहाँ के माध्यम से भूतप्रेत को भगाते हैं। वास्तव में यह एक बहुत ही अज्ञेय जाति है और आधुनिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा वर्ग रहा है, परन्तु इस सब के बावजूद भील एक साहसी और बहादार जाति है। इनके मुख्य हथियार तीर और कमान हैं। वास्तव में भील एक सच्चा मित्र भी है, यदि भील को प्रमत्त कर दिया जाय तो वह सर्वद्वेष बफादार रहेगा। परन्तु यदि उसे अग्रसभ्य कर दिया जाय तो वह बहुत खतरनाक भी सिद्ध हो सकता है। अनेक शताब्दियों से भीलों का शोषण किया जाता रहा है यही कारण है कि उनमें राजनीतिक चेतना का विकास शून्य जातियों के साथ साथ नहीं हो पाया है, फिर भी वे अपने रीति रिवाज और परम्पराओं के प्रति बहुत अधिक सजग हैं और उसका उल्लंघन करना उन्हें रुचिपूर्ण नहीं लगता। यही कारण है कि जब किसी कानून के द्वारा उनके रीति-रिवाज और परम्पराओं का उल्लंघन हुआ है तो उन्होंने सर्वद्वेष कावून की अवहेलना करने का प्रयत्न किया है। उदाहरणतः १९ वीं शताब्दी में उन्होंने मराठों के विरुद्ध सशस्त्र किया तो १९ वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया। यह प्रसंग बात है कि कर्नल टॉड भी सफल कूटनीति के परिणामस्वरूप १२ मई १८२५ को भीलों और ब्रिटिश सरकार के मध्य एक समझौता हो गया जिसके अनुसार भीलों की ओर से यह आश्वासन दिया गया कि वे और डाकू भयवा ब्रिटिश सरकार के शत्रुओं को कभी शरण नहीं देंगे तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के आदेशों का पालन करेंगे।

नए सुधार और भील प्रतिरोध

भील एक स्वतंत्र जाति रही है। स्वभावतः वे अपने ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं चाहते। यही कारण है कि १ नवम्बर, १८५८ के पश्चात् जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और महाराष्ट्रीय विक्टोरिया के शासन काल में अनेक सुधार आयोजित किए गए तो भीलों ने इसे अपने अधिकारों का हनन समझा और तदनुसार राज्य अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की।

१८८१ में सर्वप्रथम कुछ सुधार लागू किए गए जिनके अन्तर्गत भीलों की जनगणना किया जाना, मद्यपान पर नियंत्रण लगाना भील क्षेत्र में पुलिस

या चुकी चोकी की स्थापना कराना और अन्वयविद्यार्थी पर नियन्त्रण सभाना सम्मिलित था। जैसाकि स्पष्ट ही है इन सुधारों को लागू करने का कार्य चुकी-मुकी से शली था रही भील परम्पराओं का उद्घाटन करना था। स्वभावतः इन सुधारों को कार्यान्वित करने पर भील प्रयत्न हुए। ये इन सुधारों के लाभों को नहीं समझ सके। भा भील सभान में अनेक प्रकार की भयवाहू फैलाई गयी। कुछ लोगों के मतानुसार जनगणना का कार्य प्रकथान युद्ध के लिए पत्र प्रेषित करना था, कुछ भीलों का विश्वास था कि जनगणना के माध्यम से स्वयं भीलों को सेना में भर्ती करके प्रकथान मोर्चे पर भेजा जाएगा। कुछ अन्य लोगों का विश्वास था कि इस जनगणना के द्वारा स्थूलनाथ द्वितीय मोटे दुबकी की और गतली दुग्गी स्थितियों वाले दुग्गे युवकों को ही जाएगी। इन समस्त घटनाओं का परिणाम यह हुआ कि जैसा ही १८८१ में सुधार लागू किए गए भीलों ने उनका विरोध कर दिया। मेवाड़ के भील विद्रोह का पहला समाचार राजस्थान में गवर्नर जनरल के एजेन्ट को २५ मार्च, १८८१ को मिला। समाचार में कहा गया था कि बडाकास के पानेदार ने बधूनापाल को भूमि सवारी बाद विवाद के निवन्धने में चुनाने के लिए एक सिपाही भेजा था। परन्तु भील उतरे जिन ही उठे उठोने तबार की मार डाला और लगभग तीन हजार भीलों ने गढ़वाल के पाने की धेर शिया और पानेदार सहित १६ व्यक्तियों की हत्या कर दी गई। भीलों ने उदयपुर खेरवाड मार्ग को भी बांटे दिया और पाने व रामी महाजनों की दुबान की भाग लगा दी। महाराणा मेवाड़ ने स्थिति पर चारू पाने के लिए तत्काल एक सैनिक टुकड़ी भेजी, परन्तु इसी बीच प्रतलीगढ़ के भीलों ने भी विद्रोह कर दिया और स्थिति इतनी अधिक गंभीर हो गई कि ब्रिटिश सरकार ने एजेन्ट गवर्नर जनरल को आदेश दिया कि वह तत्काल उदयपुर पहुंचे और कार्यवाही का स्वयं निर्वहन करे। पानेदार और अन्य व्यक्तियों की मृत्यु जिन परिस्थितियों में हुई उस पर टिप्पणी करते हुए बर्नल स्नेयर ने कहा कि बडाकास और रसबनाथ के सभी भीलों ने विद्रोह कर दिया है उसने मतानुसार भीलों की प्रमुख मांग यह है कि यदि किसी स्त्री पर शांति होने का संदेह हो तो उसे बिना किसी जांच पड़ताल के तुरत मार देने की आज्ञा दी जाय, भील क्षेत्र में पुलिस चौकी की स्थापना न की जाय तथा यदि भीलों में प्रथम में कोई भयङ्क होता है तो महाराणा मेवाड़ उसमें हस्तक्षेप न करें। भीलों की यह भी मांग थी कि मन्थि में जनगणना जैसा कोई कार्य नहीं किया जाय क्योंकि उनका विश्वास

था कि यह जनगणना का कार्य उन पर कर लगाने की दृष्टि से किया जा रहा है। कर्नल कोपर के अनुमार मेवाड़ के अधिकारियों ने बहुत ही अनुत्तरदायी ढंग से स्थिति को सभालने की कोशिश की। घटना की जांच स्वयं कर्नल वेयर ने ही की। भीमों का कहना था कि बिना किसी कारण से मेवाड़ राज्य की सेनाओं ने उन पर गोरेया चनायी और निरपराधी व्यक्तियों की हत्या की गई। कर्नल वेयर ने भीमों को परामर्श दिया कि उन्हें मेवाड़ के अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करना चाहिए। तदनुसार लगभग १०० भीम राजबनाथ में एकत्रित हुए जहाँ राज्य अधिकारी भी उपस्थित थे। कर्नल वेयर के अनुसार जानकीत सनोप जनक ढंग से बात रही थी कि इसी समय राज्य-अधिकारी छापरदास ने भीमों से एक प्रश्न पूछा कि तुम लोग समझौदा क्यों नहीं करते और इसके साथ साथ ही राज्य का कुछ तिपाही बन्दूकों को भरने लगे। यह देखते ही भीमों ने कि निरस्त थे व भाग छड़े हुए और इसी समय एक राज्य कर्मचारी ने गोली चला दी। परिणामतः समस्त भीम जाति महाराणा के विरुद्ध विद्रोह में शामिल हो गई। अतः १६ अप्रैल, १८८१ को महाराणा मेवाड़ के व्यक्तिगत हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप भीमों और राज्य-अधिकारियों के मध्य समझौता हुआ जिनमें भीमों की सभी मांग (सर्वांग जनगणना कार्य स्थगित कर दिया जाय खानदार और अन्य तिपाहियों की हत्या करने वाले भीमों को क्षमादान दिया जाय इत्यादि) स्वीकार कर ली गई।

परन्तु इन सबके बावजूद शांति और व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकी। १३ जून १८८१ को टूणपुर में भीमों द्वारा नी मकरानियों की निमग्न हत्या कर दी गई। जब राज्य अधिकारी दयानाथ गिरदावर के नेतृत्व में स्थिति पर नियंत्रण करना पड़ने लगे तो उन पर भी तलवारों और तीरों द्वारा आक्रमण किया गया। अतः भीमों की दवान के लिए राज्य ने ३०० सैनिक भोल क्षेत्र में भेजे गए। जिन्होंने भीमों की लोपटी को प्राप्त किया और चार भीम मार डाले गए तथा अनेक धायत हुए। १६ मार्च, १८८२ को मेवाड़ सैनिकों ने व्यापक पैमाने पर बायबाही की। अतः भीमों को सम्पन्न करना पड़ा और उन्होंने २८ फरवरी, १८८३ को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके अनुसार भीमों ने वचन दिया कि वे सदेह व आशय पर दायित्व मानकर उसकी हत्या नहीं करेंगे। भीमों ने बाकी जी के नाम पर शपथ ली कि वे समझौते का पालन करेंगे। उपर्युक्त समझौते के परिणामस्वरूप भीमों ने अपने सभी अस्त्र शस्त्र राज्य अधिकारियों के हवाले कर दिए और अपने पास केवल तीर

इसी प्रकार सिरोही में भी भील आंदोलन धीरे-धीरे तेज होता आ रहा था। वानावरण में व्याप्त तनाव को कम करने के लिए भील समुदाय के निमंत्रण पर विजयसिंह को आमंत्रित किया। भील इस बात पर सहमत हो गए थे कि वे राज्य अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे और अपनी कठिनाइयाँ उनके सम्मुख रखेंगे, परन्तु राज्य की ओर से दमन-चक्र का सहारा लिया गया। इसी बीच महात्मा गांधी की ओर से मोतीलाल तैजावत सिरोही पहुंचे जिन्होंने सफलतापूर्वक मोतीलाल तैजावत और राजस्थान में एजेन्ट गवर्नर जनरल हार्नेण्ड को आपसी बातचीत के लिए राजी कर लिया, परन्तु राजपूताना एजेन्सी में पुनः अपने वचन का निर्वाह नहीं किया और ८ मई, १९२२ को भूसा और बलोहिया नामक दो भील गांवों को घाग लगा दी, साथ ही साथ रोहरा तहसील के शांतिपूर्ण भीलों पर पुलिस ने गोली चलाई। विजयसिंह पश्चिम पर भी मुद्दमा चलाने का फैसला किया गया। पुलिस के अत्याचारों की यह कहानी अजमेर में राजस्थान सेवा सभ के पास ६ मई, १९२२ को पहुंची। दूसरे दिन अधिकार समाचार पत्रों में भीलों पर डाये जा रहे अत्याचारों का वर्णन प्रकाशित था। राजस्थान सेवा सभ की ओर से सत्य भक्त और रामनारायण चौधरी को स्थिति का अध्ययन करने को भेजा गया। वे लोग १५ मई, १९२२ को बलोहिया पहुंचे जहाँ इनको अनेक पत्रों और नागरिकों ने पुलिस द्वारा किए गए बवंदर अत्याचारों की दर्दनाक कहानी सुनाई। इसके प्रतिरिक्त सेवा सभ के प्रतिनिधियों ने लगभग ११५ अन्य साथियों के बयान भी लिए, इनके प्रतिरिक्त १३८ भीलों ने अपने बयान दालग से दर्ज कराए। यदि सेवा सभ की रिपोर्टों की सही माता जाय तो ३२५ परिवार पुलिस के द्वारा तहत नहत कर दिए गए, १८०० नर नास्तियों की हत्या की गई, ६४० मकानों को आग लगा दी या नष्ट कर दिया गया, ७०८५ मत घनाश को नष्ट कर दिया, ६०० बैरगाडिया जला दी गई, १०८ पशुओं को मार डाला गया या ले जाया गया और लगभग दस हजार रुपये की सम्पत्ति नष्ट की गई। भीलों पर डाये गए इन अत्याचारों ने उन्हें अपने नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया और इस प्रकार ये अभिजाप भी उनके लिए बरदान साबित हुए।

परन्तु इस निर्मम दमन चक्र के बावजूद भील आंदोलन को पूरी तरह नहीं दबाया जा सका। मोतीलाल तैजावत का भीलों पर अभी भी उतना ही प्रभाव था। वाल्मिक में वही उनके मुख-दुःख का साथी था। तैजावत ने अब

भीनों ईसे बरन धारण करने शुभ कर दिग् घोर १९२३ के भारतभ में उसने एकी घान्दीनन शुभ किया, तिसने रि भीनों को दुतमंडित किया जा हके । ईडर प्रकण्डन भीन घाडीनन में अड दधि तेन मया । इम प्रकार भीनीनाम तेजा-
 वन के बडने हुए प्रमान को डेनकर ब्रिटिश सरकार घोर राज्य सरकारें बिलित
 हो डडी । भीनीनाम तेजावन भूमिगत रहकर घाडीनन का नेतृत्व कर रहा
 था, कौनकि ब्रिटेन घोर राज्य की सरकारें उसे पकडने की हूर समभव कीशिश
 कर रही थी । भीनीनाम तेजावन की गतिविधियों को दुषन देने के लिए ४
 जून, १९३६ को उसके विरुद्ध एक गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया घोर
 उसे ही नाटकीय ढंग में ईडर पुलिस के एक बिलानी न तेजावन को उन समय
 गिरफ्तार कर लिया अर बहु ईडर स्थित बर्या मन्दिर न एक भीम मया में
 गण लेने जा रहा था । भीनीनाम तेजावन को जुलाई १९२६ म मेवाड राज्य
 को बौध दिया गया । मेवाड सरकार न बिना मुकदमा चनाए घोर बिना
 अधिपोग लगाए मात्रम ६ बरें तक तेजावन को केन्द्रीय कारावास उदयपुर में
 बन्द रखा । तेजावन की रिहाई के अनेक प्रयत्न किए गए परन्तु सफलता नहीं
 मिली ।

३ अक्टूबर, १९३५ को मणीनाम कोशरी के द्वारा तेजावन की रिहाई
 के लिए प्रयत्न शुरु किए गए । मणीनाम कोशरी न उदयपुर महाराणा के
 प्रधानमंत्री परम नारायण घोर ब्रिटिश रेजीडेन्ट अवन वेपम से भीनीनाम
 तेजावन की रिहाई का अनुचीन किया, परन्तु मेवाड सरकार बिना कर्न तेजावन
 की रिहाई के लिए तैयार नहीं थी । मेवाड सरकार की मान थी कि तेजावन
 को कभी रिहा किया जा सकेगा अरकि वह यह बचन द कि वह राज्य विरोधी
 गतिविधियों में भाग नहीं लेगा घोर बिना महाराणा की अनुमति के मेवाड
 प्रदेश में बाहर नहीं जाएगा । मणीनाम कोशरी ने भीनीनाम तेजावन से भी
 मंड की परन्तु उसने कर्न रिहा होने में इकार कर दिया । अन्तत तेजावन
 इन मंड पर रिहा होने के लिए तैयार हो गया कि ब्रिटिश सरकार बहु घोषणा
 करे कि अपने कोई अरराय नहीं किया है घोर दूसरे तेजावन के विरुद्ध
 पदान रखने वालों के लिनक उनमें कार्यवाही करने का अधिभार हो । राज्य
 सरकार ने इन दोनों ही मागा को स्वीकार कर लिया अत १६ अप्रैल १९३५
 को भीनीनाम तेजावन ने बचन दिया कि वह बिना मेवाड राज्य की अनुमति
 के मेवाड राज्य से बाहर नहीं जाएगा घोर राज्य विरोधी कोई कार्य नहीं
 करेगा । इसकी पूरव में राज्य सरकार की घोर से भी बहु माध्यामने दिया

गया कि तेजावत को अच्छे शरित्त का प्रमाण पत्र दिया जायगा और उन व्यक्तियों के विरुद्ध जिन्होंने उसका अपमान किया है—के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार होगा। मोतीलाल तेजावत ने यह भी मांग की कि यदि सरकार उसे किसी कार्य के उपायुक्त समझती है तो वह उसे स्वीकार कर लेगा। तदनुसार २३ अगस्त १९३६ को उदयपुर वैन्द्रीय बारासभ से मोतीलाल तेजावत को रिहा कर दिया गया। उससे यह पूछा गया कि अब वह किस प्रकार का कार्य करना पसन्द करेगा। तेजावत ने विचार प्रकट किया कि वह खादी का प्रचार और किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयत्न करना चाहता है परन्तु महाराजा उदयपुर ने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया, उनका कहना था कि तेजावत को रनाट और सानी जानियों के मध्य काम करना चाहिए जो कि गान्धि और व्यवस्था के लिए सारनाक बन रही हैं।

१९४२ में भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान मेराठ में तेजावत को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में ३ फरवरी १९४३ को तेजावत को पुनः रिहा कर दिया गया जहाँ जनता ने उनका मध्य स्वागत किया।

भीलो में राजनीतिक चेतना जागृत करने और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बनवामी सेवा सभ की भी स्थापना की गई। १९४० में बनवामी सेवा सभ की दूरीपुर शाखा में एक प्रदर्शनी आयोजित की जिसमें देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का चित्रण किया गया था। इस सभ का मुख्य कार्य भीलो के आर्थिक स्तर को ऊँचा उठाना था और उनमें फैले हुए अन्धविश्वास को दूर करना था। निस्सन्देह इस दिशा में बनवामी सेवा सभ का कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण था।

राजस्थान में राजनीतिक आन्दोलन और राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना (१९२५-१९३९)

भारतीय अधिनियम १९१६ की मर्यादा लगी द्वारा चलान गए संसदीय शासन का न केवल विधि । भारत पर ही प्रभाव पना था । अतः भारतीय राज्या की स्वतन्त्रता भी प्रभावित हुन थी । अधिनियम १९२४ से १९३६ तक राजस्थान म भी य म शासन हुन जिसके द्वारा विभिन्न राज्यों में राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना और उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई । निम्नलिखित पंक्तियों में इसी शासन के विभाग को विस्तार करने का प्रयत्न किया गया है, उनके परिणाम स्वरूप अन्ततः राजस्थान के विभिन्न राज्यों म भी उत्तरदायी शासन स्थापित हुआ । विषय की महत्ता और पाठकों की सुविधा को देखते हुए हमने प्रत्येक राज्य का अलग अलग विवेचन करना अधिक उपयुक्त समझा है ।

अजमेर

१९२५ में अजमेर राज्य का राजनीतिक वातावरण बहुत अधिक कुटिल था । किसी भी व्यक्ति का अपने विचार प्रकट करने की न ही स्वतन्त्रता थी और न ही किसी सार्वजनिक सभा का आयोजन किया जा सकता था । यहाँ तक कि राज्य से कोई समाचार पत्र तक नहीं निकलता था । परिणामतः

राज्य विरोधी वातावरण धीरे धीरे अपनी चरम सीमा पर पहुँचने लगा। मई, १९२५ में अमरक राज्य की दो तहसीलों खानमूर और गाजी का खाना में सरकार द्वारा सामू किए गए नए करों को लेकर एक आंदोलन छिड़ गया। जनता का कहना था कि उन पर पहुँचे ही कर भार बहुत है और अब और अधिक कर नहीं दिए जा सकते। परन्तु महाराजा जर्मानह ने किसानों की स्थिति सुधारने पर कोई ध्यान नहीं दिया और दमन चक्र का सहारा लिया। १४ मई १९२५ को राज्य की सशस्त्र सेनाओं ने उपर्युक्त दोनों गावों को घेर लिया और बिना किसी चेतावनी के शान किनारों पर गोनी चवाई। यहाँ तक कि स्त्रियों तक को नहीं छोड़ा गया और बड़े ही निर्लज्जता पूर्ण ढंग से उन्हें अपमानित किया गया। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस गोनीचारी में कम से कम ३५३ मकान जलकर नष्ट हो गए जिनमें ७१ पशु भी जीवित जल गए और लगभग ५०००० रुपए से लेकर १००००० रुपए तक की सम्पत्ति लूटी गयी। इसके अनिर्दिष्ट लगभग ६५ व्यक्ति घटनास्थल पर ही मारे गए जबकि २५० से अधिक घायल हुए। इस घटना ने सन्तुष्ट राज्य में आतंक फैला दिया।

परन्तु सरकार की दमन नीति जारी रही। १९२७-२८ में महाराजा अलवर के आदेश के अनुरूप बाहर से आने वाले सभी दर्जन से अधिक समाचार पत्रों के राज्य प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया। आदेश में यहाँ तक कहा गया था कि यदि प्रतिबन्धित समाचार-पत्रों का एक कागज भी किसी नागरिक के पास बरामद हुआ तो उन पर पाच हजार रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है और यदि आवश्यकता हुई तो उसे राज्य में निष्कासित भी किया जा सकता है। इस दमनकारी नीति का परिणाम यह हुआ कि महाराजा जनता में बहुत अधिक अनोख-प्रिय हो गए और जन वे सनातन धर्म सभा की एक बैठक में भाग लेने के लिए पहुँचे तो जनता ने धर्म शम के नारे लगाए स्थिति यहाँ तक बिगड़ी कि महाराजा को पुलिस सरक्षण में बाहर ले जाया गया।

मेव आंदोलन

राज्य की शिक्षा-नीति के परिणामस्वरूप मुसलमानों में बहुत अधिक असंतोष था। मुसलमानों की मांग थी कि राज्य में कुरान की शिक्षा देने पर प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए और उर्दू माध्यम से भी शिक्षा दी जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन मांगों के साथ १९३२ में मुस्लिम आंदोलन आरम्भ हुआ। महाराजा का कहना था कि वास्तव में मुस्लिम आंदोलन में कोई

सबबाई नहीं थी। परन्तु चाडोवन धीरे-धीरे बढ़ता गया और राज्य की सीमा के बाहर तक पहुँच गया। स्थिति यहाँ तक बिगड़ी कि मुडगाँवा और गोहूतक में मेड मुसलमानों के जट्टे अन्तर्गत राज्य में प्रथम जन्म लगे और उन्होंने सीधी कार्यवाही करने तक की समझौती दी। स्थिति को बिगड़ना देखकर महाराजा अन्तर ने ब्रिटिश सरकार से नुरज्ज खैरिज महायोजना अंजने का अनुमोद किया। ब्रिटिश सरकार ने नुरज्ज कार्यवाही की और ६ जनवरी १९३३ को ब्रिटिश सेनाएं अन्तर पहुँच गयी तथा सीमा ही बाकि और अन्तर्स्था स्थापित हो गई। ब्रिटिश सरकार ने महाराजा को परामर्श दिया कि वे ब्रिटिश अधिकारियों की सहायता में और महा आरक्षी पुलिस के रूप में नियुक्त करें। परिस्थितियों से राज्य और अन्तर्स्थापक महायोजना ने अपनी सहमति दे दी।

समस्त वास्तविकता यह थी कि ब्रिटिश सरकार महायोजना से प्रसन्न नहीं थी। जैसाकि हम देव चुने हैं, महायोजना का दृष्टिकोण ब्रिटिश विरोधी था, यही कारण है कि ब्रिटिश सरकार ने महायोजना में दृढ़ अनुमोद किया कि वे अपनी समस्त शक्तियाँ प्रधानमंत्री एफ डी वाडर को सौंप दीं वर्य के लिए राज्य से बाहर बने जाएँ अन्तर्स्था उनके विरुद्ध एक घोषणा स्थापित किया जायगा, जो उनके कार्य-कलापों की जांच करेगा। अन्ततः महाराजा को राज्य छोड़ने के लिए बाध्य होना पडा और वे अन्तर्स्था बने गए। वाडर अन्तर्स्था, १९३७ में उन्हें वापिस राज्य में लौटाने की अनुमति मिली।

उत्तरदायी सरकार की मांग .

अन्तर्स्था, १९३७ में जैसा ही महायोजना अन्तर राज्य में वापिस लौटे तो लोकप्रिय सरकार की स्थापना की मांग को लेकर चाडोवन दिग्ग गया। १९३८ में राज्य में प्रजासत्तव की स्थापना हुई। राज्य सरकार ने दमनकारी नीति का आश्रय लिया और अनेक व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जिनमें लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी, प्रजान, कावेम कमिटी, प्रजामदन के सचिव हरि नारायण शर्मा और कावेम कमिटी के सचिव राधाचरण गुप्त भी शामिल थे। इन सभी को दो वर्य के कठोर कारावास का दण्ड दिया गया। इनके अतिरिक्त दो अन्य कार्य-कर्ता अन्तर्स्था साकार और नारायण मोदी को एक-एक वर्य के कारावास का दण्ड दिया। राज्य की दमनकारी नीति का परिणाम यह हुआ कि समूचे राज्य में एक जनत्वपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। स्थिति का सम्बन्ध करने के लिए हरिभाऊ उपाध्याय ने राज्य को माना की, नगरिकों ने कावेम

के द्वारा हस्तक्षेप करने की भी मांग की, परन्तु इसी बीच मितम्बर, १९३६ में द्वितीय महायुद्ध छिड़ गया और परिणामतः राज्य का वातावरण एकदम ठण्डा पड़ गया ।

सीकर आंदोलन

अक्तबर के समान ही सितंबर, १९२४ में सीकर के किसानों पर भी कुछ नए कर लगाए गए । परिणामतः उनमें अग्रजनों की मांग बढ़ा उठी और उनमें यह मांग की कि सरकार यह नए कर वापिस ले ले । साथ ही माघ अपनी मांग पर जोर देने के लिए किसानों ने एक आंदोलन भी प्रारंभ किया । रामनारायण चौधरी ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप में भाग लिया और जेठावादी में आयोजित आम सभाओं में भाषण दिए । सभजन यही वारण था कि जयपुर राज्य सरकार द्वारा रामनारायण चौधरी को यह आदेश दिया गया कि वह १२ घंटे के अन्दर मन्दिर जयपुर राज्य की सीमा छोड़ दे । परन्तु इन सबके बावजूद आंदोलन तेजी से फैलने लगा और इनकी गूँज न केवल केंद्रीय विधान सभा में अपितु ब्रिटिश संसद में भी सुनाई दी । अतः मई, १९२५ में ठिकाने के जागीरदारों और किसानों के बीच एक सम्झौता हुआ जिसके अनुसार किसानों ने फसल के अनुपात में जाऊत (कर) देना स्वीकार किया । परन्तु यह सम्झौता अल्पकाल तक जीवित नहीं रह सका क्योंकि अधिकारियों ने सम्झौते की शर्तों का ईमानदारी से पालन नहीं किया और उन्होंने भू-राजस्व की दर १२ रुपये ८ आने प्रति सैकड़ा एकड़ से बढ़ा कर २५ रुपये कर दी । परिणामतः २७ फरवरी, १९२७ को एक मार्कजनिव सभा का आयोजन किया गया जिसमें किसानों ने अपना यह निश्चय व्यक्त किया कि वे सरकार की दमनकारी नीति के बावजूद उस समय तक बड़ा हुआ भू-राजस्व नहीं देने जब तक कि उनकी मांगें स्वीकार नहीं कर ली जाती ।

१९३२ में अखिल भारत जाट सभा का अधिवेशन भुवनेश्वर में सम्पन्न हुआ जिसमें अधिकारियों से यह मांग की गई थी कि वे किसानों की मांगें तुरत स्वीकार कर लें, परन्तु इसका कोई सफल परिणाम नहीं निकला । इसी प्रकार १९३५ में सीकर में किसान आंदोलन की सकलता के लिए एक जाट महापक्ष का आयोजन किया गया जिसमें लगभग बससी हजार किसानों ने भाग लिया । परन्तु सरकार की दमनकारी नीति जारी रही और सैकड़ों जाट किसान

नेव में बर कर दिग् गन् । स्वामी नरसिंहदास, माण्डर रनसिद् घोर कृष्ण मान जोगी जैसे नेताओं को राज्य से नुरल घने जान के घादेन शिग बर् । स्वामी नरसिंहदास घोर कृष्णमान जोगी ने घादेन मानने से टकार बर दिया, परिणामने उन्हे दो-दो वर्ष के बठोर बागवात का दण्ड दिया गया परन्तु घादीनन फिर भी जारी रहा । मई, १९३५ मे मूरी घोर नूदा में गानिपूर्ण किसानों पर पुनितने ने गोपी बलार्द जिसमे ऐसा विषयान किया जाता है कि बम ने बम १०-१२ ब्यक्तियों की घटनास्थल पर ही मृद्यु हो गई, लगभग १०० ब्यक्ति घायल हुए घोर घनेन स्थिती पर भी प्रहार बिग गए ।

राज राजा सीकर का तिष्कासन :

जिम समय यह किसानों का घादीनन चल रहा था उन्ही समय स्थिति के एक नया मोद दिया । कारण यह था कि राज राजा गीबर् घोर महाराजा जयपुर के घापी भवध तनावपूर्ण थे । इन तनाव का मुख्य कारण यह था कि महाराजा जयपुर राज राजा के पुत्र राजकुमार हरदयाल सिंह को उसके मिया के मरक्षण से हटाना चाहते थे, गीबर् के प्रजागनित परिदारी कॅप्टन नेव के शक्ति राज राजा का बगतोप घोर जयपुर परिदारीयो द्वारा राज राजा सीकर की गिरफ्तारी का प्रयत्न तथा जयपुर राज्य सजस्य पुनितन का सीकर भेजा जाता था । घनेन इन सज घटनाओं का परिणाम यह हुआ कि राज राजा सीकर को विक्षिप्त घोषित करते हुए उन्हे राज्य से निष्कामित पर दिया गया । इन मदमें मे यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि जाट घादीननकारियों ने राज राजा का समर्थन किया घोर कॅप्टन नेव को हटाने की माग की । धपनी माग पर जोर देने के लिए मसूचे गहर मे हूडकानि भी घोषोजिन की गई । बलावरण को टण्डा करने के लिए कर्नल गिलन की अध्यक्षता में एन जाच घोषी की स्थापना की गई जो १० जून, १९३० को भीकर पहुचा घोर जिमने दूमरे ही दिन सीकर के नागरिकों से मेट की परन्तु नागरिकों ने जाच घोषी को कोई महयोग नहीं दिया बघीकि उनका कहना था कि इन प्रकार का घोषी जयपुर महाराजा द्वारा नहीं बघिनु भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता बाहिए जिससे कि घोषी के सदस्य निष्कान रह कर कार्य कर सके ।

उत्तरदायी सरकार की मांग

१९ जून, १९३० को ठाकुर बालसिद् की अध्यक्षता में सीकर दिरस

मनाया गया साथ ही उस दिन पूरा हस्ताक्षर भी रणी गई। साथकाल एक मावजनिक सभा हुई जिसमें राव राजा के नेतृत्व में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने की माग की गई परन्तु स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ रही थी। ४ जुलाई, १९३८ को पुनिम कामरेवल जगत पुरोहित और अथ नागरिक उस समय गौली के निशाने बन गए जबकि जयपुर राज्य की सशस्त्र सनाओ का प्रतिरोध भीतर नागरिकों के द्वारा किया गया। ५ जुलाई १९३८ को जयपुर सनाओ के साथ आण हुंग राजपूत और सीकर आन्दोलनकारियों के साथ रेलवे स्टेशन पर जमकर संघर्ष हुआ जिसमें पांच व्यक्ति घनास्थल पर ही मारे गए और अनेक घायल हुए। सेठ जमनालाल बजान रामकृष्ण मेदान और सेठ पोद्दार द्वारा शांति स्थापना के प्रयत्न किए गए परन्तु असफल रहे। दूसरी ओर जयपुर अधिकारियों ने और कड़ा दम अपनाया यहा तक कि सीकर राज्य के राव के प्राइवेट सेक्टरों तक को गिरफ्तार कर लिया गया। परिणामतः स्थिति बहुत अधिक नाजुक हो गई। पुनिम गौलीकांड और नागरिकों की गिरफ्तारी पर चर्चा करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सदन में कहा था कि पूरे मामले की व्यापक जांच होना आवश्यक है। पंडित नेहरू के मतानुसार अब अधिकांश देशी राज्यों की उपयोगिता समाप्त हो चुकी है और उन्हें बदलती हुई स्थिति के अनुसार अपने को परिवर्तित करना चाहिए। स्थिति उस समय और भी अधिक खराब हो गई जब जयपुर के अधिकारियों ने सीकर के नागरिकों को ४८ घंटे का नोटिस देने हुए यह धमकी दी कि या तो वे शहर के दरवाजे खोल दें अन्यथा ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। परन्तु स्थिति उस समय सुधरी जब नागरिकों का सहयोग प्राप्त करने के लिए २३ जुलाई १९३८ को महाराजा जयपुर ने गृहमंत्री अचरोल के ठाकुर हरिमिह और बिनाड के ठाकुर विश्वनाथसिंह के साथ सीकर की यात्रा की। राव राजा सीकर ने बिना शर्त महाराजा जयपुर से क्षमा मांगी और अपनी समस्त सक्तिया जयपुर महाराजा द्वारा निदुक्त प्रणामक को सौंप देने का और प्रणामन में हस्तक्षेप न करने का निश्चय किया। परिणामतः यह हुआ कि राव राजा सीकर के विरुद्ध जो जांच आयोग चलाया गया था उसको समाप्त कर दिया गया इस प्रकार सीकर की स्थिति में नाटकीय ढंग से परिवर्तन हुआ।

जयपुर

जयपुर में भी महाराजा के निरंकुश शासन के विरुद्ध धीरे धीरे प्रमतोव बढ़ना जा रहा था जिसकी पहली भलक जयपुर शहर में १ अक्टूबर

१९२७ को देलन को बिना । इसी दिन राज्य के हजारों नागरिकों ने राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार और नए कठोर के विरुद्ध आंदोलन किया । पुलिस ने गोपी चलाई जिसमें एक मारा गया और गान पुलिसमैनो सहित ३७ व्यक्ति घायल हो गए स्थिति महा तक बिगड़ी कि ब्रिटिश रेजीडेंट को सना तक बुलाना पड़ी । जनता इतनी अधिक उत्तेजित हो गई कि उसने नगर कोनवानी पर भी आक्रमण कर दिया तथा महा तैनात सगहन पुलिस टुकड़ी को घेर लिया परिणामतः पुलिस ने गोपी चलाई जिसमें जन वार्डर मारा गया और दो घायल हो गए । २ फिनवर, १९२७ को सायाल एग सांखनिक सभा सामोनिन की गई जहा पुलिस गोपीबाइ की निरा करते हुए निष्पत्त जान की माग की गई और साथ ही साथ एक उत्तरदायी सरकार की भी माग की गई तथा १३ प्रस्ताव पारित किए गए । ५ दिना तक नगर में हड़ताल रही और ६ फिनवर १९२७ को उसी समय समाप्त हुई जब ब्रिटिश रेजीडेंट ने यह मांगवासन दिया कि यह स्वयं स्थिति को जान करेगा ।

मोतीलाल दिवस समारोह

परनु ५ अगस्त १९२१ को जब मोतीलाल दिवस मनाया जा रहा था तो एक बार पुन गडबड़ी शुरू हुई । गडबड़ी का कारण यह था कि राज्य सरकार ने मोतीलाल दिवस समारोह को मनान की अनुमति नहीं दी और दमन चक्र का सहारा लिया । गुलाबचन्द्र चौधरी कुशनकाज और बिजौरसिंह सावी कार्यकर्ताओं सहित जनक व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें विभिन्न अवधि के लिए जेल भेज दिया गया । इस प्रकार जब राज्य सरकार ने सभी राजनीतिक गतिविधियों को कुचलना जारी रखा तो अन्त १९२७ में राष्ट्रीयों ने जयपुर प्रजामण्डल की स्थापना की ।

जयपुर प्रजामण्डल और उसकी गतिविधियां

प्रजामण्डल का मुख्य उद्देश्य उत्तरदायी सरकार की स्थापना नागरिकों को उनका प्राथमिक अधिकार दिखाना और राज्य की बहुमुखी प्रगति करना था । दूसरे शब्दों में प्रजामण्डल ने राज्य-सरकार को स्पष्ट रूप में बसा दिया था कि जनता राज्य की प्रतिनिधितावाणी नीति में अथर्विक घसनुष्ट है । इसीलिए प्रजामण्डल ने राज्य का पताबना क्षेत्र हुए कहा कि यदि सरकार शानि और व्यवस्था बनाए रखना चाहती है तो इने समय के अनुसार चलना चाहिए । परन्तु जब राज्य अधिकारियों ने प्रजामण्डल की इन चलावनी की

घोर कोई ध्यान नहीं दिया तो प्रजामण्डल के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया जिसकी मुख्य मांगें यह थी कि एक विधान सभा की तत्काल स्थापना की जाय, बिना पूर्व सूचना के नागरिकों को एकत्रित होने का अधिकार हो, प्रेस की स्वतंत्रता दी जाय स्थानीय नागरिकों की सुविधा के लिए एक एम्प्लायमेंट एक्सचेंज की स्थापना की जाय, लागू भाग अर्द्ध घोषित किया जाय और अदालत से प्रभावित क्षेत्रों में भू-राजस्व की बमूली स्थगित कर दी जाय परन्तु राज्य ने दमनकारी नीति का सहारा लिया और उसने प्रत्युत्तर में जनता ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ किया। आंदोलन को कुचलने के लिए राज्य ने जमनालाल बजाज के जयपुर में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया परन्तु जमनालाल बजाज ने घोषणा की कि वे फरवरी, १९३६ को राज्य के इस भाग में प्रवेश करने के लिए तैयार रहेंगे। स्थिति इतनी अधिक विस्फोटक बनी कि महात्मा गांधी ने अपने बयान में कहा कि यदि जयपुर के अधिकारियों ने अपना दृष्टिकोण नहीं बदला तो कांग्रेस के समुच्चय कोई कड़ा कदम उठाने के अनिश्चित अर्थ कोई विकल्प नहीं रह जायगा। वास्तव में सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने का कारण जयपुर के प्रधानमंत्री सर बीचम का तानाशाही पूर्ण रवैया था। प्रजामण्डल की गतिविधियों पर अपने विचार प्रकट करते हुए सर बीचम ने कहा था कि राज्य किसी भी मण्डल या संस्था का यह अधिकार स्वीकार नहीं कर सकता कि वह जनता की कठिनाइयों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। भारतीय राज्यों में अभी ऐसा करने का समय नहीं आया है। परिणामतः सेठ जमनालाल बजाज के नेतृत्व में १ फरवरी, १९३६ को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन आरम्भ किया गया। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जमनालाल बजाज और मण्डल कार्यकारिणी के सदस्यों सहित लगभग ५०० व्यक्ति गिरफ्तार हुए। सविनय अवज्ञा आंदोलन १६ मार्च, १९३६ को तभी समाप्त हुआ जबकि राज्य ने प्रजामण्डल को वादून समस्त सभ के रूप में मान्यता देना स्वीकार कर लिया और सभी गिरफ्तार व्यक्तियों को रिहा कर दिया।

भरतपुर

राज्य की भू-राजस्व नीति को लेकर १९२४ से ही भरतपुर के किसानों में असंतोष भड़क रहा था, परन्तु राज्य की घोर से इस असंतोष को दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया गया बल्कि दमनकारी नीति के द्वारा

उन बुचन देने का प्रयत्न किया गया। सरकार की नीति के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए १ अप्रैल से १५ अप्रैल, १९२७ के मध्य अनेक मातृजनिक सभाओं का आयोजन किया गया, जिनमें रविन्द्रनाथ टैगोर बी० ए० एन०, एडित मदनमोहन मालवीय और बादकेश्वर शारदा जैम राष्ट्रीय नेताओं का भाग्य लिए। राज्य की नीति के परिणामस्वरूप न केवल शांति और व्यवस्था को ही खतरा पैदा हो गया था अपितु राज्य के ऊपर न्याय भी बहुत अधिक हो गया था अतः ब्रिटिश सरकार ने भरतपुर महाराजा को परामर्श दिया कि वे अपनी समस्त शक्तिया ब्रिटिश सेवान की मोटा दें या फिर एक साथ आंदोलन का सामना करें जो राज्य की वर्तमान स्थिति और महाराजा के उत्तरदायित्व के मद्देन में जान पड़ना न करेगा। अतः महाराजा ने मजबूर होकर ब्रिटिश सेवान से अपनी सम्पत्त शक्तिगा ६ फरवरी, १९२८ को तोर दी।

मैकेंजी का आगमन और आरोग्य का आरंभ होना

सत्ता सम्भारत हो मैकेंजी ने भारत राज्य अधिकारियों को अष्टाचार के आरोप में पदमुक्त कर दिया। इस घटना ने राज्य के अनाकरण को बहुत प्रबल बनाकर बना दिया। १९२६ में भरतपुर पीपुल्स एमोसिणेशन की स्थापना की गई। साथ ही साथ राजस्थान स्टेट पीपुल्स नाफॉर्म ने भी अपना अपना अधिवेशन १९२६ में भरतपुर में ही करने का निश्चय किया। भरतपुर का ब्रिटिश सेवान इन राजनीतिक गतिविधियों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए १३ जनवरी १९२८ को भरतपुर पीपुल्स एमोसिणेशन के सचिव देशराज को उनसे भाव जुड़े हुए गिरफ्तार कर दिया गया और भरतपुर तक लगभग ४२ मील बिना मोड़न दिए हुए पैदल चलने के लिए बाध्य किया गया। एमोसिणेशन के अध्यक्ष गणेशदास यादव जो कि सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में एम० ए० का विद्यार्थी था—क गिरफ्तारी के बाद जारी कर दिए गए। गयाप्रसाद चौधरी और लाला गणेशदास ने मकानों की तलाशी भी गई और उनके लोगों को आपत्तिजनक भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार की घटनाओं ने राज्य में विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर दी और जनता ने ब्रिटिश सेवान की तुरत हटाने की मांग की परंतु राज्य में अतक पैलाने की दृष्टि से ब्रिटिश सेवान ने सभी प्रकार के प्रदर्शन, जुलूम और राजनीतिक भाषणों पर पाबंदी लगा दी।

जाट महासभा-आंदोलन

इन परिस्थितियों में अखिल भारत जाट महासभा ने एक प्रस्ताव पारित करत हुए बाईसराय से भरतपुर में हस्तक्षेप करने की अपील की और साथ ही चेतावनी दी कि यदि भरतपुर के नागरिकों की मांगों को स्वीकार नहीं किया गया तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया जाएगा। ३१ मई, १९२८ को दिन के बारह बजे जाट महासभा का एक प्रतिनिधि मंडल शिमला में भारत सरकार के पालिटिकल सेक्रेटरी से मिला, जिन्होंने आश्वासन दिया कि महासभा की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। यद्यपि यह आश्वासन कभी पूरा नहीं हुआ। परिणामतः गोरीशंकर भिल्ल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल २० सितंबर १९३७ को भरतपुर रेलवे स्टेशन पर पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिला। जिना काँग्रेस कमेटी आगरा के निर्देशन में एक मण्डल कमेटी की भी स्थापना की गई। राज्य से मांग की गई कि वह प्रजामंडल को कानूनी मान्यता प्रदान करे परंतु राज्य सरकार ने यह मांग मानने से इकार कर दिया और अपने दमनकारी कृत्यों को जारी रखा। परिणामतः राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ और कुछ ही समय में गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या ४७३ तक पहुंच गई। अंततः दिसंबर, १९३६ में राज्य ने प्रजामंडल को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी और इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन सफलतापूर्वक समाप्त हो गया।

बोकाचौर

अन्य राज्यों के समान ही राज्य में निरंकुश शासन पद्धति विद्यमान थी। समूचे राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला था और जनता स्वच्छ प्रशासन की मांग कर रही थी परंतु राज्य की ओर से समूचे राज्य की सीमाओं में सभी प्रकार के समाचार पत्रों गश्तीनीति से सवधित पुस्तकों और चित्रों पर भी इस आधार पर रोक लगा दी गई थी कि इनमें आनकवादी साहित्य होता है। राज्य की दमनकारी नीति का पहला निशान ७ मई, १९३१ को पंचायत बोर्ड का सरपंच रामनारायण सेठ हुआ जिसको पुलिस ने इसलिए बुरी तरह पीटा क्योंकि उसने एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना और बेगार प्रथा की समाप्ति की मांग की थी। राज्य में आनक फँलाने की दृष्टि से महात्मा गांधी की जय जैम नारो पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया।

बौकलेर वायव-काइ

बौकलेर में अग्न शासन क विरुद्ध आवाज उठान क लिए १९१३ १४ में स्वामी गोगलदास के द्वारा नूरु में एक शिवलागिणी मना की म्यागना की गई की । अग्न और नागगिणी में गजनेतिक चेतना विरमित हुली जा रही की एक राज्य सरकार पदग उठी और उनन मड प्रवनापि वकाले अर्बुन नार मेठी और चाइरगण गारदा का गारद म निवामिन कर दिया । परनु इस इनतहागी नीति के बावहुद भारत क सभी समाचार-पत्रों म गारद म अग्न आग्टावार की कही आभोचना की गई । इनक समाचार-पत्रा म गारद के गदन्व सभी महाराजा मानगला सिद्ध पर आग्टावार क आगण लगाए गए और उनक नाम सुन पर प्रकाशित हुए । १९३० म इग्वैड म शिनीन मोनमड सम्मेलन का आसोवन हुआ जिनमें बौकलेर के महाराजा गगानिहू न भी भाग दिया । इस प्रवना पर 'बौकलेर प्रशासन' शीर्षक क अतर्गत एक पुस्तिका प्रकाशित की गई जा शिनीन वादचम क प्रतिनिधित्व और ब्रिटिश समद सदस्यों म विरमित की गड । इस पुस्तिका म महाराजा गगानिहू क निकुञ्ज शासन का मर्कव निरगु प्रन्दुन किया गया था । परिणामतः राज्य सरकार उर्बेजित हो उठी और मन्नागारागु वकील, सुदगन, स्वामी गोगलदास, चदनमन, बड़ीप्रसाद, माहनलाल आग्लाल और लक्ष्मीचद मुगना की गिरफ्तार कर दिया गया । दुर्भाग्य म नरसीचद मुगना बाद में मुसवीर बन गया । इन व्यक्तियों पर अतिरिक्त बिना मबिस्मिट का मुकदमा चलाया गया । राज्य सरकार की और म यह गर्ह दिया गया कि मन्नागारागु वकील और उनके साथियों द्वारा त्रिमती उर्धिया म सुन पर विर गार हैं, और इस प्रकार बौकलेर राज्य का बदनाम किया गया है । इनक अशासन ने इपानुन सभी व्यक्तियों को अतिरिक्त मान लिया और उनक मेगन मुपुर्द कर दिया जरा में १५ जनवरी, १९३६ का मुकदम का फैसला हुआ जिनम मानों अतिरिक्तों को छ-महीने में लेकर नीर वर्ग तर के कारावास की मजा मुनाई गई । बाद म महाराजा के पुत्र के जन्म-मगाई पर परिल आग्लाल और परिल मोहनलाल को रिहा कर दिया गया जिनका जवना द्वारा मज्य म्यागन किया गया ।

बौकलेर -

बौकलेर म भी राज्य की निकुञ्ज अक्षमता क विरुद्ध आवाज उठान-

कारिणी सभा के द्वारा जयनारायण व्यास के नेतृत्व में १९२५ में भादोलन आरम्भ हुआ। चांदसराय के नाम अनेक खुले पत्र भी लिखे गए। आन्दोलन का मुख्य कारण यह था कि नागरिकों को किसी भी प्रकार के भाषण देने अथवा लेख लिखने की स्वतंत्रता नहीं थी और राज्य का समूचा प्रशासन प्रधान मंत्री सरमुखदेव के नेतृत्व में पूर्णतया भ्रष्टाचारी हो गया था। ११ सितंबर १९२५ को जोधपुर में एक सावजनिक सभा का आयोजन किया गया जिसमें तानाशाहीपूर्ण शासन की समाप्ति की मांग की गई। मुखदेव प्रसाद की नीतियों की कटु आलोचना करने हुए महाराजा से यह अनुरोध किया गया कि वे मुखदेव प्रसाद को अखिलम्व अपने पद से मुक्त कर दें। ब्रिटिश रेजीडेंट ने मुखदेव प्रसाद का पक्ष लेते हुए आन्दोलन को बसल भाषे दजन व्यक्तियों का आयोजन कहा। परंतु जब राज्य ने जनता की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया तो जयनारायण व्यास ने खुलेआम विद्रोह से भू राजस्व न देने की अपील की। १६ सितंबर १९२६ को जयनारायण व्यास और आनन्द राज सुराणा ने सावजनिक सभा को संबोधित करते हुए पोपनबाई की पोल नामक पुस्तक विदरित की जिसमें प्रशासन की कटु आलोचना की गई थी। अतः जयनारायण व्यास आनन्द राज सुराणा और भवरलाल सराफ को राज्य विरोधी कार्य करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें तीन वर्षों से पांच वर्षों तक के कारावास की सजा सुनाई गई। जनता के द्वारा भी इस फसले का बड़ा विरोध किया गया वहाँ तक कि पुलिस को साड़ी चाज करना पड़ा जिसमें अनेक व्यक्ति घायल हुए। लगभग १० व्यक्ति गिरफ्तार भी किए गए जिनमें कुछ विद्यार्थी भी शामिल थे।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ

१९३१ में जयनारायण व्यास और अन्य व्यक्तियों की रिहाई के साथ-साथ ही सविनय अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ हुआ। १० मई १९३१ को जोधपुर युवा सङ्गठन द्वारा आयोजित एक सावजनिक सभा में स्वदेशी वस्त्र धारण करने विशेषी कपड़े का बहिष्कार करना और विशेषी सराव की दुकानों के सामान धरना देने का निश्चय किया गया। साथ ही साथ नागरिकों को नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार दिए जानें वेगार और लागूबाग को समाप्त करने तथा राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की मांग की गई। राज्य ने पुनः दमन चक्र तैारी से घमाता आरम्भ किया और जयनारायण व्यास मानमन गणेशदास व्यास अथवा मत्ता

और जोधपुर प्रजा परिषद् के अनेक सदस्यों को आपत्तिजनक सामग्री विक्रित करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया परन्तु इससे जन-उत्तेजना और प्रतिक्रिया बढ़ी, यहाँ तक कि २६ जनवरी, १९३२ को मारवाड़ दिन कारिणी सभा को गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया और छगनराज चौधरीवाला बाबा सहित अनेक नागरिक गिरफ्तार कर लिए गए। राज्य वन-कारियों तर को चेतावनी दी गई कि वे किसी भी प्रकार के भाग न लें अन्यथा उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा।

७ मार्च १९३२ को राज्य द्वारा एक विज्ञापित जारी की गई जिसमें नागरिकों से किसी भी प्रकार के भाग न लेने के लिए आग्रह किया गया था—इसके रूप में छ महिने का वारंटवाम और जुर्माना दिए जाने का प्रावधान भी था। १९३४ में मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी सोर्डीनेस जारी किया गया, जिसमें नागरिकों पर और भी अधिक प्रतिबंध लगा दिए गए।

प्रजामंडल की स्थापना :

परन्तु राज्य की दमनकारी नीति के बावजूद १९३४ में मारवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना की गई जिसका एकमात्र उद्देश्य जनता की नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करना और राज्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। १० मार्च १९३६ को स्थिति का अध्ययन करने के लिए अबाहरलाल मेहरो ने जोधपुर की यात्रा की। उन स्वागत समारोह में बोलते हुए मेहरो जी ने जोधपुर के नागरिकों से प्रतीक की कि वे अपने आपको ब्रिटेन के विरुद्ध भारत के सपने का एक प्रतिभू अंग समझें। इसी बीच राज्य सरकार ने प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया अतः "नागरिक अधिकार रक्षक सभा" के नाम से एक नए संगठन की स्थापना की गई। अर मई-जून, १९३६ में राज्य सरकार ने विद्याधियों की पीठ में वृद्धि की तो इस संगठन ने विद्याधियों का नेतृत्व करते हुए आंदोलन किया और २१ जून, १९३६ को शिक्षा विवक्ष मनाया। अतः राज्य सरकार को झुकना पड़ा और पीठ वृद्धि वापस लेनी पड़ी। जुलाई, १९३६ में 'नागरिक अधिकार रक्षक सभा' द्वारा जनता को नागरिक अधिकार दिए जाने और विधान सभा की स्थापना की मांग की गई परन्तु आंदोलन को कुचलने की दृष्टि से २१ सितंबर १९३६ को छगनराज चौधरीवाला, मानमल जैन और बाधमल जैन को गिरफ्तार करके कम्बल खाली, दीवतपुरा और पर्वतसर के किलों में एक वर्ष के लिए

नवरत्न कर दिया गया। अब केवल सचनेश्वर प्रसाद शर्मा ही सभासदियों के एकमात्र नेता बचे थे। परन्तु उन्हें भी नवम्बर, १९३७ में गिरफ्तार कर लिया गया। अब क्योंकि मारवाड़ प्रजामंडल और नागरिक अधिकार रक्षक सभा गैर कानूनी मगाने घोषित किए जा चुके थे। अतः १९३८ में मारवाड़ लोक परिषद् के नाम से एक नई संस्था की स्थापना की गई। १९४० में मारवाड़ लोक परिषद् द्वारा महाराजा के नरुव में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मांग को लेकर आंदोलन आरंभ किया गया।

उदयपुर

अन्य राज्यों के समान ही उदयपुर में भी राज्य के निरंकुश शासन के विरुद्ध जन असंतोष उमड़ रहा था। ब्रिटिश सरकार के प्रतिकार करने पर महाराजा उदयपुर में राजपूतों के नाम एक असील प्रस्तावित करने हुए धनुरोध किया कि वे मन्दिर भग्ना आंदोलन से बिल्कुल दूर रहें। परन्तु महाराजा की यह असील अतिक्रमणकारी सिद्ध नहीं हो सकी और अतः यह जन असंतोष एवं बार-बार विद्रोहिया आंदोलन के रूप में प्रकट हुआ।

विद्रोहिया आंदोलन

जसाकि हम विद्वान् पृष्ठी में देख चुके हैं १९२२ में कानन हालड की मध्यस्थता के परिणामस्वरूप विद्रोहियों का आंदोलन शांतिपूर्वक समाप्त हो गया था परन्तु ठिकाने न जागीरदारों ने असंतोष का पालन नहीं किया और विद्रोहियों के विमानों पर पुनः नए कर लगाए। परिणामतः बाध्य होकर किसानों को ठिकाने के विरुद्ध पुनः सभासदों द्वारा करना पड़ा। आंदोलन की गति देने के लिए विद्रोहिया विमान पचासत न विजयसिंह पधिक को आमंत्रित किया जिन्होंने १८ मई १९२७ को विद्रोहियों के निवृत्त स्थानियर मामा पर किसानों से भ्रष्ट की। पधिक ने परामर्श दिया कि किसानों को बड़ा हुआ भूराजस्व दान से इकार कर दना चाहिए और सरकारी स्कूलों का अहिंसात्मक करना चाहिए। पधिक ने परामर्श पर विद्रोहियों पचासत न किसानों ने अहिंसात्मक मांगों को धराने वाली पत्रिका और मजदूरों न करने का बचन दिया। कई नागरिकों ने पधिक के प्रति असील असील करने के रूप में धराने बान नरुवार। ये समाचार जब मन्थलेय कमिश्नर जी० सी० टॉच को मिले तो वह मन्थलेय मन्थलेयों को लेकर विद्रोहियों की ओर रवाना हुआ जिसमें कि मन्थलेय किसानों की आनरित किया जा सके।

जिमानों की प्रतिज्ञा जमीन जंगल की गई थी। उन्हें का बहिर्द्वारों में बनाया गया। परन्तु जिमानों ने राजनीति की जिजा बोर्ड जमीन लेगा वह इसे दिस घोषणा और इस प्रकार निभीतता ज जिजा के प्रस्तावों का सफल करने के लिए के बहिर्द्वारों का मत। साधारण को बुझाने की दृष्टि में महात्मा उदयपुर के साधोवन में साधारण प्रकार का गीर जंगल घोषित कर दिया गया।

हरिभाऊ उपाध्याय की मध्यस्थता

त्रिजोनिध विमानों की ओर में १९२६ में हरिभाऊ उपाध्याय ने दूध के बरत स्थापित किया त्रिजोनिध विमानों पर समझौता हुआ। इनके अनुसार विमानों की ओर में यह घोषणा किया गया कि १९२२ के समझौते का पूर्ण रूप में पालन किया जाएगा परन्तु १९२१ में विमानों के द्वारा समझौते का पूर्ण उल्लंघन किया गया। इन घटने, १९३१ के माणिक्यनगर बर्मा के नेटव के विमानों ने जंगलदानी भूमि पर कब्जा किया और जुलाई की। विमानों की ओर राज्य के द्वारा समझौते का साधोवन लिया गया और माणिक्यनगर बर्मा व सादुलाल मल्लिक २६ विमानों की पुनिस ने जूरी तरह गीर परन्तु साधोवन फिर भी घोषणा नहीं हुआ और ३० अप्रैल, १९३१ को विमानों ने फिर जमीन को जौता, ३ विमान विमानों लिए गए परन्तु २ मई को उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। इस साधोवन के लोग अनेक स्थानों ने भी भाग लिया त्रिजोनिध विमानों, श्रीमती राजता श्रीमती विमानों, श्रीमती दुर्गा, श्रीमती भागीरथी श्रीमती पुनगी, श्रीमती रमादेवी श्रीमती और श्रीमती साधोवन गीर ने भाग लेने हुए साधोवन किया तथा वही साधोवन के माध्य पुनिस-दमन चक्र का सामना किया। अनेक विमान साधोवनों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें विभिन्न स्थानों के कारावास में रखा दिया गया। मिनति और शक्ति ने विमानों को दृष्टि में महात्मा गांधी और जमनालाल बजाज से सव्यवस्था करने का अनुरोध किया गया परन्तु दोनों ने ही इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। हरिभाऊ उपाध्याय ने पुनिस के समझौते की जांच करने की मांग की। उधर दूमरी और सेठ जमनालाल बजाज ने मेवाड़ की मांग की और प्रधान मंत्री सर सुखदेव प्रसाद ने घेंट की। जमनालाल बजाज के निर्देश पर २६ जुलाई, १९३१ की जमनालाल मुन्हा ने त्रिजोनिध की मांग की परन्तु उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और पुनिस ने बड़ी निर्ममता में उनकी पिटाई की। परिणामतः साधोवन

ने धीरे धीरे पकड़ा। सैन्य प्रभुत्व सभी मुखदेवशिष्टों के इस आशयवाचन पर कि विजोलिया किसानों की जपत की गई नगति और भूमि शीघ्र लौटा दी जायगी, विजोलिया सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया। इस प्रकार विजोलिया विमान सत्याग्रह के समुच्च टिकाने को झुकना पड़ा और सत्याग्रहियों की मांगें स्वीकार करनी पड़ी।

उदयपुर में आंदोलन

ऐसा प्रतीत होता है कि विजोलिया आंदोलन का प्रभाव उदयपुर शहर पर भी पड़ा। ८ जुलाई १९३२ को नए करो के विरोध में उदयपुर के नागरिक पीरभीराट में एकत्रित हुए और उन्होंने महाराणा से प्रार्थना की कि नए कर समाप्त किए जाए और पट्टिन मुनदेव प्रसाद महिन सभी छप्पाचारी अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया जाय परन्तु मांगें मानने के स्थान पर पुत्रिम न भी गोली बनाई जिनके परिणामस्वरूप नगरीय ५० व्यक्ति हताहत हुए जिनमें से एक व्यक्ति का शव गिड़ोरा भीम में तैरता हुआ मिला। लगभग ३० व्यक्ति गिरफ्तार भी किए गए कि हे बिना मुकदमा चलाए जेल भेज दिया गया। बाद में १३ जुलाई १९३२ को नागरिकों का एक प्रतिनिधि मंडल महाराणा से मिला जिन्होंने यह आशयवाचन दिया कि वे जनता की कठिनाइयों को स्वयं देखेंगे।

१९३४ में राज्य का राजनैतिक वातावरण बड़ा ही दमघोड़ था। नागरिक विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नगठन बनाने और स्वतंत्रता पूर्वक घूमने फिरने की मांग कर रहे थे। परन्तु मेवाड़ राज्य प्रशासन इन मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं था। सन १९३७-३८ में मालिखण्डान वर्मा के नेतृत्व में एक सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया गया और राज्य की दमनकारी नीति के बावजूद सन् १९३८ में प्रजामंडल की स्थापना की गई, यद्यपि इसे राज्य के द्वारा गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। राज्य-पुत्रिम ने प्रजामंडल कोर्षाचय पर छापा मारा तथा मालिखण्डान वर्मा और रमेशचंद्र श्याम को राज्य से निष्कासित कर दिया गया। ३० अक्टूबर १९३८ को महाड प्रजा मंडल के उपाध्यक्ष भूरेनाथ बघा को गिरफ्तार कर लिया गया। इन परिस्थितियों में २१ अक्टूबर १९३८ को सखिनथ बघा आंदोलन आरंभ किया गया। यह आंदोलन शीघ्र ही समूचे राज्य में फैल गया। राज्य के द्वारा सभी प्रकार की सावधानीक सभाओं एवं सभठनों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था।

परन्तु इसके बाद अवाधान्त जोगी द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक सभा मननागपुरक सम्पन्न हुई जिसमें लगभग ३००० व्यक्ति उपस्थित थे। मन्दिप प्रजा सभोचन राज्य के अन्य भागों में भी फैलने लगा। ११ अक्टूबर, १९३८ को नाथद्वारा में मन्दिप प्रजा सभोचन प्रारम्भ हुआ, जहाँ पाच व्यक्ति गिरफ्तार हुए। २३ अगस्त, १९३८ को मेवाड़ प्रजामंडल की कार्य-कारिणी के सदस्यों का चुनाव हुआ जिसमें माणिक्यनाथ वर्मा जोमालान गुज, प्रोफेसर प्रेमनागपाल मापुन, मरदारगिनह कोठारी और डाक्टर प्रबालान शामिल थे। इस भे निश्चय लिया गया कि १५ अक्टूबर को सभासदियों का एक जमा सत्रमेर में भेजा जायगा। इस समय माणिक्यनाथ वर्मा का यह विचार था कि राज्य की समतरी नीति को देखते हुए प्रजामंडल को भाग्यपूर्ण नीति के स्थान पर आनन्दवादी नीति अपनानी चाहिए परन्तु हरिभाऊ उपाध्याय ने इसका विरोध किया। वे शारीवादी एवं अहिंसक माधनों से विस्वास करते थे।

२ फरवरी, १९३९ को माणिक्यनाथ वर्मा ने राज्य के सादेज का उन्मथन करते हुए मेवाड़ सीमा में प्रवेश किया। उन्हें जहाजपुर तहसील में गिरफ्तार कर लिया गया जहाँ वे अपने अन्य सहयोगियों के साथ मेवाड़ प्रजामंडल के गीत गा रहे थे और उसकी जय जयकार कर रहे थे। माणिक्यनाथ वर्मा को एक वर्ष के कठोर कारावास और २५१ रुपये के जुमनि का दंड दिया गया, जुमनि अदा न करने पर ३ माह के कठोर कारावास का प्रावधान था। कुल मिला कर मगूने राज्य में २८८ व्यक्ति गिरफ्तार किए गए जिसमें से ३५ व्यक्तियों को विभिन्न अवधि के कारावास का दंड दिया गया। जोमालान बदाज न हरविलाम शारदा ने अनुरोध किया कि वे मेवाड़ के प्रधान मंत्री वर्मा नारायण को प्रजामंडल में सम्मिलित करने के लिए राजी करमें। अतः महात्मा गांधी के परामर्श पर ३ मार्च, १९३९ को सत्कार-सादोलन स्थगित कर दिया गया।

अजमेर (१९२५-१९३९)

ब्रिटिश शासन प्राप्त होने के कारण अजमेर राजस्थान के राजनीतिक सभोचनों का केंद्र बना। १९२५ में भारत सरकार के द्वारा साईमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की गई। अजमेर की कांग्रेस कमेटी ने भी यह निश्चय किया कि साईमन कमीशन की यात्रा के दौरान उसका बहिष्कार किया जाय।

१९२१ से १९२६ तक अजमेर में कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं घटी परन्तु जब १२ मार्च १९२० को महात्मा गांधी ने दांडीकूच गारम किया तो इससे अजमेर भी प्रभावित हुए बिना न रह सका। अजमेर कांग्रेस कमेटी को सरकार के द्वारा गैर कानूनी मगडन घोषित कर दिया गया और इसके साथ ही अजमेर कांग्रेस के समान अजमेर में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। विज्ञान सांख्यिक ममाप्रा का आयोजन किया गया और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार की दुकानों पर धरता दिया गया। इन सत्याग्रहियों में रामनारायण चौधरी गौहरनराव प्रसादा कृष्णगोपाल गार्ग बालकृष्ण कौच मास्टर जयमीनारायण जमानुद्दीन अमरपुर और चंद्रमान शर्मा प्रमुख थे। इन सविनय अवज्ञा आंदोलन में गवर्नमेंट कांग्रेस अजमेर के विद्यार्थियों का योगदान अत्यंत सराहनीय था। विद्यार्थियों ने कांग्रेस में भी सत्याग्रह किया। इन विद्यार्थियों में डाक्टर गोपीनाथ शर्मा भी शामिल थे जिन्होंने सत्याग्रह करने के आरोप में कांग्रेस से निवृत्त किया गया। इसी समय एक और महत्वपूर्ण घटना भी घटी। कुछ विद्यार्थी राष्ट्रीय भंडा लिए हुए मधो कोमल अजमेर की खारदीवारी में से गुजरे कि इसी बीच कांग्रेस के वाट्स प्रिन्सिपल बनन हाउसन ने विद्यार्थियों को प्रताड़ित किया और राष्ट्रीय भंडे का अपमान करते हुए उनका टुकड़े टुकड़े कर दिए। परन्तु जब रामनारायण चौधरी ने इस घटना का प्रतिरोध कांग्रेस के प्रिन्सिपल और वाट्स प्रिन्सिपल से बड़ा विरोध प्रकट किया तो उन्होंने अगले ही दिन निवृत्त रूप में छुटा मागी। अगले १९३६ में गांधी इवनि समझौता हुआ जिसने परिणामस्वरूप समूचे भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्वयंसेवक बनने का निश्चय किया तदनुसार अजमेर में भी आंदोलन स्वयंसेवक हो गया।

राजस्थान में आन्दोलनवादी गतिविधियाँ

परन्तु गांधी इवनि-समझौते के बावजूद देश के युवा आन्दोलनियों को मनुष्य नहीं किया जा सका। समूचे उत्तर भारत में आन्दोलन की एक लहर दौरे लगी और राजस्थान भी अछूता नहीं रह सका। ए० ज्वाना प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में आन्दोलनवादी गतिविधियों का केंद्र अजमेर बना। पहिले ज्वाना प्रसाद शर्मा की जिज्ञा-शीला दयानंद स्कूल एवं गवर्नमेंट कांग्रेस अजमेर में हुई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि ज्वाना प्रसाद पर दयानंद स्कूल के एक अग्र विद्यार्थी रामसिंह का अग्र प्रभाव बड़ा और १९२८ में वे

राजकीय मन्त्रिमण्डल में सम्मिलित हो गए। इस समय की पुष्टि इन घटना से होती है कि ज्वानाप्रसाद ने रामचंद्र और मदनचंद्र के साथ ही डी० ए० सी० स्कूल के एक चपरासी और मन्ना साहित्य मंडल मजदूर के विधिक से र क्यूँ और कारखाने परीदे में तथा हट्ट ही के जमान में लगभग ६ महीने का प्रशिक्षण प्राप्त किया था।

अमेर के कमिश्नर की हत्या का प्रयत्न

मार्च, १९३२ में ज्वानाप्रसाद और उनके सहयोगियों ने ब्रिटिश अधिकारियों को घातक करने के लिए मजदूर के चीफ कमिश्नर की हत्या करने का प्रयत्न रखा। ज्वानाप्रसाद के एक सहयोगी रामचंद्र बापत ने चीफ कमिश्नर की हत्या करने का प्रयत्न प्रयत्न किया। इस घटना में मधुचे अमर बाहर में मजदूरों का मचा दिया। बापत पुलिस द्वारा विरपना कर दिया गया और भारतीय दंड संहिता की धारा ३०७ के अंतर्गत इन पर मुकदमा चलाया गया।

राजकीय कानून मजदूर के चपरासी की लूटने का असाफल्य प्रयत्न

राजकीय के घातकवादी इन की घन की कमी का सामना करना पड़ रहा था इन ज्वानाप्रसाद तथा उनके अन्य सहयोगी जगदीश दत्त, मदनगोपाल, हेमचंद्र और रामचंद्र बापत ने मिलकर एक योजना तैयार की जिसके अनुसार राजकीय कानून मजदूर के चपरासी को इन समय लूटना था जब वह इन्डियन बैंक मजदूर से कानून-स्टाफ का वेतन लेकर लौट रहा हो। योजना के अनुसार जैसे ही चपरासी वेतन लेकर बैंक में बाहर निकलेगा हेमचंद्र जिसके पास रिवाल्वर भी था चपरासी को मक्का देकर गिरा देगा और इसी समय ज्वानाप्रसाद रुपये का पैसा छीन लेगा। मजदूरों के लिए ज्वानाप्रसाद ने भी एक विन्दीत प्रयत्न प्राप्त रल ली। यह भी निश्चय किया कि रामचंद्र बापत और मदनगोपाल रुपये का पैसा लेकर भाग जाएंगे। एक अन्य सहयोगी जगदीश दत्त को थोड़ी दूर पर तैनात किया गया जो पुलिस के घने की सूचना दे सके। तदनुसार गिराई के सदस्यों ने अपने वस्त्र बदले और मजदूर विस्था बोर्ड के कार्यालय के समीप अपना अपना स्थान ले लिया कानून का चपरासी वेतन की राशि लेकर बाहर भागा। हेमचंद्र ने उसे मक्का दिया परंतु ज्वानाप्रसाद रुपये का पैसा छीनने में असफल रहा। रामचंद्र बापत ने जोर से चिल्ला कर हेमचंद्र को धमकाया किया कि यह पैसा

छीन के परतु बह भी घमकन रहा इसी बीच पुलिस धा गई परिणामत सभी धानखवादी भाग गए ।

बायसराय की हत्या का घसफन प्रयत्न

१९३४ के आरम्भ में ज्वालाप्रसाद ने बायसराय की बीकानेर यात्रा के दौरान हत्या करने की पुनः एक योजना तैयार की । ज्वालाप्रसाद ने २ रिवाहवागे एवं कारतूगो की व्यवस्था की और अपने सहयोगी रामचन्द्र बापल के साथ बीकानेर रवाना हो गए परंतु पुलिस की सतर्कता के परिणामस्वरूप योजना क्रियान्वित नहीं की जा सकी ।

मेयो कानेज का बेश

१९३४ के मध्य में एक बार फिर बायसराय की हत्या करने का प्रयत्न क्रिया गया । बायसराय अपनी यात्रा के दौरान अजमेर से होकर गुजरने वाले थे । अतः यह निश्चिन्त किया गया कि इस यात्रा के दौरान बायसराय की हत्या कर दी जाए । आतंकवादियों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि हथियारों को कहां छुपाया जाए क्योंकि यह निश्चिन्त था कि बायसराय की यात्रा के दौरान पुलिस की कड़ी व्यवस्था रहेगी अतः आतंकवादियों ने यह निश्चिन्त किया कि मेयो कानेज के समीप के मकान जो ब्रीम्भावकाश के कारण खाली पड़े थे में हथियार छिपा दिए जाए । इस कार्य को करने का उत्तरदायित्व फनहूचंद नामक आतंकवादी को भौंसा गया जो हथियारों से भरे तीन थैले साइकिल पर रखकर मेयो कानेज के समीपस्थ मकानों में रखे गए परंतु छः सात दिन के पश्चात् ही पुलिस ने छापा मारा और हथियार बरामद कर लिए । फनहूचंद गिरफ्तार कर लिया गया ।

जयपुर के सूरजबखश की घमकी भरा पत्र

आतंकवादियों को धन की निरंतर कमी हो रही थी अतः ज्वालाप्रसाद और उनके सहयोगी रामदास शर्मा सिंह और नृसिंहदास ने जयपुर के सेठ सूरजबखश बिधा के नाम एक घमकी भरा पत्र भेजा जिसमें यह कहा गया था कि पत्र मिलने ही ५०० रुपये काय समान मंदिर में रखे गए अथवा यभीर परिणाम भुगतने होंगे । सूरजबखश ने पुलिस को सूचना दे दी और इस प्रकार यह योजना घमकन हो गई ।

सत्पन्चायत बाबा नृसिंहदास और कुमारानंद ने मिलकर मेलाबादी

में शक्य हो जाने की योजना बनाई परन्तु किसी मुखविर ने सी० आर० डी० को सूचना दे दी और इस प्रकार यह योजना भी विफल हो गई ।

शेखरा गोलीकाण्ड

४ अप्रैल, १९३५ को घजमर के उप अधीशा, पुष्पिमी पी० ए० शेखरा और सी० आर० डी० के सचिवसचिव गलीनउद्दीन को हत्या करने का प्रयत्न किया गया । जवाहरप्रसाद के नेतृत्व में एक योजना तैयार की गई थी जिससे अनुसार यह निश्चय किया गया कि पी० ए० शेखरा की हत्या कर दी जाए क्योंकि ये ब्रिटिश समर्थक विचारधारा के थे । योजना के अनुसार तब हुआ कि मांगीनाल नामक भातवादी शेखरा को सिनेमा दिखाने के लिए ले जाया और जब वह सिनेमा देखकर वापस लौट रहा होगा तब रामसिंह नामक एक मध्य भातवादी उसे गोली मार देगा । तदनुसार मांगीनाल और रमेशचन्द्र श्याम जो कि स्थानीय समाचार पत्र का रिपोटर था न शेखरा को सुभाष दिया कि 'बोर्डर ए समाचार' नामक चलचित्र देखा जाए जो कि बहुत दिलचस्प था । शेखरा गलीनउद्दीन और मांगीनाल सिनेमा देखने गए । वापिस लौटते समय मांगीनाल को सिनेमा में ही रह गया और शेखरा और गलीनउद्दीन साइडलैन्स पर पर लौट पड़े । रात में रामसिंह ने अपने रिवाल्वर से शेखरा पर गोली चलाई जो कि उनके हाथ पर लगी और गलीनउद्दीन गिर पड़े । रामसिंह के द्वारा २ गोलियां और चलाई गईं जिनमें से एक गलीनउद्दीन के हाथ में लगी तदनुसार भातवादी भाग लड़े हुए । काफी खोजबीन के पश्चात् रामसिंह को गिरफ्तार कर लिया गया । पुष्पिमी को दिए गए अपने बयान में रामसिंह ने इस समय का उत्पादन किया कि ये मजबूती योजना जवाहरप्रसाद द्वारा तैयार की गई थी और उसी ने रिवाल्वर भी दिया था ।

जवाहरप्रसाद की गिरफ्तारी

२६ अप्रैल, १९३५ को जवाहरप्रसाद गिरफ्तार कर लिए गए उसे २३ सितंबर, १९३५ तक हिरासत में रखा गया । इस हिरासत के दौरान जवाहरप्रसाद ने अपने भाई बालीचरण को एक गुप्तभाषा में पत्र लिखा जिसमें बालीचरण से यह भावार्थ किया गया था कि यह १४ या १५ मई की रात को १२ बजे से २ बजे के मध्य उठे 'एक सिगरेट केस और सिगरेट' पश्चात् 'रिवाल्वर और कारतूस दे दे । इसी बीच जवाहरप्रसाद शर्मा ने बेल से

हो एक घमकी मरा पत्र ता'बालिक उप पुलिस अधीक्षण सी घाई ही मुमताब हुसैन को भेजा जिसमें यह घमकी दी गई थी कि वह गिरफ्तार आतकवादियों को तत्काल और बिना शर्त रिहा कर दे "अन्यथा उसका भी वही हाल होगा जो बोगरा का हुआ था"। ज्वालाप्रसाद को इन भयकर गतिविधियों को देखते हुए उसे १२ सितंबर, १९३५ को १८१८ के रेगुलेशन अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया और दिल्ली की जेल में भेज दिया गया।

ज्वालाप्रसाद की रिहाई और उसका अजमेर में भव्य स्वागत -

नवंबर, १९३८ में भारत सरकार ने ज्वालाप्रसाद को इन शर्तों पर रिहा करने का निर्णय किया कि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आतकवादी राजनीति से संबन्धित नहीं रहेगा और न किसी भी ऐसे संगठन से सहयोग करेगा जो हिंसा में विश्वास रखता हो और साथ ही बिना चीफ कमिश्नर की अनुमति के दिल्ली प्रांत की सीमा में दामिल नहीं होगा। परंतु ज्वालाप्रसाद ने सगर्त रिहा होने से इन्कार कर दिया और भूख हड़ताल आरंभ कर दी। उसने महात्मा गांधी को भी सूचित किया कि वह सरकार द्वारा प्रस्तावित अपमानजनक शर्तों पर रिहा होने को तैयार नहीं है। अंत. महात्मा गांधी के हस्तक्षेप पर १६ मार्च, १९३६ को ज्वालाप्रसाद को दिल्ली जेल से रिहा कर दिया गया।

२२ मार्च, १९३६ को ज्वालाप्रसाद अजमेर पहुंचा जहां उसका भव्य स्वागत किया गया। अजमेर रेलवे स्टेशन से उन्हें एक जुलूम में ले जाया गया जो कैसरगंज और मंदार गेट होना हुआ पासो राम की धर्मशाला पहुंचा। जुलूम का नेतृत्व मागीशाल मीताराम बकील, जगन्नाथ, राधावल्लभ और श्यामसिंहारी सिंह कर रहे थे तथा जुलूम में "इकलाव जिदावाद" "रामसिंह को रिहा करो" और "मदनसिंह, महात्मागांधी और जवाहर लाल नेहरू की जयजयकार" के नारे लगाए जा रहे थे। जब जुलूम पासो राम की धर्मशाला पर पहुंचा तो स्वामी कुमारानंद ने ज्वालाप्रसाद का आतिथ्य कर स्वागत किया।

२२ मार्च, १९३६ को ज्वालाप्रसाद की रिहाई पर मुखारबवाद देने के लिए एक और सभा का आयोजन किया गया जिसका सभापतित्व जय-नारायण व्यास ने किया। सभा में अनेक बतारों ने भाषण दिए जिनमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी अजमेर के सचिव बाबा नृसिंहराव, डा० जे० एल० मुन्शी,

श्यामी कुमारानंद, रामजीलाल धीर राधानरुणभ सम्मिलित थे । बाबा मुनिहदास ने अपने विचारोत्तेजक भाषण में देशभक्ति की भावना पर बल दिया और यह भाव यह किया कि भारतीयों को जर्मनी व इटली से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए तथा ज्वालाप्रसाद का अनुसरण करना चाहिए । मत में सभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें ज्वालाप्रसाद शर्मा को बिना कर्त रिहाई पर प्रसन्नता प्रकट की गई ।

इस प्रकार जब १९३६ में भारतवादी गतिविधियाँ अपनी चरम सीमा पर थी उसी समय द्वितीय महायुद्ध आरंभ हो गया । महात्मा गांधी की गपील पर ब्रिटिश भारत तथा राजस्थान में सर्वप्रथम आंदोलन स्थगित कर दिया गया । एक बार फिर भारतीय राजा महाराजा ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए आगे आए और उन्होंने तन, मन, धन से ब्रिटेन की सहायता की ।



जागरण और एकीकरण (१९३९-४७)

विभिन्न राज्यों में प्रजासङ्घ की स्थापना का परिणाम यह हुआ कि राजस्थान की देशी रियासतों में 'उत्तरदायी शासन' की मांग की जाने लगी परन्तु १९३६ में द्वितीय महायुद्ध ही जाने के फलस्वरूप जब ब्रिटिश भारत में आन्दोलन स्वगित हो गया तो इसका प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा। परिणामतः राजस्थान में भी उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग को लेकर चलाया जा रहा आन्दोलन अस्थायी तौर पर स्वगित कर दिया गया। दुर्भाग्य से देशी राजाओं की स्थिति की गम्भीरता को नहीं समझते वे यही सोचते रहे कि भारत में ब्रिटिश शासन के बने रहने से ही उनका निरंकुश राज्य बना रह सकता है।

द्वितीय महायुद्ध और राजस्थान में राजाओं का दृष्टिकोण —

अगस्त, १९३६ में यह स्पष्ट दिलाई देने लगा था कि बिना द्वितीय महायुद्ध के कंगार पर घा पड़ना है। बीकानेर के महाराजा सम्भवतः भारतीय राजाओं में प्रथम थे जिन्होंने ब्रिटेन के सम्राट को सहायता प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ५ सितम्बर १९३६ को द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ होने पर महाराजा बीकानेर ने ब्रिटिश सम्राट को पुनः अपनी ओर से सहायता देने के प्रस्ताव को दोहराया और सम्राट के नाम तार भेज कर यह घोषणा प्रकट की कि ब्रिटेन को महायुद्ध में शीघ्र सफलता मिलेगी। महाराजा बीकानेर ने ब्रिटेन की ओर से महायुद्ध में भाग लेने की इच्छा प्रकट की जिसे ब्रिटेन ने द्वारा स्वीकार कर

दिया गया। परिणामतः २६ फरवरी, १९४१ को बीकानेर के महाराजा ने पोरबंदर के लिए प्रस्थान किया जबकि प्रसिद्ध गंगा रियासत भी साथ में भेजा गया। इसी प्रकार जयपुर औरपुर उदयपुर, बनार, भरनपुर, पौनपुर और कोण के महाराजाओं ने भी हर समय सहाम्यता देने का प्रस्ताव रखा। महाराजा पौनपुर ने वायुना के जन सेनिकों को पुरस्कार देने की घोषणा की जिन्हें युद्ध के दौरान सर्वोत्तम योगदान दिए जाते।

इस प्रकार जहां तक पौर राजस्थान की देशी रियासतों के राजाओं के विदेन को हर समय सहाम्यता की वही दूतरी पौर विदेन के विरुद्ध सत्याग्रह आन्दोलन चलाए जाने की योजना थी। १९४० व भारत में महात्मा गांधी की अग्रणी पर राजस्थान की देशी रियासतों में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ हुआ। १९४३ व भारत छोड़ो आंदोलन में राजस्थान ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अनेक राज्यों में उत्तरदायी शासन प्रथा लोकप्रिय सरकार की स्थापना की मांग की जाने लगी। जनता का उल्हास प्रतीत था और इस घुंटाभूमि में राजस्थान के राज्यों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग को लेकर चलाए गए आंदोलन को विधिवत करने का प्रयत्न किया गया।

अप्रैल

ब्रिटिश शासन होने के कारण राजस्थान की समस्त राजनैतिक गति विधियों का केन्द्र अजमेर बना। २६ जनवरी १९४० को नागरिकों ने स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया, परंतु जिन्दापीश ने सार्वजनिक सभा करने के लिए अनुमति देने से इंकार कर दिया। जनता के जोश की सीमा नहीं थी। अतः अजमेर के नागरिक और विद्यार्थियों ने ब्रिटिश विरोधी नारे लगाते हुए जिन्दापीश के आदेश की अवहेलना की। परिणामतः अनेक विद्यार्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया जिनमें से १२ विद्यार्थियों को अजमेर की ५००० रु० जुर्माना दिए जाने का आदेश मिला। अनेक स्थानों पर पुलिस ने छापे मारे। फरवरी, १९४० में प्रांतीय बार्ड्स कमेटी अजमेर पर छापा मारा गया तथा साथ ही साथ प० जवाहरप्रसाद शर्मा डा० जे एन मुखर्जी पौर बाबा नृसिंहदास के मकानों की तलाशी ली गई क्योंकि पुलिस को सूचना मिली थी कि इनके पास रिवाल्वर और कारतूस हैं। देवी प्रसाद अजमेर और स्वामिबिहारीसिंह आदि कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार

किया गया। यद्यपि बाद में २ कार्य-कर्ताओं को रिहा कर दिया गया परन्तु अनेक कार्यकर्ताओं को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखा गया। १० अप्रैल, १९४० को भारत सुरक्षा अधिनियम, १९३२ के अन्तर्गत अमर प्रिंटिंग प्रेस, अजमेर और उसके व्यवस्थापक भम्बालाल माधुर के मकानों की तलाशी भी गई। इसका कारण केवल यह था कि पुलिस को ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि प्रेस कार्यालय में 'उस पार रीशनी' नामक अन्तर्-दुस्तर की प्रतियाँ रखी हुई हैं।

इस तनावपूर्ण वातावरण में ८ अप्रैल से १६ अप्रैल, १९४० तक अजमेर कांग्रेस ने राष्ट्रीय सप्ताह मनाने का निश्चय किया। इन सप्ताह के दौरान खादी की एक प्रदर्शनी आयोजित की गई। १० फीट ऊँचे सम्भे पर कांग्रेस का ध्वज फहराया गया। इस प्रदर्शनी को देखने के लिए जनता उमड़ पड़ी। साथ ही साथ विभिन्न आन सभाओं का भी आयोजन किया गया जिसमें दिल्ली की एक राजनैतिक कार्यकर्ता श्रीमती प्रभाती डीडवानिया ने अपने भाषण में भारतीय नवयुवकों से आग्रह किया कि वे जलिया वाले बाग के शहीदों से शिक्षा लें। जनता पर इस भाषण का इतना प्रभाव पड़ा कि लोगों ने अपने धून से हस्ताक्षर करके प्रतिज्ञा की कि वे देश को आजाद कराके ही चैन लेंगे। ब्रिटिश नीकरशाही यह सब कुछ बर्दास्त नहीं कर सकी और अजमेर कमिश्नर ने दण्ड संहिता की धारा १४४ के अन्तर्गत एक आदेश जारी किया जिसमें यह कहा गया था कि एक घंटे के अन्दर-अन्दर राष्ट्रीय भण्डा उतार लिया जाए और किले की ४०० गज की सीमा के अन्दर प्रवेश न किया जाए, परन्तु प्रदर्शनी के सचिव कृष्णगोपाल गर्ग ने आदेश मानने से इन्कार कर दिया तत्पश्चात् पुलिस ने कार्यवाही की और भण्डे को जब्त कर लिया। कृष्ण-गोपाल गर्ग को ४ मास का कठोर कारावास दिया गया। इन समस्त घटनाओं की सूचना महात्मागान्धी को भी भेजी गई। जिन्होंने अजमेर कमिश्नर के आदेश की कटु-आलोचना करते हुए कांग्रेस कार्य-कर्ताओं को भी परामर्श दिया कि उन्हें 'कमिश्नर के आदेश का पालन करना चाहिए।'

रेल्वे वर्कशाप में हड़ताल।

ब्रिटेन की दमनकारी नीति का परिणाम यह हुआ कि सामान्य जनता में भी ब्रिटिश विरोधी भावना बनने लगी और इसीलिए अपना विरोध प्रकट करने हेतु १५ अगस्त, १९४१ को अजमेर रेल्वे वर्कशाप के लगभग १०,०००

कर्मचारियों ने 'बैठे रहो' हड़ताल की। ब्रिटिश सरकार इस हड़ताल से इतनी घबरा उठी कि उसने सेना को भी बुला लिया। मउ ३ सितम्बर, १९४२ को हड़ताल वापस ले ली गई।

पंडित ज्वालाप्रसाद की निरपत्तारी और उनका सजमेर के केन्द्रीय कारागृह से भागना

सजमेर रेलवे बर्कशाप की हुई हड़ताल में ज्वालाप्रसाद शर्मा ने भी सक्रिय योगदान दिया था। भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत १९ अगस्त, १९४१ को उन्हें निरपत्तार कर दिया गया। चीफ कमिश्नर सजमेर ने भारत सरकार से यह भी प्रार्थना की कि सजमेर में ज्वालाप्रसाद की उपस्थिति स्थानीय आंदोलन को उद्यत बना सकती है। मउ उन्हें तुरंत किसी दूसरे राज्य की जेल में भेज दिया जाए। परंतु कोई भी दूसरी प्रांतीय सरकार ज्वालाप्रसाद शर्मा को लेने को तैयार नहीं थी मउ उन्हें स्थानान्तरित नहीं किया जा सका। १२ नवम्बर, १९४१ को सर्वोच्च न्यायालय के कुछ ही समय बाद ज्वालाप्रसाद शर्मा ने जेल से भागने का प्रयत्न किया। उन्होंने कमरे के एक रोशनदान में से जो केवल ६ $\frac{1}{2}$ इंच चौड़ा था निकलकर अपना रास्ता बनाया परंतु जिस समय वे बाहर निकल रहे थे तो उनके पैर से घास में रखा हुआ लीटो का कलस्तर टकरा गया। परिणामतः आवाज सुनकर जेल का मुख्य वार्डर या पहूचा उसने देखा कि ज्वालाप्रसाद छत पर लड़े हैं और उनके हाथ में चाकू भी है। मुख्य वार्डर ने ज्वालाप्रसाद को वापस आने की समझाया। ज्वालाप्रसाद इस शर्त पर वापस आने के लिए तैयार हो गए कि वार्डर इस घटना का किसी में भी ब्रिफ नहीं करेगा और मामले को यहीं दबा देगा। परंतु उन पर मुकदमा चलाया गया और भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत उन्हें एक वर्ष तीन महीने का कठोर कारावास तथा ५० रुपये जुर्माने की सजा दी गई। जुर्माना मंदा न करने पर ३ माह की सजा का प्रावधान था। मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध ज्वालाप्रसाद ने अपील की जिसके फलस्वरूप १६ फरवरी, १९४२ को उनकी सजा रद्द कर दी गई, परंतु २५ फरवरी, १९४२ को उनके विरुद्ध एक नया मुकदमा दायर किया गया और ६ माह के कठोर कारावास का दण्ड मिला।

२६ फरवरी, १९४४ को एक अन्य कंदी रघुचान सिंह के साथ ज्वालाप्रसाद ने एक बार फिर भागने का प्रयास किया। दोनों ही कंदी बरक नं०

११ में रवे गए थे। इन्होंने बानीमाल खेलने के शासक और उसके लोगों को लेकर छान पर पड़ने का सफल प्रयत्न किया और लगभग १० घण्टियाँ अपनी कमर में सपेड़ कर जेल की छान पर से कूट पड़े। बाकी लोगजिन के बावजूद दोनों ही कंडियों को पकड़ने के प्रयास विफल रहे।

सविनय अवज्ञा-आंदोलन

दूसरी ओर "भारत छोड़ो आंदोलन" की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप 'सविनय अवज्ञा-आंदोलन' तेज होता जा रहा था। अप्रैल, १९४३ तक ६४ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था जिनमें बालकृष्ण कौल, हरिभाऊ उपाध्याय, रामनारायण चौबरी, गोकुल लाल प्रसादा, शशि दत्त महता, मुकुटबिहारी लाल भार्गव, लालूराम जोशी श्रीमती गोमती देवी भार्गव, प्रबालाल माथुर और शोभानाल मुज्त भी सम्मिलित थे। बालकृष्ण कौल और गोकुल लाल प्रसादा को जेल अधिकारियों की आज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में ४ माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। इस दण्ड के विरोधस्वरूप बालकृष्ण कौल ने भूख हड़ताल आरंभ कर दी। ब्रिटिश सरकार ने श्रीमती कौल तक को बालकृष्ण से जेल में मिलने की अनुमति नहीं दी बाद में महात्मा गांधी के हस्तक्षेप पर श्रीमती कौल को अपने पति से मिलने की इजाजत मिली। तत्पश्चात् बालकृष्ण कौल ने भी भूख हड़ताल समाप्त कर दी।

१९४५ में शिमला कांफ्रेंस आयोजित की गई। साथ ही १९४६ में भारत की संवैधानिक समस्या का समाधान ढूँढ़ने के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया। परिणामस्वरूप ब्रिटिश विरोधी वातावरण ठण्डा हो गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया।

जयपुर

अजमेर की घटनाओं का प्रभाव राजस्थान के अन्य राज्यों पर भी पड़ा तथा विभिन्न राज्यों में राजनीतिक आंदोलनों को मुख्य भाग "उत्तरवाणी शासन की स्थापना" बनी। समूचे राजस्थान की देशी रिपब्लिकों में जयपुर सबसे अधिक प्रगतिशील राज्य था परंतु अन्य राज्यों के समान जयपुर में भी आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने दमन पक का सहारा लिया। १ जनवरी, १९४० को राज्य सरकार ने द्वारा एक आदेश जारी किया गया

विस्तृत राज्य कर्मचारियों को यह आदेश दिया गया था कि वे राजनीतिक मामलों के प्रसंग में बिल्कुल विचार प्रकट न करें। परिणामतः जयपुर प्रजामण्डल ने राज्य की दमनकारी नीति का विरोध करते हुए जनवरी, १९४० में एक शीघ्र प्रस्तावित की जिसमें जयपुर राज्य में तुरंत "उत्तरदायी सरकारें" स्थापना की मांग की गई। इस पटना ने राज्य के प्रधानमंत्री राजा ज्ञान नाथ को बहुत उत्तेजित कर दिया उन्होंने प्रजामण्डल को "गभीर परिणाम" सुगठने की धमकी भी दी। फरवरी, १९४० के अंतिम सप्ताह में पुलिस ने प्रजामण्डल के कार्यालय पर छापा मारा और बहुत से भागजात घबरे साथ ले गई। ६ मार्च, १९४० को राज्य सरकार द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें प्रजामण्डल को रजिस्टर्ड कराने को कहा गया था। इस पटना ने राज्य में एक नई राजनीतिक स्थिति को जन्म दिया। अक्टूबर २ मई, १९४० को राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया कि प्रजामण्डल की अधिकार है कि वह जनता के राजनीतिक जागृति उत्पन्न कर सके और सर्वथा विरुद्ध साधनों के माध्यम से जनता की इच्छानुसार को राज्य सरकार के समुदाय प्रस्तुत कर सके, परंतु इस स्वीकारोक्ति के बावजूद राज्य ने दमनकारी नीति का परिणाम नहीं किया और प्रजामण्डल की बैठकों में भाग लेने वाले व्यक्तियों को सदेह की निगरानी से देखना शुरू कर दिया। दुर्भाग्य से इस समय प्रजामण्डल के सदस्यों और कार्यकर्ताओं में भावसी मतभेद उठ खड़े हुए। विरजोत्तल प्रचाल के नेतृत्व में एक नए दल ने जिसे 'प्रजामण्डल प्रगतिशील दल' के नाम से पुकारा गया, जन्म लिया। परिणाम यह हुआ कि भारतीय कूट के परिणामस्वरूप जयपुर "भारत छोड़ो आंदोलन" में विशेष योगदान नहीं दे सका।

नवम्बर, १९४१ में सीकर में राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें जयपुर प्रजामण्डल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री ने यह मांग की कि राज्य सरकार अपनी दमनकारी नीति का तुरंत परिणाम कर दे और प्रजामण्डल की मांग को स्वीकार करत हुए राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। इसी समय एक अन्य दल ने भी जन्म दिया जिसे "माजाद मोर्चा" के नाम से जाना जाता है। इस मोर्चे के द्वारा राज्य के निरक्षर शासन के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन में भाग लेने वालों में मास्टर रामारण जोशी, बी० एम० देशपाण्डे, मोहनदास शास्त्री, बादूराम जोशी और हंस डी० राय प्रमुख थे। यह आंदोलन

लगभग डेढ़ वर्ष तक चलता रहा। पाठोपन के दौरान विदेशी वस्त्रों और घरेलू वस्त्रों की दुकानों पर घरेलू वस्त्रों को धोड़ फोड़ की कार्यवाही भी हुई।

संवैधानिक सुधार

२६ फरवरी, १९४२ को जयपुर महाराजा ने संवैधानिक सुधारों को लागू करने की दृष्टि से एक विशेष समिति की स्थापना की थी। समिति ने ११० परिच्छेदों (पैरेग्राफ) का प्रस्ताव प्रतिवेदन प्रस्तुत किया परंतु गौर सरकारी सदस्यों ने इस प्रतिवेदन का विरोध किया। परंतु इसके फलस्वरूप १९४५ में जयपुर राज्य ने समिति के प्रतिवेदन के आधार पर कुछ सुधार लागू किए। वास्तव में यह 'उत्तरदायी शासन' की स्थापना की ओर एक कदम था। इसदस्तावेजक विधान सभा की स्थापना की गई। प्रतिनिधि सभा में १२५ सदस्य होने थे जिनमें से ५ मनोनीत, २५ ठिकाने के सरदारों में से निर्वाचित एवं २ स्थान व्यवसायियों रिजर्वों और सैनिकों के लिए सुरक्षित थे। इस प्रकार सामान्य स्थान केवल १८ थे। दूसरे सदन में कुल ५१ स्थान थे जिनमें से १४ सदस्यों का मनोनयन करना था, ६ सदस्य ठिकाने के सरदारों द्वारा निर्वाचित तथा ३ स्थान व्यवसायों रिजर्वों और सैनिकों के लिए तथा ४ स्थान मुसलमानों के लिए सुरक्षित थे। इस प्रकार स्पष्ट था कि प्रस्तावित विधान सभा महाराजा की हा में हा मिलाने वाली की संस्था थी परंतु इस सब के बावजूद प्रजामण्डल ने चुनावों में भाग लिया तथा उमम उसे आशातीत सफलता मिली। प्रतिनिधि सभा में से ३१ स्थानों में से २७ स्थानों पर तथा ऊपरी सदन में ३ स्थानों पर प्रजामण्डल का कब्जा हो गया। यह तथ्य इस बात का प्रतीक था कि प्रजामण्डल को व्यापक जनसमर्थन प्राप्त था।

उदयपुर

फरवरी, १९४१ में उदयपुर राज्य सरकार ने मेवाड़ प्रजामण्डल से प्रतिबंध उठा लिया था। परिणामतः प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओं को राज्य में "उत्तरदायी सरकार" की स्थापना की मांग करने का पुनः अवसर प्राप्त हुआ। इसी मांग पर बल देने के लिए नवंबर, १९४१ में मणिकमल वर्मा के सभापतित्व में प्रजामण्डल का प्रथम अधिवेशन उदयपुर में आयोजित किया गया। जिसमें नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की मांग की गई। इस अवसर पर एक खादी प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन श्रीमती

निम्नलिखित परिणामों ने किया। इन सब घटनाओं का परिणाम यह हुआ कि राज्य सरकार ने यह अनुभव कर लिया कि अब अधिक समय तक जनता की भावनाओं को नहीं दबाया जा सकता। यही कारण है कि राज्य सरकार के द्वारा यह घोषित किया गया कि प्रतिनिधि सभा की शीघ्र ही घोषणा की जाएगी जिसमें निर्वाचित सदस्यों का बहुमत होगा। माय ही 'बटवाली कर' वापिस लेने की भी घोषणा की गई।

सत्याग्रह-मानदीवन

८ अगस्त, १९४२ की प्रथम भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ब्रिटिश भारत में 'भारत छोड़ो' आन्दोलन प्रारम्भ किया। इसके साथ ही राजस्थान के विभिन्न राज्यों में भी 'उत्तरदायी सरकार' की स्थापना की मांग को लेकर सत्याग्रह प्रारम्भ हुआ। उदयपुर भी पलूना व रह गया। १० अगस्त, १९४२ को सत्याग्रह करने हुए अमिन् मेता रमेशचन्द्र ध्यात को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। २० अगस्त, १९४२ को मेवाड़ प्रजामण्डल के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें राज्य में गुरुत्त उत्तरदायी शासन की स्थापना और ब्रिटिश सरकार से सभी सबध तोड़ लेने की मांग की गई थी। इसके प्रत्युत्तर में राज्य ने इमन-जीनि का सहारा लिया और २१ अगस्त, १९४२ को माणिक्यलाल वर्मा, मोहनलाल मुखाडिया, बलवन्तसिंह मेहता सहित १५ सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही समूचे राज्य में सार्वजनिक सभा करना प्रवधा मापण देना या प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई और प्रजामण्डल को 'गेर काठूनी समठन' घोषित कर दिया गया शीघ्र ही गिरफ्तार व्यक्तियों को सन्ना ५० तक पहुँच गई। यद्यपि कानाबरण को छुड़ा करने के लिए कुछ समय बाद अनेक सत्याग्रहियों को रिहा कर दिया गया जिनमें माणिक्यलाल वर्मा, मोहनलाल मुखाडिया, बलवन्तसिंह मेहता और मोनीलाल तेजावन सम्मिलित थे। ६ सितम्बर, १९४५ को प्रजामण्डल से भी प्रतिबन्ध उठा लिया गया। यद्यपि सार्वजनिक मञ्चों पर तथा भाषणों पर प्रतिबन्ध बना रहा। सरकार की इन इमनकारी नीति का परिणाम यह हुआ कि राज्य सरकार के कर्मचारियों तक ने सरकार की नीति को विशुद्ध हृदयानुसार कर ली। पुस्तक ने भाड़ी चार्ज किया और अनेक व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गए। बाद में राज्य सरकार ने इस घोरकासन पर, कि जनता की कठिनाइयों को शीघ्र दूर किया जाएगा इतना वापिस ले ली गई।

संवैधानिक मुद्दा

इन परिस्थितियों में मार्च, १९४७ में राज्य के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर राजशंकर ने राज्य में अनेक संवैधानिक मुद्दों को लागू करने की घोषणा की। वास्तव में इन मुद्दों की कोई उपयोगिता नहीं थी। क्योंकि इन मुद्दों के माध्यम से राज्य के निरंकुश शासन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो सकता था। फिर भी मेवाड़ प्रजासभाल ने विधान सभा के चुनावों में भाग लेने का निरंकुश विषय और काफी सीधे पर कब्जा करने में यह सिद्ध कर दिया कि उसे जनता का भारी समर्थन प्राप्त है।

बीकानेर

राजस्थान के अन्य राज्यों के समान ही बीकानेर में भी उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मांग को लेकर आन्दोलन चल रहा था। राज्य ने दमनचक्र का सहारा लिया और सजी सरकार की सार्वजनिक सभाओं एवं भाषणों पर रोक लगा दी परन्तु राज्य की इस दमन नीति के फलस्वरूप आन्दोलन और तेज हो उठा। नवम्बर, १९४१ में द्वितीय महाबुद्ध में भाग लेने वाले समय महाराजा गणसिंह ने कुछ मुद्दों को लागू करने की घोषणा की थी परन्तु व्यवहार में इनका कोई विशेष परिणाम नहीं निकला, जन. २६ जुलाई, १९४२ को रघुवरसिंह गोयल के सभापित्व में बीकानेर प्रजा-परिषद् ने राज्य में 'उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मांग को लेकर सत्याग्रह-आन्दोलन शुरू किया। राज्य ने दमनचक्र को तेजी से घुमाना शुरू किया और रघुवरसिंह गोयल सहित अनेक व्यक्तियों को गिरफ्तार करके उन्हें राज्य से निष्काशित कर दिया, परन्तु २६ अगस्त, १९४४ को रघुवरसिंह गोयल ने अपने अग्र्य साधियों गणदास कोशिक तथा दीनदयाल आचार्य के साथ निष्काशन आदेश को अवहेलना करने हुए राज्य में प्रवेश किया। राज्य सरकार ने इन्हें पुनः गिरफ्तार कर राज्य से निकाल दिया; परन्तु इन सबके बावजूद राज्य में आन्दोलन जारी रहा। राज्य की दमनकारी नीति पर ध्यान विचार प्रकट करते हुए ३० जनवरी १९४६ को अग्नि भारतीय देशी राज्य परिषद् में भाषण देने हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था बीकानेर राज्य अपने निरंकुश शासन के लिए कुख्यात हो चुका है जहाँ राजनैतिक केंद्रों की हालत दयनीय है। मार्च, १९४६ में बीकानेर प्रेस अधिनियम बालिष्ठ हुआ जिसने प्रेस प्रत्येक सभाकार पत्र के लिए यह आवश्यक था कि

यह सब से पूर्व राज्य को अमान्य है कि यह राज्य विशेषी नविनविधियों में सम्मिलित नहीं होगा। आदेश में यह भी कहा गया था कि कोई भी और बीगनेरी व्यक्ति समाचार पत्र का सम्पादन नहीं बन सकेगा। इसी बीच राज्य सरकार के द्वारा जाबकर विधेयक लागू किया गया जिसके अनुसार 'यदि कोई भी नागरिक बीगनेर राज्य की सीमा में १२० दिनों निवास करता है तो उसे पकड़ कर देना होगा।' इन धर्मनिषेध का सीधे विरोध किया गया। २२ मार्च, १९४६ को संपूने राज्य के हड़ताल आयोजित की गई जिसने राज्य विधान सभा में जाबकर विधेयक पर विचार करना स्वयंसे कर दिया और हड़ताल भी पाबंद ले ली गई।

विनायक-आन्दोलन

मई, १९४६ में राज्य की दमननीति का विरोध करते हुए राज्य के किसानों ने अवैध प्रदर्शन किया। इन आंदोलनों में और भी बड़ी दमन-पक का सहारा दिया। कुभावाण चार्य सहित अनेक विनायक विचारक पर किए गए। १० मई, १९४६ को पुनित ने राजाड़ नामक गांव की घेरे किया और वहाँ के शांतिपूर्ण नागरिकों पर सभी प्रकार के अपहरण व्यवहार किए। सरकार की इस दमन-नीति की न केवल बीगनेर राज्य में बल्कि बन-कता, अम्बई और जयपुर तक में बड़े आन्दोलन हुई। ३० जून और १ जुलाई, १९४६ को रामसिंह नगर में देशी राज्य परिषद् का अधिवेशन आयोजित हुआ, जहाँ १ जुलाई, १९४६ को अब परिषद् का एक कार्यकर्ता देवगाड़ी में बैठने के लिए स्टेशन जा रहा था तो बिना किसी कारण के पुनित ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस घटना ने आन्दोलन को उत्तेजित बना दिया। पुनित की इस दमनकारी नीति का जनता ने अवैध विरोध किया। जन-विरोध के दृष्टान्तों के लिए राज्य में पहले लाली चार्य और बाद में गोपी का सहारा लिया। यहाँ तक कि सेना भी बुना ली गई। परिणामतः बीरबल सिंह (जो कि एक हरि जन कार्यकर्ता था) सहित ४ व्यक्ति घटनादरमत् पर ही मारे गए। १७ जुलाई, १९४६ को संपूने राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया और यह मांग की गई कि तत्काल राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाए और 'रामसिंह नगर' गोपी राज्य की जान बचाई जाए। अन्ततः ३१ अगस्त, १९४६ को सहाराका माईल सिंह की इस घोषणा पर कि 'राज्य में सीधे उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी' राज्य का अनावृत्त आन्दोलन समाप्त हो गया।

भरतपुर

भरतपुर में आन्दोलन का आरम्भ सन् १९४० में उस समय हुआ जब राज्य के प्रधानमंत्री सर रिचर्ड टेटनहोड ने राष्ट्र ध्वज को फहराना ग़र कानूनी घोषित कर दिया। अन्य राज्यों के समान ही भारत छोड़ो आन्दोलन का प्रभाव भरतपुर पर भी पड़ा और वहाँ भी १० अगस्त, १९४२ को उत्तरदायी सरकार की मांग को लेकर आन्दोलन तीव्र हो उठा। इस आन्दोलन के प्रमुख नेता जुगलकिशोर चतुर्वेदी मास्टर आदित्येन्द्र देशराज पंडित रेवतीशरण ठाकुर श्रीवाचम रमेश स्वामी राजबहादुर और मास्टर गोपीनाथ यादव थे। आन्दोलन के दौरान विदेशी शराब की दुकानों पर घरना दिया गया और विदेशी वस्त्रों की होनी जलाई गई। यहाँ तक कि अनेक स्त्रियों ने गोद में बच्चे लिए हुए अपने आपको गिरफ्तारी के लिए पेश किया। आन्दोलन को ध्यान करने के लिए महाराजा भरतपुर ने १९४३ में वृत्र जया प्रतिनिधि सभा की स्थापना की घोषणा की परन्तु भरतपुर प्रजामण्डल ने उस समय तक किसी भी प्रकार का सहयोग देना इकार कर दिया जबतक जनता की सच्ची प्रतिनिधि सभा की स्थापना नहीं की जाती। प्रभुत्तर में राज्य में दमनकारी नीति का सहारा लिया और आन्दोलन के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। १ अगस्त १९४५ को आन्दोलन के प्रमुख नेता जुगलकिशोर चतुर्वेदी को एक वर्ष की कारावास और २५० रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। २४ सितम्बर १९४५ को एक सावजनिक सभा में भाषण देते हुए राजबहादुर ने महाराजा भरतपुर से अनुरोध किया कि उन्हें जनता की मांगे स्वीकार कर लेनी चाहिए और उत्तरदायी शासन की तुरन्त स्थापना करनी चाहिए। अगस्त १९४६ में बसंत दरवार के अवनत पर महाराजा भरतपुर ने लोकप्रिय मंत्रिमण्डल की पन्हाइड किए जाने की घोषणा की परन्तु प्रजापरिषद् राज्य की मुस्लिम शीघ गाला और किसान सभा ने राज्य के साथ उस समय तक सहयोग से इकार कर दिया जबतक कि राज्य में प्रत्यक्ष मत के आधार पर निर्वाचित उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं कर दी जाती। अपनी मांगों पर बल देने के लिए प्रजा परिषद् ने राजबहादुर वकील और रेवतीशरण के नेतृत्व में ४ फरवरी १९४७ को राष्ट्रीय नारे लगाते हुए जाने भण्डों का प्रदर्शन किया।

अगस्त १९४७ में भरतपुर राज्य भारतीय संघ में सम्मिलित हो गए

घोर १३ सितम्बर, १९४७ को महाराजा भरतपुर के आदेश के अन्तर्गत देवनी-शरणा घोर जुगलकिशोर सहित सभी गिरफ्तार व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया।

झलवर :

सन्धि १९४० में झलवर राज्य के द्वारा झलार प्रजासभ्यता को मान्यता प्रदान कर दी गई थी परन्तु भूमि के मामले को लेकर दोनों ही पक्षों में मतभेद उत्पन्न हो गए और २ जून, १९४१ को प्रजासभ्यता के द्वारा 'जागीर माफी प्रजा परिषद्' का आयोजन किया गया जिसमें किसानों की भू-स्वामित्व दिए जाने की मांग की गई। साथ ही यह भी मांग की गई कि जागीरदारों के द्वारा ली जाने वाली धेशर समाप्त की जाए और जमीन का जोतने वाला ही जमीन का मालिक समझा जाए। अपनी मांगों के लक्ष्य में किसानों ने राज्य के अनेक स्थानों पर प्रदर्शन भी किया परन्तु राज्य की दमनकारी नीति के सम्मुख कुछ समय के लिए यह आंदोलन स्थगित हो गया। परन्तु फरवरी १९४६ में प्रजासभ्यता के द्वारा एक बार फिर 'उत्तरदायी शासन' की स्थापना की मांग की लेकर आंदोलन प्रारम्भ हुआ। शोभाराम, रामजीलाल, कुज-विहारोजाल और हरीनारायण सहित अनेक व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अक्टूबर, १९४७ में बनहरा के अन्तर्गत महाराजा झलवर ने राज्य प्रशासनिक परिषद् में ३ निर्वाचित सदस्यों को सम्मिलित करने की घोषणा की परन्तु राज्य की अन्यायपूर्ण नीति के कारण वे सुधार में सन्तुष्ट नहीं हो सकी। बाद में झलवर राज्य भारतीय संघ में सम्मिलित हो गया और सभी राजनीतिक बन्धियों को रिहा कर दिया गया।

कोटा :

अन्य राज्यों के समान कोटा में भी 'उत्तरदायी सरकार' की मांग की जाने लगी। २६ जनवरी, १९४१ को 'उत्तरदायी सरकार' विषय मचाया गया जिसमें राज्य प्रशासन से अनुरोध किया गया था कि वह अन्याय की मांग को तुरन्त स्वीकार करके संसदीय शासन की स्थापना करे। नवम्बर, १९४१ में विद्युती त्रिपथी को सभासदों के लिए महाराज कोटा ने कुछ सर्वजनिक सुधारों की घोषणा की। इन सुधारों के अन्तर्गत एक विधान का निर्माण किया जाना था और एक विधान परिषद् भी स्थापित की जानी थी। परन्तु राज्य प्रजासभ्यता ने इन सर्वजनिक सुधारों के साथ सहयोग करने से इस्तीफा

इसकारण कर दिया क्योंकि इनके माध्यम से नागरिकों को गुमराह करने का प्रयत्न किया गया था।

अगस्त, १९४२ में "भारत छोड़ो आंदोलन" के दौरान ब्रिटीश प्रशासन ने भी उत्तरदायी शासन की मांग को लेकर सत्याग्रह प्रारंभ किया। समूचे राज्य में हड़ताल भी गई और धरना दिया जाने लगा। राज्य की दमनकारी नीति के फलस्वरूप गिरफ्तार लोगों की संख्या हजारों तक पहुंच गई। जन जनोचना इनकी अधिक बढ़ी कि नागरिकों ने शहर के दरवाजे बंद कर दिए और पुनिम कोणवल्ली में भूखे फहराकर नागरिक आसन अपने हाथ में ले लिया। लगभग ३ दिन तक धरती स्थिति रही। बाद में महाराज के इस आश्वासन पर कि वे जनता की मांगों पर विचार करेंगे और पुनिम दमनकारी नीति का सहारा नहीं लेगी, शहर के दरवाजे खोल दिए गए। इस अवसर पर भारत के राष्ट्रीय भूखे की पुनिम व सेना ने मिलकर सत्तामी की और सभी नागरिकों ने राज्य प्रशासन अधिकारियों को मौना, परन्तु शीघ्र ही राज्य ने अपने आशासनों का उल्लंघन किया और दमनचक्र घुमाना शुरू किया। श्यामनागयण सन्धेना सहित अनेक कार्यकर्ता पुनिम की दमनकारी नीति के विरोध बने। पुनिम जुन्म के विरोध में श्यामनारायण ने भूख हड़ताल प्रारंभ की। अतः महाराज के इस आश्वासन पर कि वे राज्य में उत्तरदायी शासन के लिए शीघ्र ही कदम उठाएंगे, सत्याग्रह आंदोलन स्थगित कर दिया गया।

जोधपुर

जोधपुर में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग को लेकर आरंभ होने वाला आंदोलन श्यामनारायण व्यास के नेतृत्व में १९४० में प्रारंभ हुआ था। इसकी मुख्य विशेषता यह थी कि यह केवल शहर तक ही सीमित नहीं था बरिन्तु ग्रामीण जनता ने भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। जोधपुर के गांवों में जागीरदारों के जुल्मों की कहानी अविस्मरणीय है। वास्तविकता यह थी कि एक किसान को सैकड़ों तरह की लागतवाग देनी पड़ती थी, जैसे बासांलाग, लटाईलाग आदि। इस प्रकार एक सामान्य किसान के लिए मुकदमे से शान तक कार्य करने के पश्चात् भी भरोसे भोजन करना मुश्किल हो गया था। मारवाड लोक परिषद् ने ग्रामीण जनता की इन कठिनाइयों की ओर राज्य सरकार का ध्यान कई बार आकषित किया, परन्तु सभी प्रयत्न निष्फल सिद्ध हुए। संक्षेप में जागीरदारों के अत्याचार बढ़ते गए और उन्हें सरकार का समर्थन मिलता रहा।

इन परिस्थितियों में मारवाड़ लोक परिषद् ने जब मारवाड़ ब्याड और उनके सहयोगी धनदेवराजप्रसाद, पुष्पोत्तमप्रसाद, किंगोरीनाथ मेहता, पंचमल बेंन, ली० धार० चौकामनौकला और गणेशनाथ ब्याड के नेतृत्व में घोषित शासन किया। इन कार्यकर्ताओं की जीव्य ही मारवाड़ पार्टीनेम एक्ट १९३२ के अंतर्गत २६ मार्च, १९४० को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही जोधपुर राज्य में सभी स्थानों पर पण्डित धीर उसकी शाखाओं को बंद करनी घोषित कर दिया गया। राज्य सरकार ने घोषितन को कुचलने की दृष्टि से समूचे राज्य में धारा १४४ लागू करके सार्वजनिक समारोहों पर पाबंदी लगा दी परन्तु इन सबके बावजूद घोषितन की कुचला नहीं जा सका। अब घोषितन का नेतृत्व मयुराशम मायुर ने संभाला। १ अप्रैल, १९४० को जब मत्पापद्वियों का जुजुग निकाला जा रहा था तो मौलाना रिधातुदीन, भाई परमा-नंद, हृदयरज मेहता, वृद्धिचंद जोशी को गिरफ्तार कर लिया गया। ३ अप्रैल, १९४० को जब मयुराशम मायुर लगभग १०००० नागरिकों के जुलूम का नेतृत्व कर रहे थे तब उन्हें भी गिरफ्तार काके एक वर्ष के लिए परबतभर में जबरबंद कर दिया गया। पुलिस द्वारा लाठी चार्ज प्रतिदिन की कड़ाही बन गई। यहाँ तक कि विद्यार्थी परिषद् के अध्यक्ष ताराप्रसाद को भी गिरफ्तार कर लिया गया; यद्यपि २६ अप्रैल, १९४० को विशेष न्यायालय ने उन्हें रिहा कर दिया। पुलिस जुन्न की जाच की हर ओर से मांग की जाने लगी। जून, १९४० में देत्री राज्य परिषद् के अध्यक्ष प० जवाहरलाल मेहता ने जोधपुर की राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए द्वारकानाथ कचरु को जोधपुर भेजा। राज्य सरकार ने उनके साथ कोई सहयोग नहीं किया। कचरु ने अपने प्रतिवेदन में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि राज्य का राजनीतिक वातावरण दमघोड़ था और एक टाइमराइटर तक का रेजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य था। अंततः जून, ४० में राज्य सरकार और मारवाड़ लोक परिषद् के मध्य एक समझौता हुआ जिसके अंतर्गत राज्य ने परिषद् को मान्यता प्रदान की और सभी गिरफ्तार राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया।

६ फरवरी, १९४२ को मारवाड़ लोक परिषद् का सुला अधिवेशन लाडरु में सम्पन्न हुआ। सभापति पद से भावण देते हुए रणधोडदास गढ़ानी ने सरकार से मांग की कि वह बेगार-शरा की समाप्ति कर उत्तरदायी शासन की स्थापना करे। परिषद् ने २५ मार्च, १९४२ को उत्तरदायी शासन-दिवस मनाने का भी निश्चय किया। परन्तु संडासन (मारवाड़) के ठिकानेदारों ने

लोक परिषद् को उत्तरदायी शासन दिवस मनाने की अनुमति नहीं ही थी और राज्य पुलिस की सहायता से नागरिकों पर लाठियाँ बरसाई गईं। राज्य सरकार ने सत्याग्रहियों की सहायता करने के स्थान पर १८ अप्रैल, १९४२ को एक माह के लिए धारा १४४ लगाकर सभी सार्वजनिक सभाओं पर पाबंदी लगा दी। इन परिस्थितियों में लोक परिषद् के समुच्च इसके प्रतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था कि वह सत्याग्रह का सहारा ले। परिषद् ने निश्चय किया कि जयनारायण व्यास जो अभी हाल में ही जेल से आए थे, के नेतृत्व में सत्याग्रह प्रादोलन आरम्भ किया जाए। प्रादोलन आरम्भ करने से पूर्व जयनारायण व्यास ने जोधपुर महाराज से भेंट करना चाहा परन्तु उनकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया गया। इसी बीच राज्य की राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डालने के लिए "मारवाड़ में उत्तरदायी शासन" और "जोधपुर की स्थिति पर प्रकाश" नामक दो पुस्तकों का प्रकाशन किया गया। इन प्रकाशनों में जोधपुर महाराजा को उत्तेजित कर दिया और उन्होंने जयनारायण व्यास को बताया कि इसके गभीर परिणाम होंगे। अंततः २६ मई को जयनारायण व्यास और उनके साथियों ने राज्य की दमनकारी नीति के विरोध में जोधपुर म्यूनिसिपल बोर्ड की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया।

जोधपुर में दमन-चक्र

इसके साथ ही २७ मई, १९४२ को जयनारायण व्यास को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर तो गिरफ्तारियों का ताटा ही लग गया। मधुरादास माधुर, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, जगननाथ चौवासनीवाल, गणेशलाल व्यास और अश्वमेध जैन को भी जेल ही गिरफ्तार कर लिया गया। स्थिति की गभीरता को देखते हुए अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद् ने स्थायी समिति के सदस्य बन्धुबाल बंसल का स्थिति का अध्ययन करने के लिए जोधपुर भेजा परन्तु राज्य सरकार ने उन्हें तुरन्त राज्य की सीमा से बाहर चले जाने का आदेश दिया और एक वर्ष के लिए उनके राज्य में प्रवेश पर रोक लगा दी। राज्य की इस दमन-नीति की जवाहरलाल नेहरू, हरिभाऊ उपगुप्त, हीरालाल शास्त्री, मास्टर भोवानाथ, गोकुल भाई भट्ट, मुकुटबिहारीलाल भागवत और सत्यदेव विशालकार ने कटु धारणा की।

बालमुकुन्द बिस्मिल की मृत्यु

इसी रात ११ जून, १९४२ को बालमुकुन्द बिस्मिल सहित लोक परिषद्

के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया । उनके साथ जेल में बहुत बुरा व्यवहार किया गया और दूसरे दिन मध्याह्न १॥ बजे तक भोजन भी नहीं दिया गया, इस दुर्व्यवहार के विरोध में सत्याग्रहियों ने भूख हड़ताल धारण कर दी । सत्याग्रहियों की मांग थी कि उन्हें उनकी गिरफ्तारों के कारण बताए जाए परन्तु राज्य सरकार न ४ दिन बाद यह सूचित किया कि वे अभियुक्तों से भी गए बीते हैं और उनके साथ वैसा ही (अभियुक्तों जैसा) व्यवहार होगा । १२ जून, १९४२ को अक्टोबर्न लु और मोपणु गर्मी के कारण सत्याग्रहियों ने जेल अधिकारियों से अनुरोध किया कि उन्हें खुले में सोने की अनुमति दी जाए परन्तु उनके इस आवेदन को ठुकरा दिया गया और जब सत्याग्रहियों ने बेरक में जानें से इकार कर दिया तो जेल अधिकारियों ने बँदियों से उनकी पिटाई करवाई, तदुपरान्त पुलिस की सहायता से उन्हें गहरी नींद लाने के लिए बेरक में फेंक दिया । इस घटना में बालमुकद बीस्सा और रणछोडदास गढ़ानी सहित अनेक व्यक्तियों के गभीर चोटें पड़ीं । बालमुकद बिस्सा को इतनी चोट लगी कि वह बीमार पड़ गया परन्तु उसकी और किसी ने ध्यान नहीं दिया और जब १६ जून को उसे १०३ डिग्री बुखार हो गया तो अधिकारियों ने उसे अस्पताल भेजने का विचार किया । बालमुकद को उनके बृद्ध माता-पिता और उनकी पत्नी तथा बच्चों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई । इस गभीर हालत में जब बालमुकद बिस्सा को बेहोशी की हालत में विडम अस्पताल भेजा गया तो थोड़ी देर बाद ही उनकी मृत्यु हो गई । इस घटना ने समूचे शहर को उत्तेजित कर दिया । पुलिस ने राय बाबा पर प्रतिबंध लगा दिया और भीड़ को तिनर किनर करने के लिए लाठी चार्ज किया । महाराजा की इस दमनकारी नीति की समूचे शहर में आलोचना हुई । महाराजा गांधी ने भी आज्ञा व्यक्त की कि महाराजा घटना से सबक लें और राज्य में शीघ्र ही उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे । इस युग की महत्त्वपूर्ण घटना यह थी कि जोधपुर की राजनीति में पहली बार स्त्रियों ने केशरिया लाठी पहन कर शहर में घटाघर के समीप सत्याग्रह किया । श्रीमती महिमादेवी किकर के नेतृत्व में १७ जुलाई, १९४२ को प्रदर्शन भी किया गया । २६ जुलाई को समूचे राजस्थान में 'मारवाड सत्याग्रह' दिवस मनाया गया और स्थान-स्थान पर शार्वजनिक सभाएँ आयोजित की गईं ।

अब सत्याग्रह आन्दोलन जोधपुर के समीपस्थ जिले जैसे फलीदी, सोमठ और नाबौर में भी फैलने लगा तथा बड़ी संख्या में व्यक्तियों को

गिरफ्तार किया गया। इसी बीच ४ अगस्त, १९४२ को जयनारायण व्यास को ६ वर्ष ६ महीने, मथुरादास भायुर को २ वर्ष ६ महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। समूच भारत में जोधपुर न्यायालय के इन निर्णय की बहु-धालोचना हुई। अन्त में १९४४ में वातावरण को शान्त करने की दृष्टि से राज्य सरकार ने जयनारायण व्यास और उनके सहयोगियों को रिहा किया। १९४५ में राज्य सरकार ने कुछ सर्वैधानिक सुधारों को लागू करने की घोषणा की। एक प्रतिनिधि सभा की भी स्थापना की गई जिसमें ६२ सदस्य होने थे, जिनमें से अधिकांश जनता द्वारा निर्वाचित किए जाने थे। इस प्रकार इन सर्वैधानिक सुधारों की घोषणा के साथ ही साथ राज्य का राजनीतिक वातावरण कुछ शांत बना परन्तु जागीरदारों के जुलम अभी भी घटन्तूर बन हुए थे, इस घबड़बूर १९४६ में "मारवाड लोक परिषद्" ने जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन प्रारम्भ किया। डी.इ.माना जिन में डावरा नामक स्थान पर १९४७ में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया परन्तु जागीरदारों के सहयोग से राज्य पुलिस ने प्रत्येक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जिनमें राधाकिशन, द्वारकादाम पुरोहित, मथुरादाम भायुर सम्मिलित थे। इन व्यक्तियों पर राज्य विरोधी कार्यवाही करने का आरोप लगाया गया परन्तु जब कुछ समय बाद जयनारायण व्यास के नेतृत्व में लोकप्रिय मंत्रि मण्डल की स्थापना हुई तो सत्याग्रह आंदोलन समाप्त हो गया और गिरफ्तार सत्याग्रहियों को रिहा करके उनके विरुद्ध चल रहे मुकदमों वापिस ले लिए गए।

जैसलमेर —

राजस्थान की देशी रियासतों में जैसलमेर को छण्डमान निजोदार के नाम से पुकारा जाता था। कारण यह था कि यह राजस्थान की सबसे पिछड़ी रियासत थी जहाँ पर राजनीतिक बेतना वा आरम्भ काफी देर से हुआ। सागरमल गोसा और नारायणदास माटिया पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राज्य के तानाशाही शासन के विरुद्ध जन जागृति करने में योगदान दिया। जैसलमेर के इतिहास में पहली बार १६ नवम्बर, १९३० को जवाहर दिवस मनाया गया। सागरमल गोसा और सहयोगी इन्दन पुरोहित और रघुनाथ सिंह मेहता को मौज ही गिरफ्तार कर लिया गया, मद्यति प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण उन्हें ३६ घण्टे बाद ही रिहा कर दिया गया। तत्पश्चात् सागरमल गोसा तामपुर चले गए और वहीं से जैसलमेर के निरकुञ्ज शासन के विरुद्ध

मेव तिलते १८ । १९३२ में रघुनाथसिंह मेहता ने महेश्वरी युवा मण्डल की स्थापना की जिससे कि जनता में राजनीतिक चेतना जागृत की जा सके परन्तु रघुनाथसिंह मेहता को शीघ्र ही गिरफ्तार करके २ वर्ष ६ माह के कारावास की सजा दी गई । राज्य की इस दमनकारी नीति ने समूचे राज्य में उत्तेजना पूर्ण आनामरण बना दिया । एक माह बाद रघुनाथसिंह मेहता को रिहा कर दिया गया और वे मद्रास में जाकर बस गए ।

जैसलमेर में प्रजा परिषद् की स्थापना

इस समय जैसलमेर के लिए राजनीतिक चेतना का कार्य नागपुर से सागरमल गोपा मद्रास में रघुनाथसिंह मेहता और जैसलमेर में शिवशंकर गोपा तथा तिन्य भ वैशवदास व्यास और रामचन्द्र जेजलिया कर रहे थे । राज्य की दमन-नीति के बावजूद १९३६ में शिवशंकर गोपा ने राज्य में प्रजा परिषद् की स्थापना कर दी । परन्तु इसका परिणाम उन्हें शीघ्र ही भुगतना पडा, राज्य ने उन्हें त्रिषाक्षित कर दिया और वे भी घनै भाई सागरमल गोपा के पास नागपुर चले गए ।

सागरमल गोपा की गिरफ्तारी

मार्च १९४१ में सागरमल गोपा के विना की मृत्यु हो गई मत सागरमल गोपा ने ब्रिटिश रेजिडेन्ट से प्रार्थना की कि यह उन्हें राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान करें । रेजिडेन्ट की इस सूचना पर कि उनके विरुद्ध में कोई मामला विचाराधीन नहीं है २२ मई १९४१ को सागरमल गोपा जैसलमेर पहुँचे परन्तु जब वे निवृत्त होने के लिए बाहर जा रहे थे तभी पुलिस सब इन्स्पेक्टर गुमानसिंह ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया । सागरमल गोपा को कड़ी सजा दी गई और बाद में उन पर राज्य-विरोधी भावण देने का आरोप लगाकर ६ वर्ष के कारावास का एवढ दे दिया गया । इस अवधि में भी जेल में सागरमल गोपा के साथ अक्षयनीय दुर्घटनाएँ कियी गयी । सागरमल गोपा ने इस दुर्घटना के प्रति अमनाराधना व्यास और प्रबल भारतीय देशी राजब्लोक परिषद् के उपाध्यक्ष शैल चन्द्रिका को यथा स्थिति से संबन्धित कराया जिससे राज्य सरकार से हस्तक्षेप हस्तक्षेप की मांग की । २ फरवरी, १९४६ को सागरमल गोपा ने जिला जज के पास भी उन पर किए जा रहे पुलिस अध्याचारों के विरुद्ध प्रार्थनापत्र भेजा परन्तु पुलिस सब इन्स्पेक्टर गुमानसिंह ने रास्ते में ही उसे ज्म कर लिया और सागरमल गोपा को कड़ी परिणाम भुगतने

की नेतावनी थी। दूसरे ही दिन यर्बान् १ अप्रैल, १९४६ को यह समाचार मिला कि सागरमल गोपा ने अपने शरीर पर भिट्टी का तेल छिड़ककर धारमहत्या करने का प्रयास किया है उन्हें शीघ्र ही अस्पताल ले जाया गया जहा ४ अप्रैल, १९४६ को उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने समूचे भारत में तहलका मचा दिया। जवाहरलाल नेहरू और 'नोकनायक' जयनारायण व्यास ने सरकार की दमनकारी नीति की कट्टु आलोचना की और सागरमल गोपा की मृत्यु के कारणों की जांच करने के लिए एक कमीशन को नियुक्त करने की मांग की। २७ अगस्त १९४६ का श्रीगोपालस्वरूप पाठक (वर्तमान में भारत के उप राष्ट्रपति) को एक संस्थीय आयोग के रूप में नियुक्त किया गया जिन्होंने अपने प्रतिवेदन में कहा था कि सागरमल गोपा ने पुत्रिम प्रत्याचारों के डर से अपना पुत्रिम द्वारा दी गई यातनाओं से परेशान होकर आत्महत्या की है।

प्रजामण्डल की गतिविधिया

इसी बीच १५ दिसम्बर १९४५ को मीठावाल व्यास ने सभ्य से बचने के लिए जोधपुर में जैमनमेर प्रजामण्डल की स्थापना कर ली थी। सागरमल गोपा के बलिदान ने प्रजामण्डल के कार्यकर्त्तियों में एक नए साहस का संचार किया। इसीलिए २६ मई १९४६ को मीठावाल व्यास जयनारायण व्यास और उनके साथियों ने जतलमेर की राज्य-भीमा में प्रवेश किया। २७ मई १९४६ को जयनारायण व्यास ने जैमनमेर भूमि पर भारत का राष्ट्रीय तिरंगा भंडा फहराया जिसका जनता ने दक्षलाब जिंदाबाद और 'प्रजामण्डल जिंदाबाद' के नारों से स्वागत किया।

राजस्थान में देशी रियासतों का विलीनीकरण

जून १९४७ में ब्रिटिश सरकार ने भारत को सत्ता सौंपने का निर्णय किया। तदनुसार १५ अगस्त १९४७ को भारत ने अपने स्वायत्त और बलिदान का पुरस्कार स्वाधीनता के रूप में प्राप्त किया। स्वतंत्र भारत की सरकार के सम्मुख सबसे बड़ी गंभीर समस्या देशी राज्यों के एकीकरण की थी। भारत के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा भारत सरकार के गृह सचिव श्री बी पी मेनन के अथक प्रयत्नों के परिणामस्वरूप भारत के अधिकांश देशी रियासतों ने भारतीय संघ में सम्मिलित होने का निर्णय किया। जहाँ तक राजपुताना के राज्यों के एकीकरण का संबंध है, आधुनिक राजस्थान का निर्माण ५ वर्षों में पूरा हुआ।

प्रथम चरण में बनारस, भरतपुर, धौलपुर और बगौली को मिलाकर २० फरवरी १९४५ को मध्य यूनिफन का निर्माण किया गया। द्वितीय चरण में कामवाड़ा, बूंदी, रूंगरपुर, भालावाड़, किशनगढ़, बोंटा, प्रतापगढ़ ग्राहपुरा और टोंक को मिलाकर २५ मार्च, १९४६ को प्रथम राजस्थान यूनिफन का निर्माण किया गया। तृतीय चरण में १ अप्रैल, १९४६ को प्रथम राजस्थान यूनिफन में उदयपुर सम्मिलित हुआ। चौथे चरण में बृहत् राजस्थान का निर्माण हुआ। जिसमें जयपुर, जोड़पुर, बीकानेर और जैसलमेर भी रियामतें सम्मिलित हुईं। पाचवें और अंतिम चरण में ३० मार्च, १९४६ को मध्य यूनिफन का विनष्ट बृहत् राजस्थान में होकर सम्पूर्ण राजस्थान का निर्माण हुआ।

इस प्रकार विभिन्न राज्यों में प्रजापण्डल, प्रजा परिषद् और किसान सभा इत्यादि की स्थापना ने नागरिकों में राजनीतिक चेतना और राष्ट्रीय भावना उत्पन्न की। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू व अन्य स्वतन्त्रता सेवानिवृत्तों के त्याग और बलिदान राजस्थान की जनता के लिए प्रेरणा स्रोत बने और इस प्रकार देशी राज्यो की जनता का एक सच्चा संपर्क घनत सफलता के साथ समाप्त हुआ।

उपसंहार

१२ वीं और १३ वीं शताब्दी में मध्ययुगीन—राजस्थान में मुस्लिम शासन का सूत्रपात हुआ, तत्पश्चात् मुगलों का शासन स्थापित हुआ था परन्तु १७०७ में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में राजनीतिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। मराठा और पिन्डारियों ने जी भरकर राजस्थान को लूटा था। राजे और महाराजे असहाय दिखाई देते थे। इन परिस्थितियों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजनीतिक शून्यता की स्थिति को भरने के लिए हस्तक्षेप की नीति अपनाई। १८०३ से १८१८ तक लगभग राजस्थान के सभी राज्यों में ब्रिटेन के साथ संधिपत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे और इस तरह अब वे अपने को सुरक्षित अनुभव करने लगे थे।

परन्तु शीघ्र ही रीति रिवाज और परम्पराओं को लेकर राजाओं और उनके जागीरदारों के मध्य संघर्ष उत्पन्न होने लगा जिसके परिणामस्वरूप राजा की शक्ति को चुनौती दी जाने लगी। इसी बीच १८५७ का विप्लव प्रारंभ हुआ। राजस्थान में यह विद्रोह सैनिक छावनियों-नमीराबाद नीमच और देवली तक सीमित था। यद्यपि भागते हुए विप्लवकारियों ने जयपुर, जोधपुर, टोंक, मारवाड़ और मेवाड़ की प्रादेशिक सीमाओं में प्रवेश किया और वहाँ के राजाओं पर जनता से सहयोग लेने की प्रसन्न चेष्टा की। परन्तु अधिकांश जनता उदासीन रही। भावा के अमनुष्ट ठाकुर ने अवश्य स्थिति में काम उठाने का प्रयत्न किया। कोठारिया और सलुम्बर के जागीरदारों का एन्टिकोएल भी सहानुभूतिपूर्ण था परन्तु ब्रिटिश दमन-चक्र के सम्मुख विप्लवकारियों को

समर्पण करना पडा। १८६१ से १८८५ तक देशी राज्यों में भी ब्रिटिश भारत के सुधार लागू किए गए जिसके परिणामस्वरूप देशी राज्यों की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में आशाहीन प्रगति हुई। १९ वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में अनेक धर्म सुधार-घान्दोलन हुए जिनमें धार्मिक समाज ने सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। स्वामी दयानन्द सरस्वती के द्वारा स्वदेशी स्वधर्म, स्वभाषा और स्वराज्य की प्राप्ति पर सर्वाधिक बल दिया गया जिनमें राजस्थान में नई राजनीतिक चेतना का जन्म दिया। इसी समय समाचार-पत्रों और विभिन्न साहित्य के प्रकाशनों ने जनता में राष्ट्रवाद की भावना जलवती की।

१८८५ में अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना के रूप में भारत को राष्ट्रवाद का एक नया रसमय प्राप्त हुआ। १८९१-९७ में लेफ्टीनेंट रेजेंट और धार्मिकों की हत्या के साथ ही साथ भारतीय राजनीति में उक्त राष्ट्रवाद का प्रादुर्भाव हुआ, जो १९१९ तक भारतीय राजनीति में छाया रहा। १९०५ में बंगाल-विभाजन और इन युग की अनेक घातकवादी घटनाओं ने प्रभाव से राजस्थान भी भ्रष्टता न रह सका। ब्यामाजी कृष्ण वर्मा, धनुंनलाल सेठी, बेसरी-सिंह बरेठ, राव गोपालसिंह राखा और अन्य आतिथारियों ने स्वराज्य प्राप्ति के लिए तन, मन, धन से योग दिया। इसी युग में विजोसिद्धा, देगू, सूटी और गिरोही में किसान आन्दोलन भड़क उठा। जमींदारों के दृष्टम घायाघार, बेवार और साववाग के विरुद्ध राजस्थान के किसानों ने विजयसिंह 'पण्डित' के नेतृत्व में सफलतापूर्वक टक्कर ली।

इन युग की एक महत्त्वपूर्ण घटना यह भी थी कि राजस्थान के भीलों ने ब्रिटेन के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ किया। जनगणना और भू-राज्य सम्बन्धी सुधारों ने भीलों की प्राचीन परम्पराओं का उलघन किया या अत वे भी ब्रिटिश विरोधी भावनाओं से अतिप्रीत थे। यही कारण था कि १८८१-८२ में और बाद में १९२४ में मोक्षीताल तेजावत के नेतृत्व में भीलों ने अपनी स्वतन्त्रता के लिए आन्दोलन किया। निरदोह राज्य की दमनकारी नीति व मौलीनास तेजावत की गिरफ्तारी के परिणामस्वरूप भील आन्दोलन बुचल दिया गया परन्तु इस आन्दोलन ने भीलों के हृदय में जो स्वतन्त्रता की व्योमि अगाई और उन्हें अधिवार व अज्ञानों का ज्ञान कराया वह कभी नहीं मिटाया जा सका।

१९१४ में प्रथम महायुद्ध चालू हुआ। राजा व महाराजाओं ने अपने

निरकुल जामन की बनाए रखने की दृष्टि में ब्रिटेन की हर मध्य महायन्त्रा की घोर ब्रिटेन की विजय की अपनी विजय समझी। १९१६ के पश्चात् भारत की सर्वशान्ति समस्या का समाधान निकालने के लिए मण्टेग्यू चेम्बेर्लेन सुधार लागू किया गया परन्तु जब इनका कोई मरुत परिणाम नहीं निकला तो १९२१-२२ में महात्मा गांधी ने असहयोग आन्दोलन का आरम्भ किया। राजस्थान में भी अपना भरपूर योगदान दिया। महात्मा गांधी के आन्दोलन में प्रभावित होकर बूंदी, विजौनिया, वेणू भरतपुर, सिरोही और जयपुर में अनेक आन्दोलन हुए तथा अनेक स्वाधीन सस्थाओं का जन्म हुआ जिनमें मारवाड़ हिनकारिणी सभा, राजस्थान सेवक सन घोर देशी राज्य परिषद् प्रमुख थे। इन सस्थाओं ने नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों के लिए अनेक आन्दोलन किए।

१९३० में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ किया। इस आन्दोलन में राजस्थान में भी सहभागिता मचा दिया। अजमेर, जोधपुर, जयपुर बीकानेर उदयपुर और भरतपुर राज्य के नागरिकों ने उत्तरदायी शासन की पुनर्जोर मांग की। परिणामस्वरूप राजस्थान के विभिन्न राज्यों में प्रजासभ्यता की स्थापना हुई। प्रत्युत्तर में राज्य सरकारों ने दमनक का सहारा लिया परन्तु अब जनता में आह्वान जागृत हो चुका था। यहाँ तक कि बीकानेर महाराज के विच्छेद खुले पत्र वितरित किए गए। भरतपुर में यदि जाट महासभा का आन्दोलन शुरू हुआ तो मेवाड़ में विजौनिया आन्दोलन और जयपुर सीकर मन्भेदों ने आतावरण को अत्यन्त गर्म बना दिया। सभी राज्य सरकारों ने प्रजासभ्यता की प्रवर्धन कर दिया। परिणामस्वरूप आन्दोलन घोर तीव्र हुआ। इस समय राजस्थान में २ दल कार्य कर रहे थे जिनमें से एक का नेतृत्व विजयसिंह पथिक, अजुनवान सेठी और बाबा नृसिंहदास कर रहे थे तो दूसरा दल जयनारायण बजाज हरिभाऊ जगध्याय और हीरासायण शास्त्री के नेतृत्व में कार्यरत था परन्तु दुर्भाग्य से इनके आगामी मन-भेदों के परिणामस्वरूप ये दोनों दल अलग-अलग कार्य नहीं कर सके। कुछ समय पश्चात् जब इन दोनों के आपसी मतभेद दूर हुए तो जयनारायण शास, माणिक्यलाल वर्मा जयनारायण बजाज हीरासायण शास्त्री, पण्डित भोजनाराय, सुपलकिशोर चतुर्वेदी, स्वामी गोकुलदास और गुरुदास मर्याद लुणादि ने मिलकर राजस्थान के सभी राज्यों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का विचार पलाए गए आन्दोलन का नेतृत्व किया। १९३१-३२ में जब उत्तर भारत में

एक बार भारतक की लहर पुनः उमड़ी तो राजस्थान भी इसकी धपेट में आया । इस बार १० ज्वालाप्रसाद शर्मा के नेतृत्व में धर्ममेरु आतंकवादी गतिविधियों का केन्द्र बना । बाद में ज्वालाप्रसाद की निरपहारी के पश्चात् यह आन्दोलन शिथिल पड़ गया ।

१९३६ में द्वितीय महायुद्ध आरम्भ हुआ । इस बार भी देवी राजाओं ने तन-मन धन से ब्रिटेन की सहायता की परन्तु १९४० में जयनारायण व्यास और मधुरादास माथुर के नेतृत्व में जब मारवाड़ लोक परिषद् ने उत्तरदायी शासन की मांग को लेकर जोधपुर में आन्दोलन आरम्भ किया तो राज्य के अन्य भागों में भी उसकी गंभीर प्रतिक्रिया हुई अर्थात् जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, सिरोही, कोटा और झुंझरपुर राज्यों में भी उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग में जोर पकड़ा । जयपुर में अमनालास बजाज जोधपुर में जयनारायण व्यास और उदयपुर में माणिक्यभाल वर्मा को निरपहारी ने समूचे भारत का ध्यान आकर्षित किया और राज्यों में व्याप्त तिरबुज शासन की सभी जगह भर्त्सना हुई । यही कारण है कि विभिन्न राज्यों में सर्वघातक सुधार लागू किए गए । इस मर्म में जैसलमेर में सागरमल गोपा के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता । जैसलमेर में राजस्थान की यह विध्वंसी रियासत थी जिसे जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का आठवां आश्चर्य कहा था, सागरमल गोपा के बलिदान ने इस विध्वंसी रियासत की जगता में भी राजनीतिक चेतना का संसार किया ।

८ अगस्त, १९४२ को 'भारत छोड़ो' आन्दोलन आरम्भ हुआ । राजस्थान ने भी अन्ये से कठघना मिलाकर अपना योगदान दिया । राज्य सरकारों के द्वारा आन्दोलनों को कुचलने के लिए हर समय प्रयत्न किए गए परन्तु अन्त में जनता की जीत हुई । १५ अगस्त, १९४७ को जब उषा की लाली ने भारत के झाल पर स्वाधीनता का तिलक किया तो राजस्थान की रियासतों ने भी भारतीय सश के साथ ही अपना प्राची जीवन सम्मिलित कर दिया । इस प्रकार एक लम्बे सपने, त्याग और बलिदान के पश्चात् राजस्थान की जन-घातकशाघी की पूति हुई और भारत के अन्य राज्यों के समान ही राजस्थान में भी लोकप्रिय मन्त्रिमण्डल पदास्थ हुआ ।